



वार्षिक रिपोर्ट 1989-90

केन्द्रीय कार्यालय
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मायूर भवन, कन्नाट सर्कस,
नई दिल्ली-110001



उप-क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर ।

37वीं वार्षिक रिपोर्ट-1989-90



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

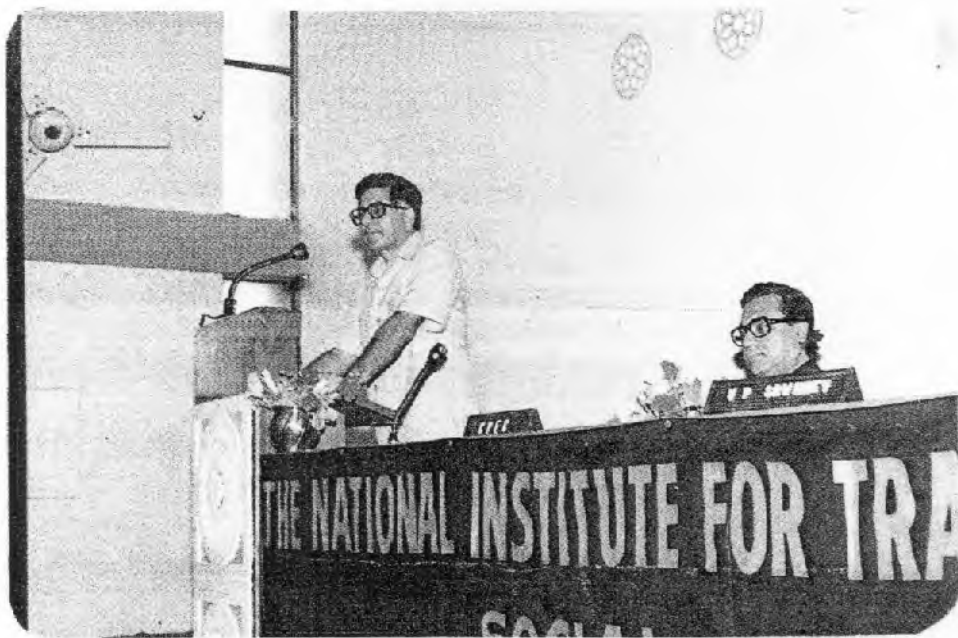
9वीं मंजिल, मयूर भवन, कनाट सर्कस

नई दिल्ली-110001

मानव संसाधन विकास की ओर



सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का श्री वी० पी० साहनी, सचिव श्रम मंत्रालय द्वारा उद्घाटन ।



श्री वी० पी० साहनी, सचिव श्रम मंत्रालय द्वारा परिवीक्षाधीन सहायक, भविष्य निधि आयुक्तों के लिए प्रथम अभिविन्यास पाठ्यक्रम में उद्घाटन भाषण ।



सं भ० नि० आयुक्तों के प्रेरणात्मक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिरिक्त श्रम सचिव का स्वागत ।

१० आ
ने हए

।

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
I.	मुख्य सांख्यिकीय आंकड़े एक नज़र में	1
II.	महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य	5
III.	संगठन	
	1. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	7
	2. बोर्ड की समितियाँ	7
	3. क्षेत्रीय समितियाँ	8
	4. उप क्षेत्रीय कार्यालय	8-9
	5. निरीक्षण कार्यालय	
IV.	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952	9-32
	1. कवरेज	10
	2. 15 प्रमुख उद्योगों में स्थापनाओं तथा अभिदाताओं का संकेन्द्रण	10
	3. अंशदान	11
	4. राष्ट्रीय बचत में अंशदान	12
	5. निवेश	12
	6. अभिदाताओं को व्याज की दर	13
	7. भविष्य निधि बकाया	14
	8. सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अनुपालन न करना	21
	9. भविष्य निधि दावों का निपटान	23
	10. भविष्य निधि लेखों का अंतरण	24
	11. सदस्यों द्वारा आंशिक निकासियाँ	26
	12. अभिदाताओं को वार्षिक लेखा विवरणियाँ जारी करना	27
	13. अभिदाताओं को गृह निर्माण में सहायता	28
	14. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में संशोधन	29
	15. धारा 19क के अन्तर्गत अभ्यावेदन	30
	16. संगठन के विरुद्ध रिट याचिकाएं	31
	17. संगठन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	32
V.	छूट प्राप्त स्थापनाएं	33-40
	1. छूट प्राप्त स्थापनाओं का कार्य निष्पादन	33
	2. बकाया और अनिवेश का संकेन्द्रण	33
	3. बकाया के निपटान से संबंधित कृत कार्रवाई	
	4. छूट से सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन	38
	5. सदस्यों की आंशिक निकासियाँ/अग्रिम	
	6. दावों का निपटान	39

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	7. जक्ती लेखा	40
	8. अभिदाताओं को घोषित ब्याज दर	40
	9. छूट प्राप्त स्थापना माह	
	10. छूट प्रदान/रहू की गई	40
	11. छूट प्राप्त स्थापना के न्यासियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	40
VI.	कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971	41-42
	1. स्कीम का कार्य निष्पादन	41
	2. दावों का निपटान	42
VII.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976	44-45
	1. स्कीम के अन्तर्गत कवरेज	44
	2. अंशदान	45
	3. निवेश	45
	5. निपटाए गए दावे	45
	6. अंशदान में बकाया	45
	7. स्कीम से छूट प्रदान करना	45
VIII.	अतिरिक्त परितब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम 1974	47
IX.	संगठन का प्रशासन	48-50
	1. <u>कर्मचारियों की संख्या</u>	48
	2. परीक्षाएं	49
	3. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	49
	4. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	50
	5. संगकीणकरण	51
	6. प्रशासकीय निरीक्षण	52
	7. सतर्कता	52
	8. शिकायतों का निवारण	52
	9. प्रशासकीय लेखे	53
	10. प्रचार	53
	11. कार्यालय भवन	54
	12. स्टाफ क्वार्टर	55
	13. उत्पादकता सहबद्ध बोनस	55
	14. खेल कूद	55
	15. कैंटीन	55
	16. अन्तराष्ट्रीय कार्मिक संगठन/अन्तराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसियेशन सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्य- शाला में सहभागिता	55

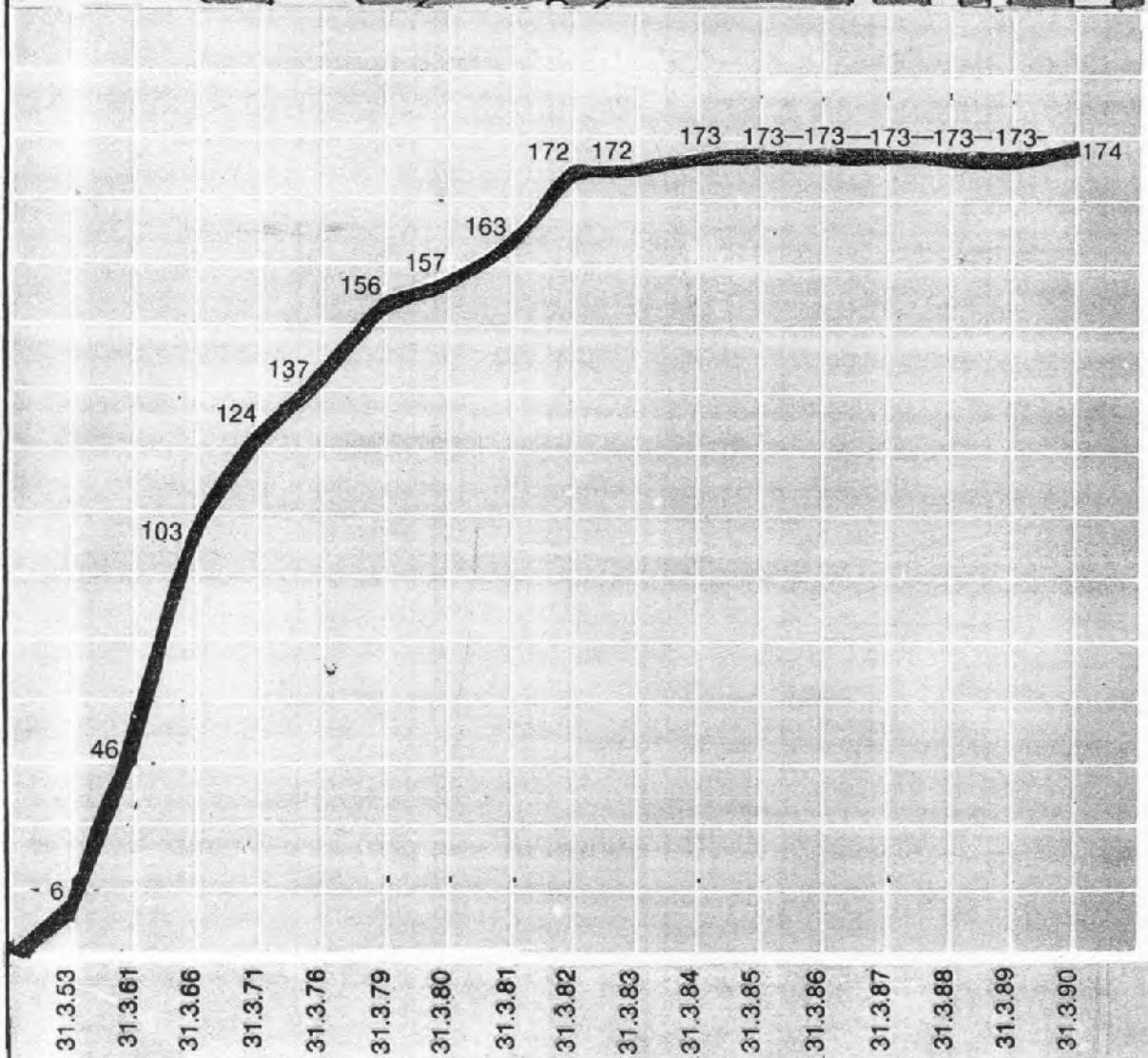
क्र. संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
57	परिभाषा-पृ. 1	57
58-59	25 वें उद्योग संस्थापनाओं तथा अभियानों का संकल्प	58-59
60-61	निर्वाह पोटेंकोविच-क. ०. ०. ०. (६. ०. ०. ०.) मध्य क्षेत्र	60-61
62	परिभाषा-पृ. 4	62
63-64	परिभाषा-पृ. 5	63-64
65	परिभाषा-पृ. 6	65
66	परिभाषा-पृ. 6	66
67	परिभाषा-पृ. 7	67
68	परिभाषा-पृ. 8	68
69	परिभाषा-पृ. 9	69
70	परिभाषा-पृ. 10	70
71-72	परिभाषा-पृ. 11	71-72
73	परिभाषा-पृ. 12	73
74	परिभाषा-पृ. 13	74
75	परिभाषा-पृ. 14	75
76	परिभाषा-पृ. 15	76
77-78	परिभाषा-पृ. 16	77-78
79	परिभाषा-पृ. 17	79
80	परिभाषा-पृ. 18	80
81	परिभाषा-पृ. 19	81
82	परिभाषा-पृ. 20	82
83	परिभाषा-पृ. 21	83
84	परिभाषा-पृ. 22	84
85	परिभाषा-पृ. 23	85
86	परिभाषा-पृ. 24	86
87	परिभाषा-पृ. 25	87

(iii)

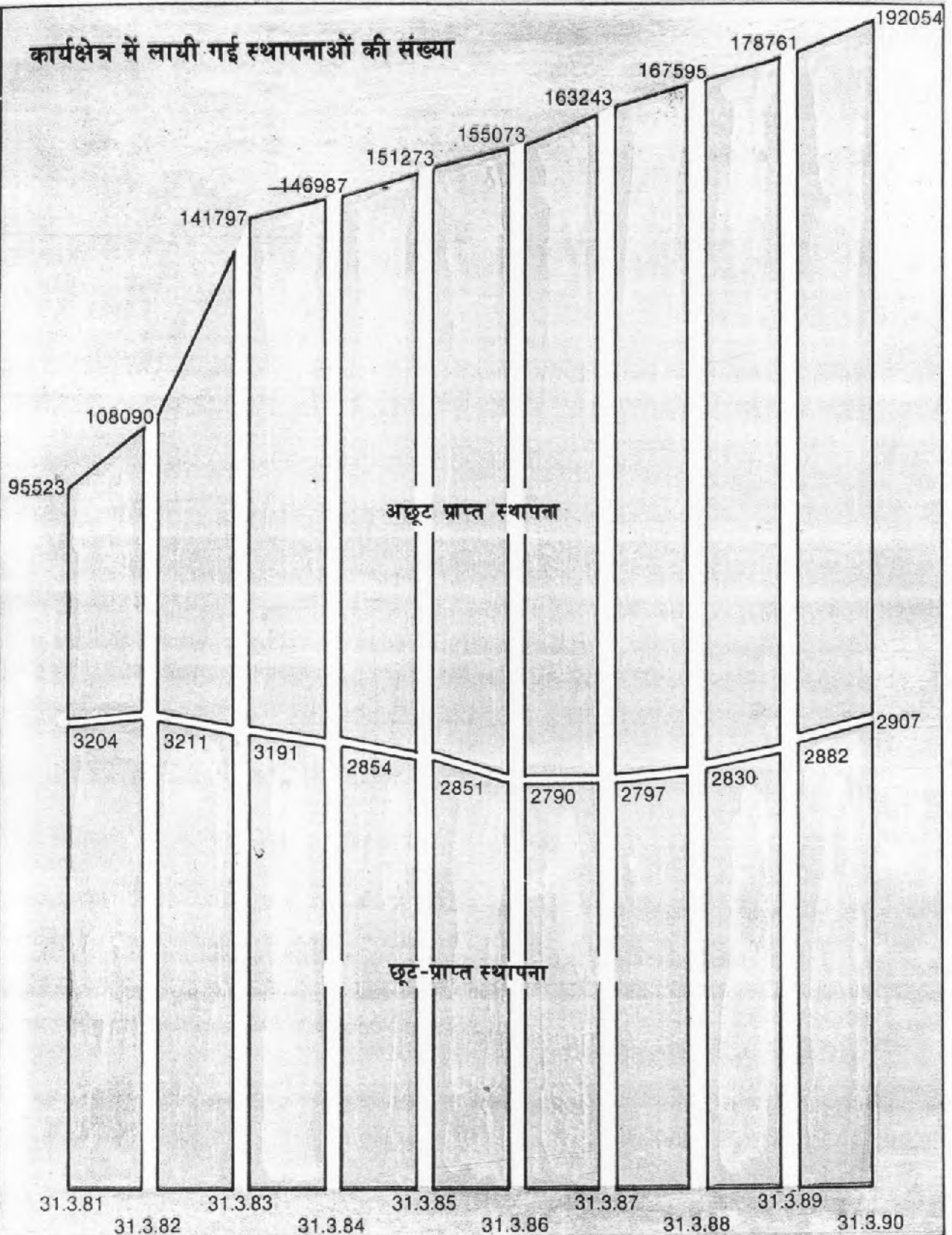
परिशिष्ट

परिशिष्ट-क-1	31 मार्च, 1990 तक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों की सूची	88
परिशिष्ट-क-2	उद्योग/स्थापना वर्ग जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम] 31 मार्च, 1990 तक लागू किया गया	91-98
परिशिष्ट-क-3	अ-छूट प्राप्त स्थापनाएं जिनमें एक लाख रुपया या उससे अधिक की भविष्य निधि राशि की चूक पाई गई	99-129
परिशिष्ट-क-4	छूट प्राप्त स्थापनाएं, जिन पर 31 मार्च, 1990 तक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के भविष्य निधि अंशदानों के स्थानान्तरण सम्बन्ध में एक लाख रुपया या उससे अधिक की चूक पाई गई	130-133

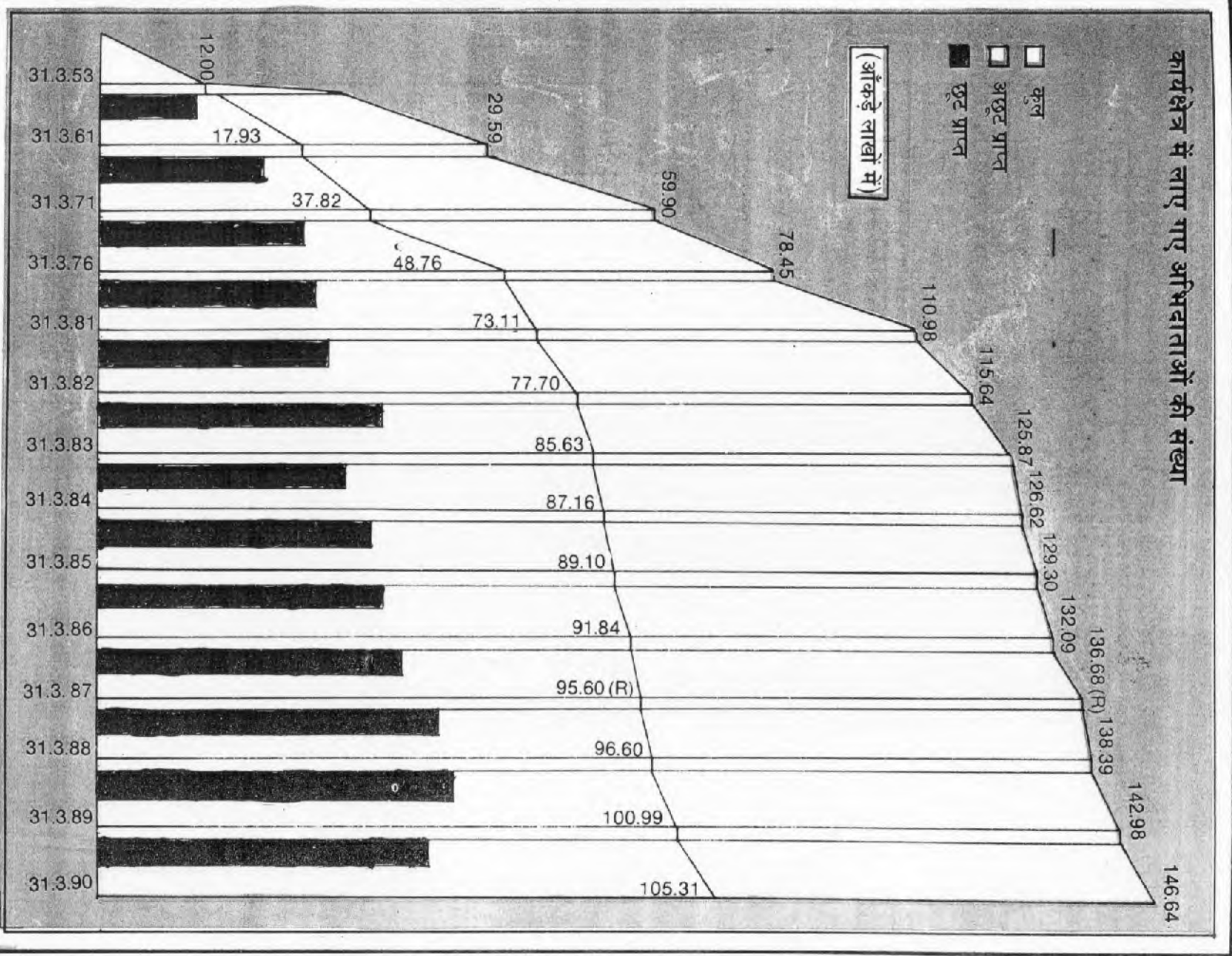
उद्योगों/स्थापना वर्गों की संख्या जिन पर
क.भ.नि. और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम
1952 लागू किया गया



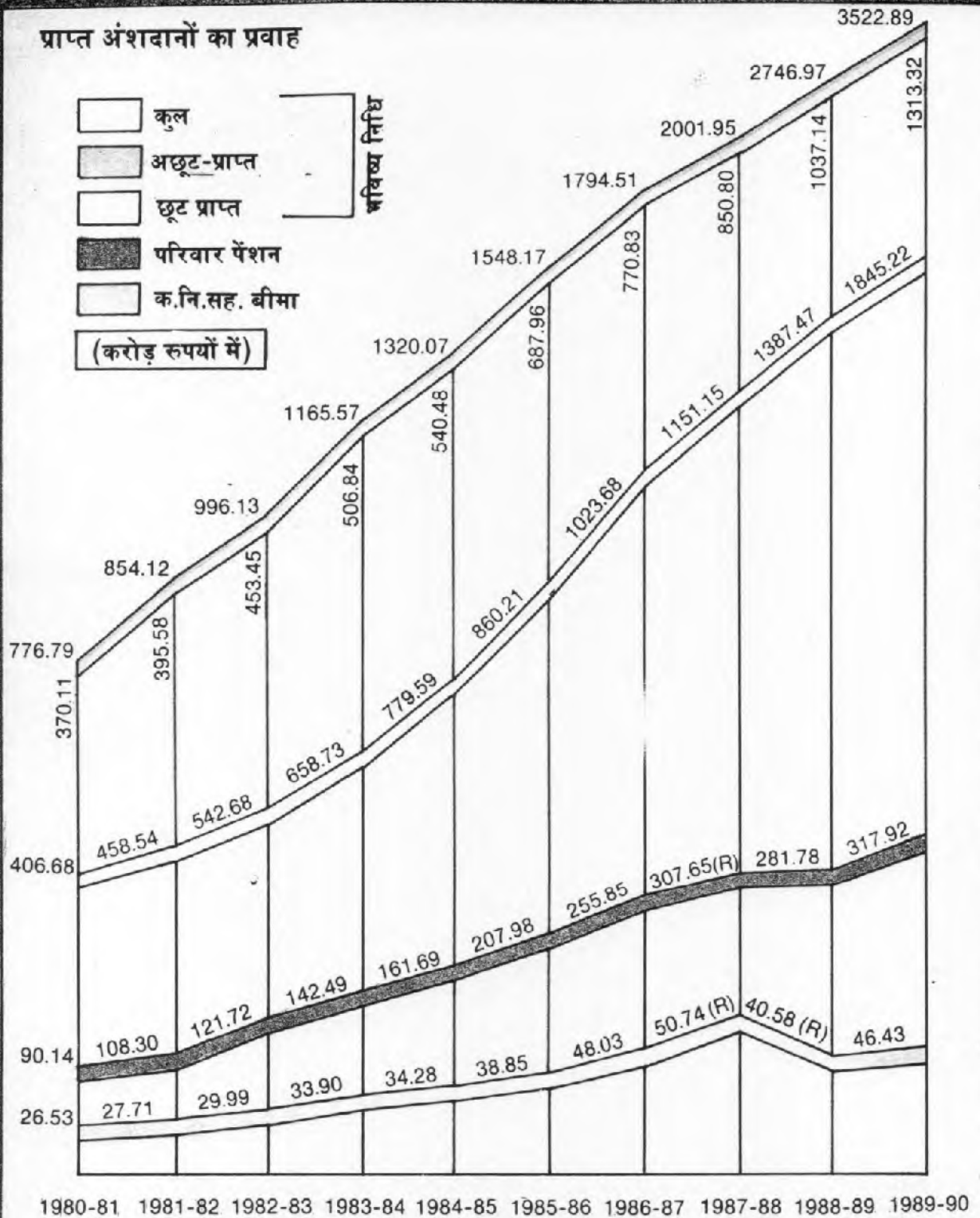
कार्यक्षेत्र में लायी गई स्थापनाओं की संख्या



कार्यक्षेत्र में लाए गए अभिदाताओं की संख्या



प्राप्त अंशदानों का प्रवाह

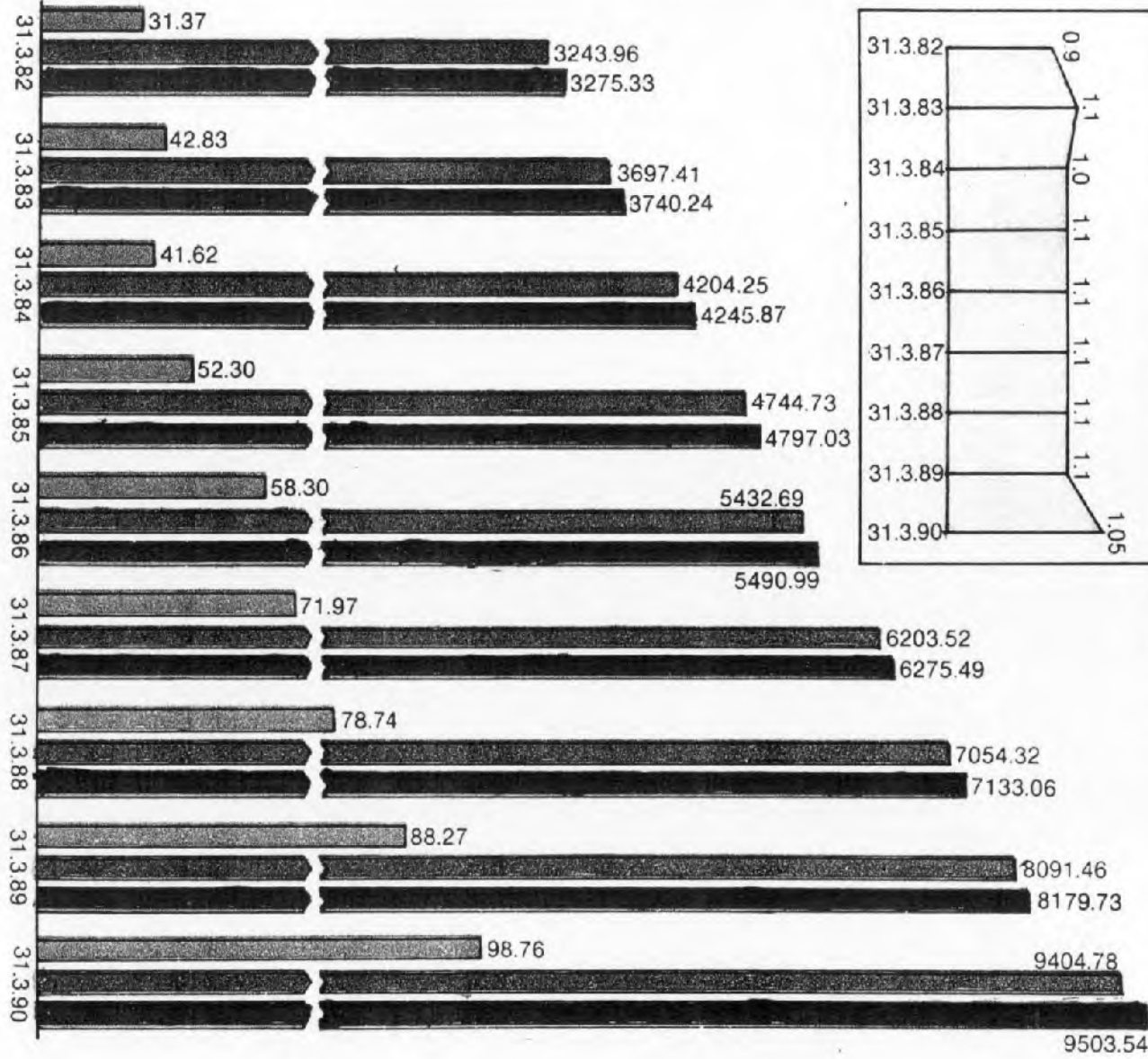
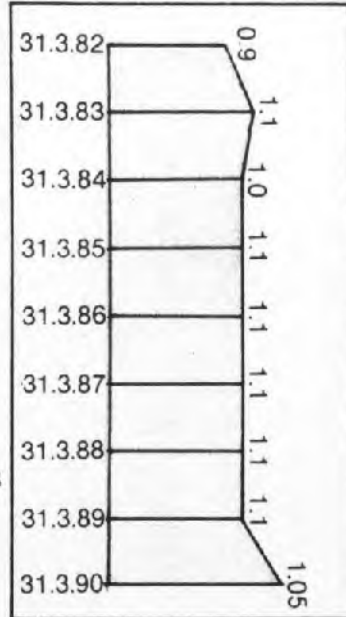


भविष्य निधि अंशदान और स्थिति
बकाया राशि की (अछूट प्राप्त स्थापनाएं)

(करोड़ रुपयों में)

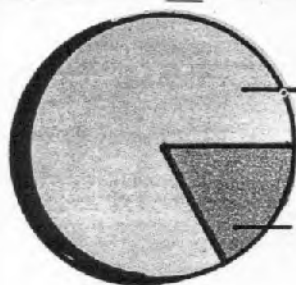
देय भ. नि. अंशदान
प्राप्त अंशदान
बकाया राशि

प्राप्त अंशदान की तुलना में बकाया राशि का अनुपात



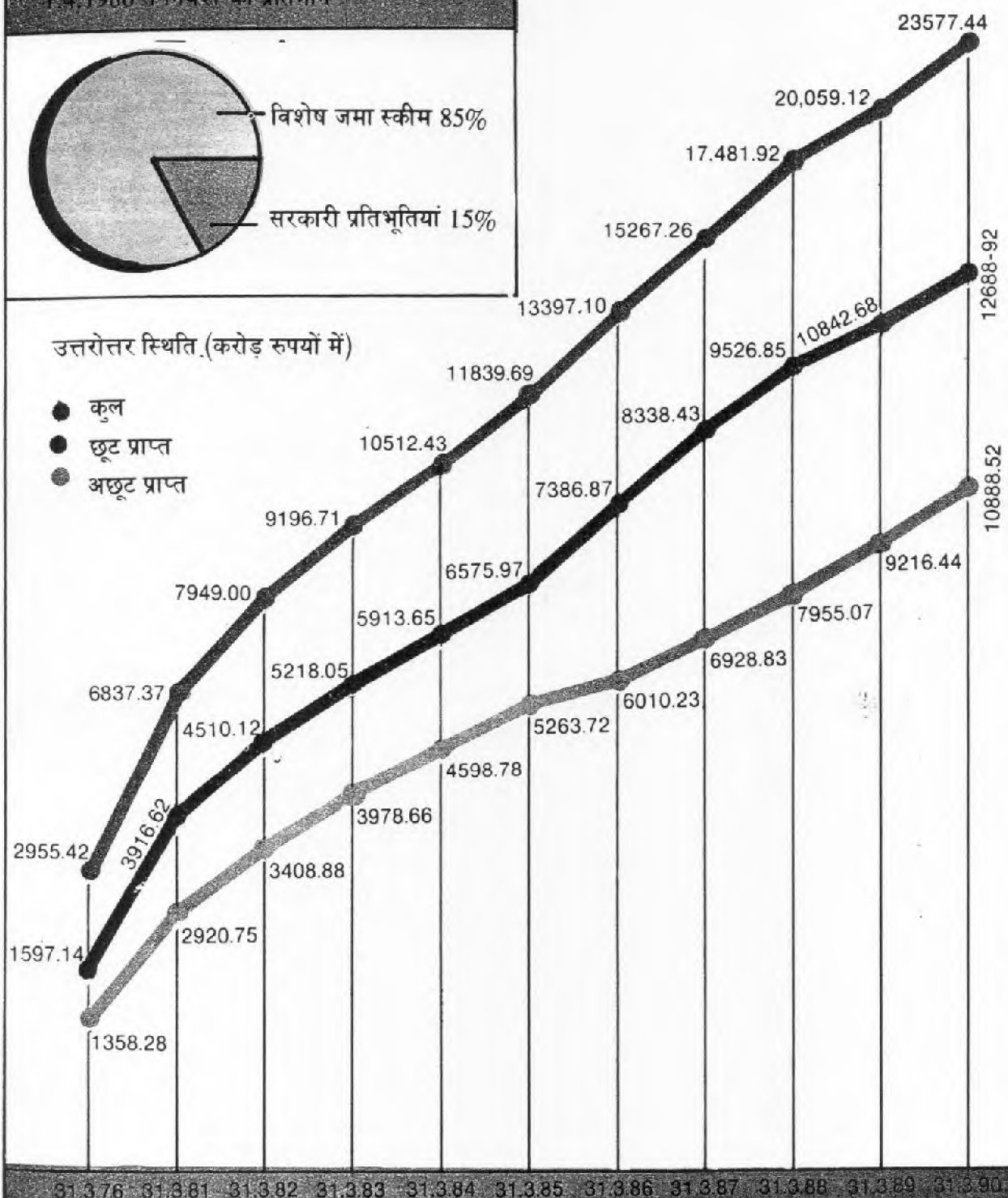
भविष्य निधि अंशदान का निवेश

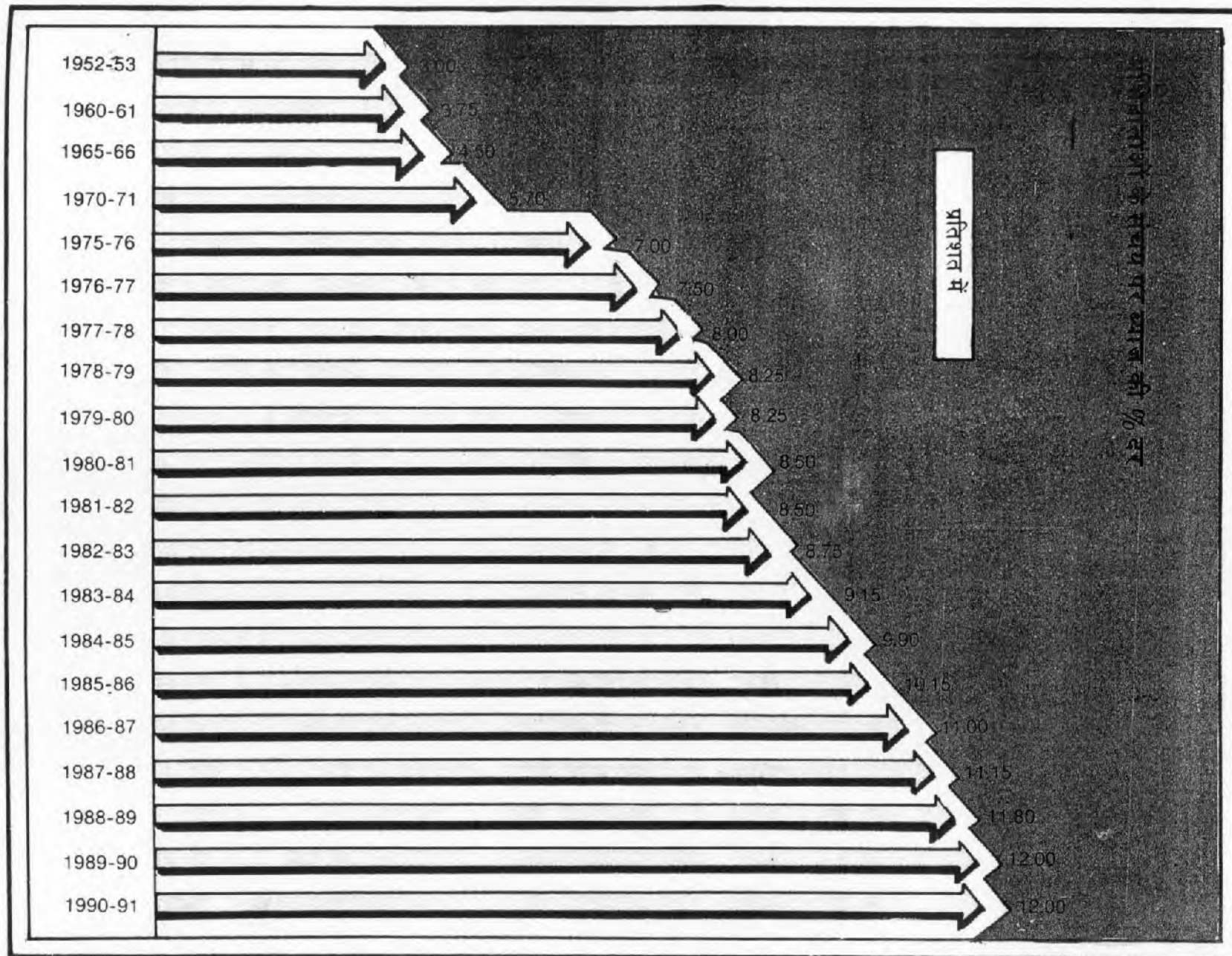
1.4.1986 से निवेश का प्रतिमान



उत्तरोत्तर स्थिति (करोड़ रुपयों में)

- कुल
- छूट प्राप्त
- अछूट प्राप्त

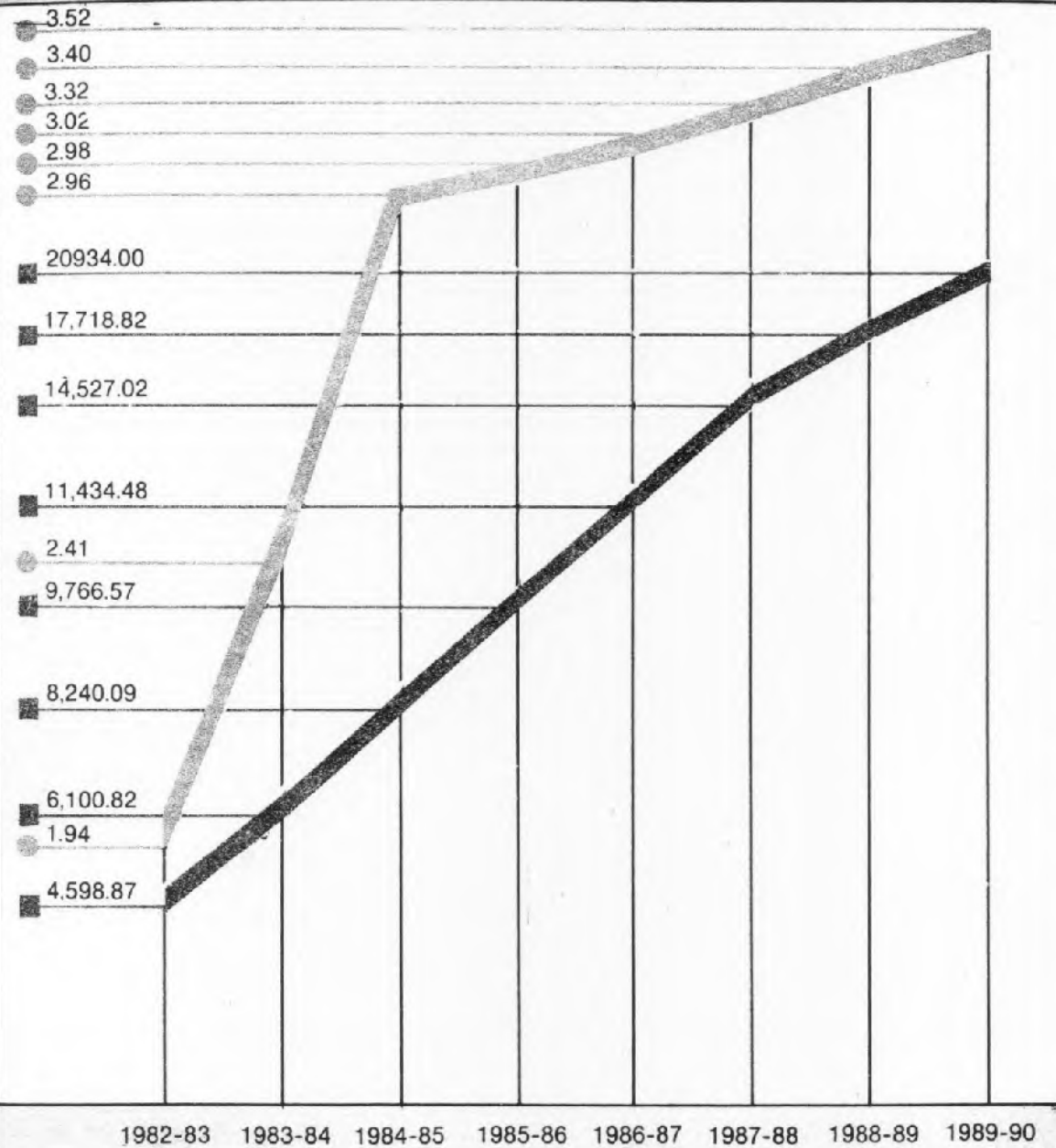




अछूट प्राप्त स्थापनाओं के अभिदाताओं
को मंजूर की गई वापसियों की स्थिति

स्वीकृत वापसियां
(मामलों की संख्या)

भुगतान के लिए
प्राधिकृत राशि (आँकड़े लाखों में)



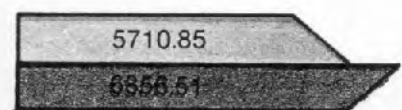
अछूट प्राप्त स्थापनों के अभिदाताओं की स्वीकृत श्रेणी-वार वापसी

श्रेणी-वार स्वीकृत
अग्रिम राशि
(संख्या)

1988-89
1989-90

श्रेणी-वार भुगतान के लिए स्वीकृत
अग्रिम राशि
(लाख रुपयों में)

विवाह/शिक्षा



जीवन बीमा पालिसी कर वित्त पोषण



स्थापना के अस्थायी रूप से बन्द होने के कारण



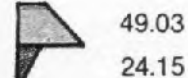
मकान पेशगी



बीमारी के लिए

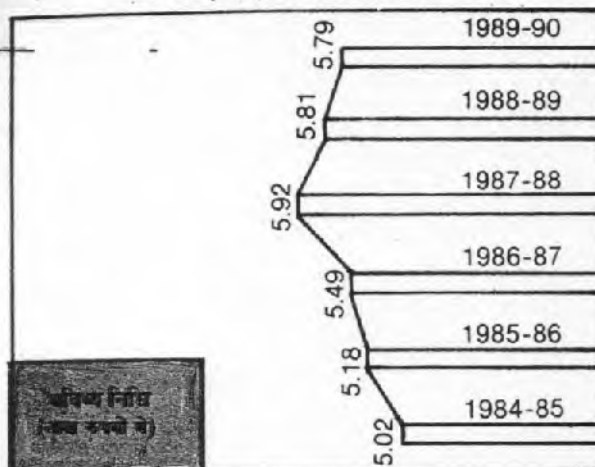


अन्य

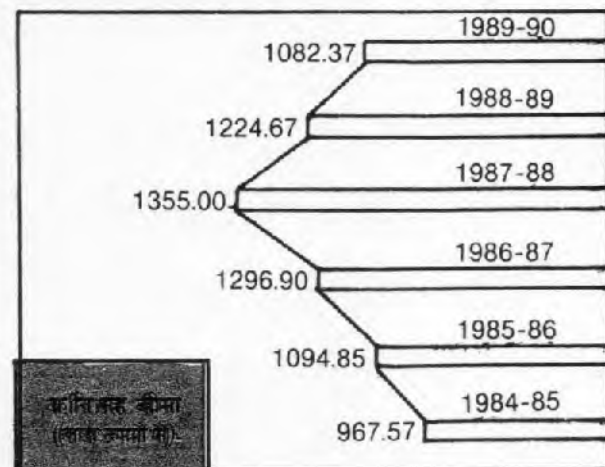
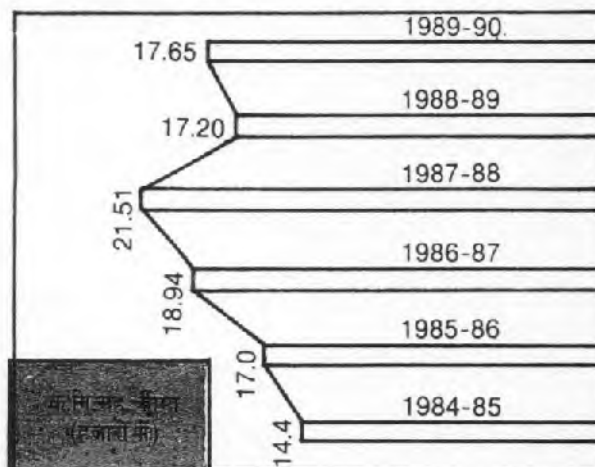
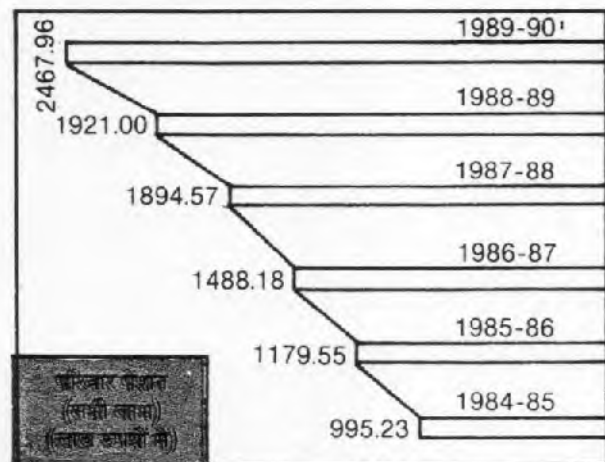
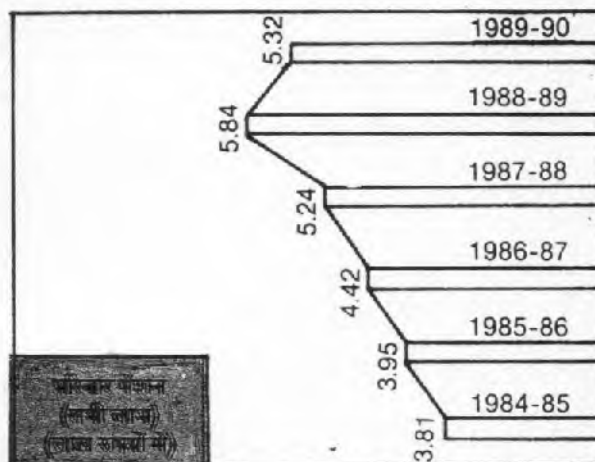
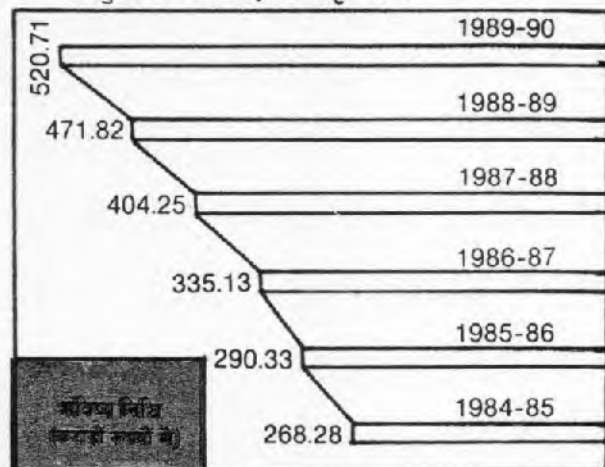


अछूट प्राप्त स्थापनाओं में अभिदाताओं के दावों के निपटारे की स्थिति

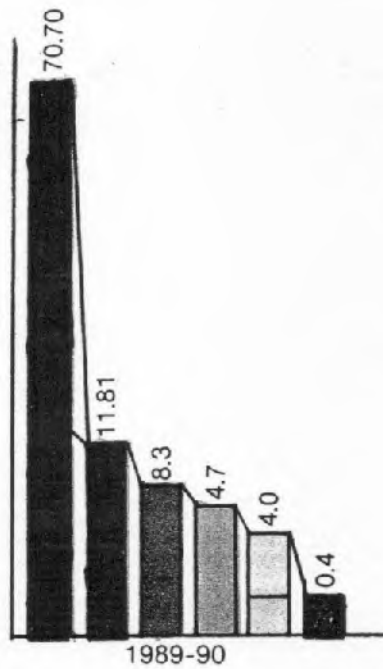
निपटाए गए दावों की संख्या



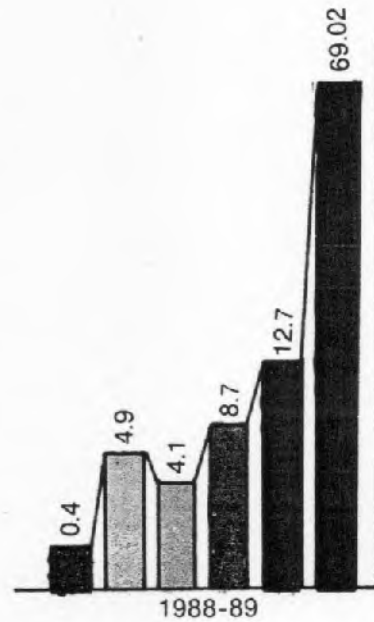
भुगतान के लिए प्राधिकृत राशि



भविष्य निधि दावों का श्रेणीवार निपटारा

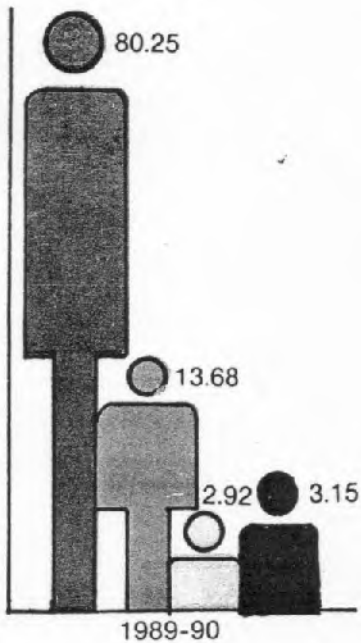


- त्याग पत्र
- छंटनी
- वार्धक्य सेवा निवृत्ति
- मृत्यु
- अन्य
- स्थायी अशक्तता

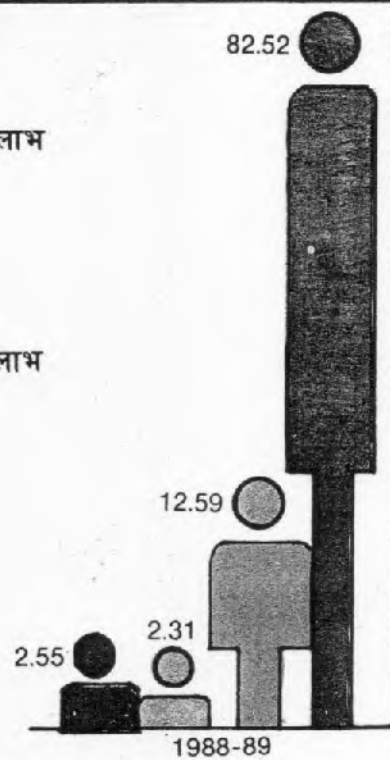


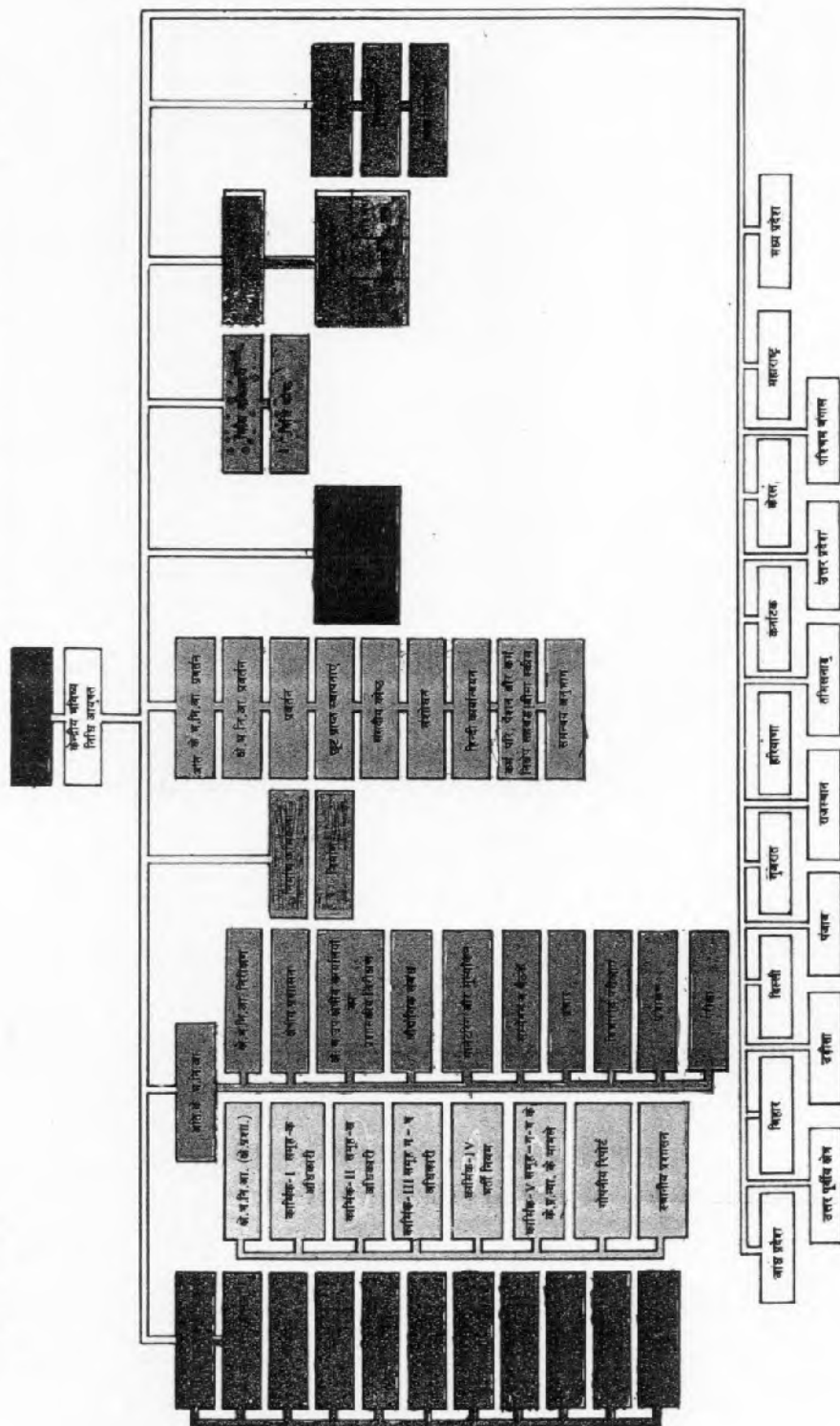
प्रतिशतता

परिवार पेंशन दावों का श्रेणीवार निपटारा



- सेवा निवृत्ति व वापसी लाभ
- वापसी धन
- जीवन बीमा लाभ
- मासिक परिवार पेंशन लाभ





अध्याय I

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्य सांख्यिकीय आंकड़े एक नज़र में

कार्यक्षेत्र (कवरेज)

1989-90

I.	31-3-90 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 जिन उद्योगों/स्थापना वर्गों पर लागू किया गया उनकी संख्या		174	
		छूट-प्राप्त	अछूट प्राप्त	जोड़
II.	(क) 31-3-90 को कार्यक्षेत्र के अधीन लाई गई स्थापनाओं की संख्या	2907 (2882)	192054 (178761)	194961 (181643)
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	25	13293	13318
III.	अभिदाताओं की संख्या (लाखों में)			
	(क) 31-3-90 को कर्मचारी भविष्य निधि	41.33 (41.99)	105.31 (100.99)	146.64 142.98
	(ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	(-) 0.66	4.32	3.66
	(ग) 31-3-90 को कुटुम्ब पेंशन निधि	27.43 (26.52)	76.51 (73.46)	103.94 (99.98)
अंशदान	प्राप्त अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि			
IV.	(i) वर्ष के दौरान	1845.22 (1387.47)	1313.32 (1037.14)	3158.54 (2424.61)
	(ii) उत्तरोत्तर	13138.30	9404.78	22543.08
		कर्मचारियों तथा नियोक्ता का अंशदान	सरकार का अंशदान	जोड़
	(ख) कुटुम्ब पेंशन निधि			
	(i) वर्ष के दौरान	207.81 (196.10) और	110.11 (85.68)	317.92 (281.78) और
	(ii) उत्तरोत्तर	1648.66	662.66	2311.32
	(ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि	नियोक्ता का अंशदान	सरकारी अंशदान	जोड़
	(i) वर्ष के दौरान	27.05 (23.93) और	19.38 (16.59)	46.43 (40.58) और
	(ii) उत्तरोत्तर	311.42	154.67	465.09

बकाया

(रु० करोड़ों में)

(क) कर्मचारी भविष्य निधि		
(i) बन्द होनवाली, स्थापनाधीन, अछूट प्राप्त स्थापनाओं आदि से	33.83	(32.77)
(ii) अन्य अछूट प्राप्त स्थापनाओं से कुल बकाया	64.93	(55.50)
	98.76	(88.27)
(iii) छूट प्राप्त स्थापनाओं पर बकाया	131.75	(129.56)
iv कुल प्राप्त अंशदान की तुलना में कुल बकाया राशि की प्रतिशतता	1.05.	(1.10./.)
(छूट प्राप्त + अछूट प्राप्त)		
(ख) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन निधि	10.51	(9.05)
(ग) कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा निधि (नियोक्ताओं से)		
(i) कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा अंशदान	3.27	(2.96)
(ii) प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार	1.34	(1.17)
(घ) सरकार से निम्नलिखित पर बकाया राशि		
(i) परिवार पेंशन अंशदान	29.30	(36.52)
(ii) प्रशासकीय प्रभार	10.46	(01.71)
(iii) कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा अंशदान	शून्य	(1.50)
(iv) प्रशासकीय प्रभार	2.47	(1.71)
कुल	42.23	(41.44)

निवेश

i. सिविल निवेश (करोड़ों में)	छूट प्राप्त	अछूट प्राप्त	जोड़
(क) कर्मचारी भविष्य निधि			
(i) वर्ष के दौरान	1846.24	1674.13	3520.37
	(1315.83)	(1265.03)	(2580.86)
(ii) उत्तरोत्तर	12688.92	10888.52*	23577.44

*प्रतिभूतियां प्रत्याहृत करने पर 2.05 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के पश्चात्

(ख) कर्मचारी परिवार पेंशन निधि (करोड़ रु० में)					
	कर्मचारी और नियोक्ता का भाग	सरकार का भाग	जमा किया गया व्याज	1988-89 तक वसूल की गई बकाया राशि और निवेश	जोड़
(i) वर्ष के दौरान	207.81	110.11	262.60	36.52	617.04
	(196.10)	(85.68)	(215.47)	(51.02)	(546.27)
(iii) उत्तरोत्तर	1649.06	611.13			
(ii) 31-3-90 को लेखा में निवेशित राशि					3537.67
					(2920.61)

(ग) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि (करोड़ रु० में)

	कर्मचारी का भाग	सरकार का भाग	बीमा से अर्जित व्याज प्रतिभूतियों एवं लोक लेखा पर	छुड़ाई गई प्रतिभूतियों का निवेश	1988-89 तक बसूल की गई बकाया राशि और निवेश	जोड़
i. वर्ष के दौरान	27.05 (23.93)	19.38 (16.59)	48.70 (41.38)	2.04 (3.48)	1.50 (0.27)	98.67 (85.65)
ii. 31-3-90 को प्रतिभूतियों में निवेश और लोक लेखा में जमा						647.65 (548.98)

व्याज दर

II. कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाताओं के लिए घोषित	1989-90 के लिये 12 प्रतिशत 1990-91 के लिये 12 प्रतिशत
--	--

दावे

VIII भविष्य निधि दावों का निपटान

	निपटाये गये दावे (लाखों में)	राशि (करोड़ों में)	अनिर्णीत मामले (लाखों में)
(i) वर्ष के दौरान	5.79 (5.81)	520.71 (471.83)	0.54 (0.54)
(ii) उत्तरोत्तर	96.50	3663.36	..
(ख) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन निधि दावे (सभी लाभ)		(लाख रु० में)	
(i) वर्ष के दौरान	5.32 (5.84)	2467.96 (1921.00)	0.63 (0.60)
(इसमें मासिक परिवार पेंशन का भुगतान शामिल नहीं है)			
(ii) उत्तरोत्तर	46.69	13474.11	..
(ग) मासिक परिवार पेंशन दावे वर्ष के दौरान	निपटाये गये (संख्या)	राशि (लाखों में)	बकाया (संख्या)
वर्ष के दौरान	16786 (14934)	960.22 (774.00)	4244 (4361)
(घ) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि दावे			
(i) वर्ष के दौरान	17653 (17201)	1082.37 (1224.67)	5385 (5614)
(ii) उत्तरोत्तर	163926	10326.72	

प्रत्याहरण

9. अभिदाताओं को प्रत्याहरण सम्बन्धी मामलों की स्वीकृति और अदायगी हेतु प्राधिकृत राशि (अछूट प्राप्त स्थापनाएं)

	अग्रिमों की संख्या (लाखों में)	निहित राशि (करोड़ रु० में)	बकाया (लाखों में)
(i) वर्ष के दौरान	3.52 (3.40)	209.34 (177.18)	0.21 (0.25)
(ii) उत्तरोत्तर	55.86	1111.01	

10. चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई —

(क) अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन मामले

	आरम्भ किये गये मामले	निर्णीत	अनिर्णीत (उत्तरोत्तर)
(i) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम	10777	2757	60383
(ii) कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम	4482	1143	20405
(iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम	4251	1023	17833

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र

	वर्ष के दौरान जारी		निर्णीत		बकाया (उत्तरोत्तर)	
	मामलों की संख्या	राशि (लाखों में)	मामलों की संख्या	राशि (लाखों में)	मामलों की संख्या	राशि (लाखों में)
(i) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम	5443	2640.70	3309	1827.42	33927	12279.65
(ii) कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम	3511	201.56	1703	76.01	22134	783.29
(iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम	3832	136.33	2111	33.56	20058	388.32

(ग) भारतीय दण्ड संहिता धारा 406/409 के अन्तर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त) स्थापनाएं—

	पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष		न्यायालय में	
(i) वर्ष के दौरान दर्ज कराए गए	454		39	
(ii) दर्ज/चालान निर्णीत मामले	(क) न्यायालयों के समक्ष दर्ज		39	(क) दोषसिद्ध 22
	(ख) पुलिस द्वारा वापिस लिए गए		84	(ख) दोषमुक्त 14
				(ग) खारिज ..
(iii) 31-3-90 तक न्यायालय/पुलिस के समक्ष बकाया मामले वार्षिक लेखा विवरणी (केवल अछूट प्राप्त स्थापनाएं)			पुलिस के पास 6497	न्यायालय में 462
(क) वर्ष के दौरान जारी			143.02	(123.97)
(ख) 31-3-90 को बकाया—				
(i) नियोक्ता से अपेक्षित विवरणी के कारण			76.11	(77.82)
(ii) अन्य			60.42	(69.39)

(i) कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष 1989-90 के दौरान तदनु रूप स्थिति दर्शाते हैं।

(ii) वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट विवरणियों पर आधारित हैं।

अध्याय II

महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य (1989-90)

1989-90 के दौरान विभिन्न कार्यक्षेत्रों में संगठन के कार्य नीचे दिए जा रहे हैं।

कार्यक्षेत्र	कार्य-निष्पादन		विभिन्नता	
	1989-90	1988-89	पूर्ण	प्रतिशतता
(क) कार्यक्षेत्र में लाई गई कवर्ड स्थापनाएं	1,94,961	1,31,643	13,318	7.33
(ख) लाभान्वित अभिदाता (लाखों में)	146.64	142.98	3.66	2.56
(ग) प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (करोड़ रु० में)	3,158.54	2,424.61	733.93	30.27
(घ) प्राप्त कुटुम्ब पेंशन अंशदान (करोड़ रु० में)	317.92	281.78	36.14	12.82
(ङ) कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा अंशदान (करोड़ रु० में)	46.43	40.58	5.85	14.42
(च) कुल प्राप्त अंशदान (सभी 3 स्कीमें)	3,522.89	2,746.97	775.92	28.24
(छ) भविष्य निधि निवेश (छूट प्राप्त + अछूट प्राप्त) (करोड़ रु० में)	3,520.37	2,580.86	939.51	36.40
(ज) कुटुम्ब पेंशन का लोक लेखा में निवेश (करोड़ रु० में)	3,537.67	2,920.61	617.06	21.13
(झ) लोक लेखा में कर्मचारी भविष्य निधि निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना निवेश (करोड़ रु० में)	647.65	548.98	98.67	17.97
(झ) धारा 7-क के अन्तर्गत निर्धारित देय राशि (मामलों की संख्या)	17,414	14,220	3,184	22.37
(ट) भविष्य निधि बकाया (अछूट प्राप्त) (करोड़ रु० में)	98.76	88.27	10.49	11.88
(ठ) भविष्य निधि बकाया (छूट प्राप्त) (करोड़ रु० में)	131.75	129.56	2.19	1.69
(ड) भविष्य निधि बकाया (अछूट प्राप्त + छूट प्राप्त) (करोड़ रु० में)	230.51	217.83	12.68	5.82
(ढ) कुल प्राप्त अंशदान का प्रतिशतवार बकाया	1.05	1.10	0.05	4.55
(ड़) बचत की वसूली हेतु चलाए गए अभियोजन	10,777	6,539	4,228	64.81

कार्यक्षेत्र	कार्यनिष्पादन		विभिन्नता	
	1989-90	1988-89	पूर्ण	प्रतिशयता
(ग) नियोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत दर्ज मामले	454	770	— 316	— 41.04
(त) भविष्य निधि के निपटाए गए दावे (संख्या लाखों में)	5.79	5.81	— 0.02	— 0.34
(थ) कुटुम्ब पेंशन स्कीम के दावे (सभी लाभ) (संख्या लाखों में)	5.32	5.84	— 0.52	— 8.56
(द) मासिक पेंशन दावे (संख्या)	16,786	14,934	1,852	12.40
(ध) कर्मचारी निशेष सहबद्ध बीमा योजना के निपटाए गए दावे (संख्या)	17,653	17,201	452	2.63
(न) अभिदाताओं को स्वीकृत आंशिक निकासी (आवेदनों की संख्या) (लाखों में)	3.52	3.40	0.12	3.53
(प) प्रभावित अन्तरण सम्बन्धी मामले	1,41,307	1,37,167	4,140	3.00
(फ) अभिदाताओं की जारी की गई वार्षिक विवरणी (लाखों में)	143.02	123.97	19.05	5.36
(ब) किए गए निरीक्षण	3,21,595	3,14,961	6,634	2.10

II. 2. यह देखा जा सकता है कि संगठन ने वर्ष के दौरान सभी कार्यक्षेत्रों में प्रगति की है।

II. 3. कार्य में सुधार और उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में संगठन ने वर्ष 1990-91 हेतु मानव-शक्ति संसाधन और आरम्भिक संरचना को अत्यधिक प्रभावशाली रूप से लागू करने और किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है तथा जिन क्षेत्रों से मूलभूत परिणाम मिल सकते हैं उन की पहचान करने के पश्चात संशोधित केन्द्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। मार्गनिर्देशी तत्वों को निम्नलिखित क्षेत्रों में आगे बढ़ाया गया है।

- (1) अभिदाताओं की सेवा
- (2) कर्मचारियों के बहुत बड़े वर्ग पर।
- (3) कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- (4) भविष्य निधि और अन्य वकायों के चालू और वकाया राजस्व की वसूली।

II. 4 उपरोक्त नीति के मापदण्डों के परिणामस्वरूप कार्ययोजना को पूर्णतः पुनः संरचना हुई है और इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पद्धति पूर्णतः प्रमुख उपलब्धियों वाले क्षेत्रों पर केन्द्रित है।

आशा है कि संगठन आने वाले वर्षों में और सुधार एवं प्रगति करेगा।

अध्याय III

संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभिदाताओं की संख्या और वित्तीय व्यवसाय के लिए संसार में सब से बड़ा भविष्य निधि संस्थान है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 सामाजिक सुरक्षा विधान है, जो औद्योगिक और व्यवसायिक स्थापनाओं के कर्मचारियों को, जहां उक्त अधिनियम लागू होता है, लाभ देने के लिए अनिवार्य भविष्य निधि स्कीम का संस्थापन है, जो अभिदाताओं के परिवार के सदस्यों को कुटुम्ब पेंशन और बीमा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह तीन स्कीमों में लागू करता है।

स्कीमों का प्रशासन

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड

III. 2. यह तीनों स्कीमों केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित हैं जो एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के 5 प्रतिनिधि, राज्य सरकार के 15 प्रतिनिधि, नियोक्ता संगठनों के 10 प्रतिनिधि, 10 प्रतिनिधि कर्मचारी संगठन के, और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्री बिन्देश्वरी दुवे, भूतपूर्व केन्द्रीय श्रम मन्त्री अधिकांश समय तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे। श्री राम विलास पासवान, केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने 2 दिसम्बर 1989 को बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार सम्भाला।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्कीमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार इसमें निहित निधि के प्रशासन हेतु बोर्ड की चार बैठकें हुई।

31 मार्च, 1990 तक बोर्ड के सदस्यों के नाम और पते "परिशिष्ट क-1" पर संलग्न है।

III. 3. बोर्ड की समितियां

सामान्य उद्देश्य समिति

समिति का गठन निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के लिए किया गया :—

- (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम और स्कीमों, संगठन, भवनों और केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामले।
- (ख) बजट प्रस्ताव, बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा, रिपोर्टें और
- (ग) ऐसे अन्य मामले जो समय समय पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा भेजे गए हों।

III. 4. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें हुई।

वित्त एवं निवेश समिति

समिति का गठन निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया :—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निवेश पर नजर रखना।
- (ख) अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यास राशि के समय पर निवेश किये जाने पर नजर रखना।
- (ग) समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित व्यापक निवेश पद्धति के अन्तर्गत छुड़ाई गई प्रतिभूतियों व्याज आदि के निवेश पुनर्निवेश के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को यथा आवश्यक निर्देश जारी करना।
- (घ) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के लिए व्याज की दर के निर्धारण पर विचार करना।

III. 5. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एक बैठक संचालित की गयी।

महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ साथ वर्ष 1990-91 हेतु ब्याज की दर को निर्धारित करना भी सम्मिलित था। समिति ने केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के समक्ष छूट आदि के रद्द होने पर प्रतिभूतियों के स्वतः अन्तरण के प्रश्न पर भी विचार किया और अधिनियम/स्कीम के उपबन्धों में उसकी आवश्यकता होने की इच्छा व्यक्त की।

III. 6. छूट प्राप्त स्थापनाओं विषयक समिति

इस समिति का गठन छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्य में सुधार तथा उपाय सुझाने के लिए किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति ने 3 बैठक की और चूक की स्थिति छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा ब्याज की दर कम घोषित किए जाने के कारणों, सामान्य भविष्य निधि स्थापनाओं के कार्य, वार्षिक लेखा विवरणी जारी करने और छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा भविष्य निधि राशि की चूक से सम्बन्धित स्थिति की पुनरीक्षा की छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्ड के कर्मचारी/नियोक्ता प्रतिनिधियों संयुक्त हस्ताक्षर से भविष्य निधि राशि का संवितरण करने की समिति को सिफारिश सरकार ने मान ली है और उसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

III. 7. क्षेत्रीय समितियां

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में यह उपबन्ध किया गया है कि प्रत्येक राज्य में तब तक एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया जाए जब तक प्रत्येक राज्य बोर्ड की स्थापना नहीं हो जाती।

मार्च, 1990 के अन्त तक कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के अन्तर्गत 17 क्षेत्रीय समितियां गठित की गईं जिनमें से दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश की राज्य समिति के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के प्रत्येक राज्य के लिए एक समिति गठित की गई है। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा II में उपबन्ध है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय समिति की दो बैठक होना अपेक्षित है। वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य की क्षेत्रीय समितियों की 3 बार और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली केन्द्रीय शासित प्रदेश की वर्ष के दौरान दो बैठकें आयोजित की गईं।

उप क्षेत्रीय कार्यालय

III. 8. 31 मार्च, 1990 तक विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसरण में 47 उप क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए।

निरीक्षण कार्यालय

III. 9. भविष्य निधि निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कार्यक्षेत्र में लाई गई स्थापनाओं के नियोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नियमित निरीक्षण कार्यों के अतिरिक्त उसे साथ ही साथ नियोक्ताओं और विभिन्न स्थापनाओं में निरीक्षण कार्य कर रहे कामगारों के सलाहकार का कार्य भी करना पड़ता है। निरीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि ऐसी सभी कवरनीय स्थापनाओं/पैक्टों को विधिवत कार्यक्षेत्र में लाया जा चुका है जो इसकी पात्र है तथा निधि की सदस्यता के लिए सभी पात्र कर्मचारियों को सदस्य बना लिया गया है। निरीक्षकों का यह भी कर्तव्य है कि चूकदार नियोक्ताओं के विरुद्ध न्यायालयों में अभियोजन दायर करें और तब तक उन पर कार्य कार्य करते रहें जब तक कि उनका अन्तिम निपटारा नहीं हो जाता। 31 मार्च, 1990 तक सारे देश में 161 भविष्य निधि निरीक्षणालय कार्य कर रहे थे।

III. 10. आजकल, प्रवर्तन अधिकारी को एक वर्ष में उस स्थापना का जहां 100 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं 2 बार निरीक्षण करना होता है और जहां 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वहां उसे 4 निरीक्षण करने अपेक्षित है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान गत वर्ष में किये गये 3,14,961 निरीक्षणों की तुलना में 3,21,595 निरीक्षण किये गये। इनमें से 8,478 निरीक्षण छूट प्राप्त स्थापनाओं और 2,94,019 अछूट प्राप्त स्थापनाओं के सम्बन्ध में किए गए और शेष 19,098 कार्यक्षेत्र में न लाई गई स्थापनाओं के निरीक्षण/सर्वेक्षण से सम्बन्धित है।

अध्याय IV

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952

कार्यक्षेत्र

IV. 1. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कवरेज हेतु अनुसूची-I में दी गई या अधिसूचित किये गये आर्थिक कार्य व्यापार का अलग-अलग क्षेत्रवार विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यक्षेत्रों के अधीन लाई गई अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार नियोजन प्रथकरण

क्रम सं०	एन्०आई० सी० डिजीजन नं०	डिजीजन का नाम	उद्योगों/स्थापना मार्गों की संख्या	कुल की प्रतिशतता
प्रमुख क्षेत्र				
1	0	कृषि, शिकार, वानिगी और मत्स्य	10	5.74
2	1	खनन और उत्खनन	34	19.54
3	2 और 3	बिनिर्माण (जिसमें मुरम्मत कार्य भी शामिल है)	90	51.72
4	4	विजली गैस और पानी	1	0.6
5	5	निर्माण	1	0.6
6	6	थोक और खुदरा व्यापार जलपान गृह तथा होटल सेवा क्षेत्र	6	3.42
7	7	परिवहन, भण्डारण और संचार	7	4.02
8	8	वित्त पोषण, बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यापार सेवाएं	9	5.17
9	9	समुदायिक सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	16	9.19

IV. 2. संगठन ने प्रवर्तन मशीनरी को बढ़ाकर कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाई जाने वाली सभी स्थापनाओं को अधिनियम के अन्तर्गत लाने का प्रयास जारी रखा और यह सुनिश्चित किया कि कार्यक्षेत्र के अधीन स्थापनाओं के सभी पात्र कर्मचारियों को अधिनियम/स्कीम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ मिल सकें। संगठन के वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों को तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2	31-3-89 तक	31-3-90 तक	1989-90 दौरान अतिरिक्त
1. अधिनियम के अन्तर्गत कवर्ड स्थापनाएं	1,81,643	1,94,961	13,318 (+ 7.33%)
2. लाभान्वित अभिदाता	1,00,98,600	1,05,31,028	4,32,428 (+ 2.56%)

IV. 3. अधिनियम के अन्तर्गत कार्यक्षेत्र में लाई गई 19,461 स्थापनाओं में से 2,907 छूट प्राप्त स्थापनाएं हैं और शेष 1,92,054 अछूट प्राप्त स्थापनाएं हैं।

1,46,64,548 अभिदाताओं में से 41,33,520 सदस्य छूट प्राप्त स्थापनाओं के हैं और 1,05,31,028 अभिदाता सांवाधिक फण्ड जिसे सामान्यतः अछूट प्राप्त फण्ड कहा जाता है, के हैं।

IV. 4. स्थापनाओं और अभिदाताओं के क्षेत्रवार विभाजन का ब्यौरा परिशिष्ट एस०-1 में दिया गया है। परिशिष्ट-एस०-1 से यह देखा जा सकता है, कि 7 क्षेत्र जैस कि नीचे दिखाया गया है, कवर्ड स्थापनाओं के प्रमुख संकेन्द्रण क्षेत्र में संस्थापित है।

क्षेत्र	कार्यक्षेत्र में लाई गई स्थापनाएं	लाभान्वित अभिदाता
कुल कवरेज	1,94,961	1,46,64,548
महाराष्ट्र, पंजिचमी बंगाल, तमिलनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और उत्तर प्रदेश	1,33,775	1,00,45,711
	कुल का प्रतिशत 68.60%	68.50%

स्वेच्छा से कार्य क्षेत्र में आना

IV. 5. 31 मार्च, 1990 तक ऐसी कोई स्थापना जो अन्यथा कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं लाई जा सकती है, भी अधिनियम की धारा 1(4) के अधीन नियोजता तथा अधिकांश कर्मचारियों की सहमति से स्वेच्छा के आधार पर अधिनियम की परिधि में आ सकती है पिछले वर्ष के दौरान कवर्ड की गई 471 स्थापनाओं की तुलना में रिपोर्टीधीन वर्ष के दौरान 887 स्थापनाएं कवर्ड की गई इसके साथ अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत कवर्ड की गई स्थापनाओं की कुल संख्या 10,235 है।

अस्थायी कवरेज को अन्तिम रूप देना

IV. 6. 31 मार्च, 1989 तक अस्थायी कवरेज को अन्तिम रूप देने के लिए 8,972 मामले थे। संगठन ने अस्थायी रूप से कार्यक्षेत्र में लाई गई स्थापनाओं के शीघ्र निपटान हेतु फील्ड फोरमेशन के साथ मानिट्रिंग पद्धति तैयार की जिसके परिणामस्वरूप 1960 मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया और कार्यक्षेत्र (कवरेज) की तिथि का पुष्टिकरण कर दिया गया। पिछले मामलों के सम्बन्ध में क्षेत्र कार्यालयों के प्रभारी को बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करने की सलाह दी गई है।

2. प्रमुख उद्योगों में स्थापनाओं एवं अभिदाताओं का (कन्सन्ट्रेशन) सकेन्द्रीकरण)

IV. 7. 31 मार्च, 1990 तक कुल 174 उद्योगों को अधिनियम की अनुचची-1 में विनिर्दिष्ट किया गया है अथवा अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र कवरेज के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। 174 उद्योगों/स्थापनाओं के वर्ग की सूची को परिशिष्ट क-2 पर दिया गया है।

IV. 8. 25 मुख्य उद्योगों/स्थापनाओं के अभिदाताओं और कवर्ड स्थापनाओं के आकड़ों को परिशिष्ट एस-2 में दिया गया है जहां 5 प्रमुख उद्योगों में स्थापनाओं एवं अभिदाताओं को बहुत अधिक सकेन्द्रीकरण है उन्हें तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका :-- 3

उद्योग	स्थापना कवर्ड	कार्यक्षेत्र में कुल का %	अभिदाता कवर्ड	कार्यक्षेत्र में कुल का %
कुल कवरेज	1,94,961	100%	1,05,31,028	100%
1. बिजली यांत्रिकी या सामान्य इंजीनियरी उत्पाद	32,758	16.80%	26,35,643	17.97%
2. वस्त्र	11,118	5.70%	16,41,130	11.19%
3. बीड़ी	3,264	1.67%	10,44,236	7.12%
4. व्यापारिक और वाणिज्यिक	20,331	10.43%	7,70,143	5.25%
5. सड़क मोटर परिवहन	3,801	1.95%	64,774	0.44%
कुल	71,272	36.55%	61,55,926	45.95%
25 उद्योगों/स्थापनावर्गों में संकेन्द्रण	1,30,569	66.96%	1,18,20,829	80.60%

अंशदान

IV. 9. 1 जून, 1990 से 98 उद्योगों/स्थापनावर्गों के लिए जहां 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, भविष्य निधि अंशदान की दर को बढ़ाकर वेतन का 10% प्रतिशत कर दिया गया है और अन्य के लिए वेतन का 8½% प्रतिशत पर पूर्ववत ही है।

IV. 10. वर्ष के दौरान कुल 3,158.54 करोड़ रुपये भविष्य निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए (1845.22 करोड़ रु० छूट प्राप्त स्थापनाओं से और 1313.32 करोड़ रु० अछूट प्राप्त स्थापनाओं से) स्कीम के प्रारम्भ होने से 22,543.08 करोड़ रुपये (13138.30 करोड़ रुपये छूट प्राप्त स्थापनाओं से और 9,404.78 करोड़ रुपये अछूट प्राप्त स्थापनाओं से) प्राप्त हुए। पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान स्थापनाओं की 32.99 प्रतिशत और अछूट प्राप्त स्थापनाओं की 26.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पिछले 5 वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान इस प्रकार है:—

तालिका 4—प्राप्त भविष्य निधि अंशदान

वर्ष	छूट प्राप्त स्थापनाओं से	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	अछूट प्राप्त स्थापनाओं से	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	जोड़ (छूट प्राप्त + अछूट प्राप्त अंशदान)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1985-86	860.21	10.3	687.96	27.3	1548.17	17.2
1986-87	1023.68	19.0	770.83	12.40	1794.51	15.9
1987-88	1151.15	11.07	850.80	10.37	2001.95	11.56
1988-89	1387.47	20.5	1037.14	21.9	2424.61	21.11
1989-90	1845.22	32.99	1313.32	26.63	3158.54	30.27

4. राष्ट्रीय बचत में अंशदान

तालिका 5—भारत में की गई निवल घरेलू बचतों की तुलना में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत बचत का प्रतिशत

वर्ष	भारत में निवल घरेलू बचत (करोड़ रु० में)	अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त कुल अंशदान (करोड़ रु० में)	कालम 2 की तुलना में कालम 3 की प्रतिशतता
1983-84	29622	1342	4.47
1984-85	33433	151	4.53
1985-86	30442	1815	5.9
1986-87	34148	2098	6.1
1987-88	35226*	2360	6.7

*स्रोत :—वर्ष 1987-88 की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट खण्ड-1 क्षेत्रवार निवल घरेलू बचत के अनुमान. (अन्तिम)

निवल घरेलू बचत से सम्बन्धित आंकड़े वर्ष 1987-88 तक उपलब्ध थे जिन्हें तालिका वार दिया गया है जिनसे यह विदित होता है कि भारत में 1987-88 में 35.226 करोड़ रुपये की कुल बचत में 2360 करोड़ रुपये की बचत अथवा कुल निवल घरेलू बचत का 6.7 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की तीनों स्कीमों के अन्तर्गत उद्भूत हुआ है। यह भी देखा जा सकता है कि भविष्य निधि अंशदान से देश के निवल घरेलू बचत में धीरे धीरे वृद्धि हुई है।

निवेश

31 मार्च, 1990 तक अछूट प्राप्त स्थापनाओं से सम्बन्धित कुल 10,888.52 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया जा चुका था। लेखा परीक्षा की शर्त के साथ तुलना पत्र में उन प्रतिभूतियों का मूल्य 10,899.92 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। वर्ष 1988-89 में कुल 1265.03 करोड़ रुपये की निवेशित राशि की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान कुल 1674.13 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया। वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि का व्यौरा तालिका-6 पर दिया गया है।

तालिका 6—अंकित मूल्य के आधार पर 1989-90 के दौरान प्रतिभूतियों के प्रकार अनुसार निवेश की गई राशि (व्याज वर)

श्रेणी	6.75 प्रतिशत	7 प्रतिशत	8.25 प्रतिशत	12 प्रतिशत	कुल
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	5.15	98.13	51.54	..	154.82
सरकारी गारन्टी शुदा प्रतिभूतियाँ विशेष	9.00	14.48	9.40	..	32.88
विशेष निक्षेप स्कीम				2259.26	2259.26—
जोड़	14.15	112.61	60.94	2259.26	2446.96

सकल जोड़	2,458. 40
छुड़ाई गई प्रतिभूतियां घटाएं	784. 27
	1,674. 13
वर्ष के दौरान वापस ली गई प्रतिभूतियां	2. 05
	1,672. 08

IV. 13. कर्मचारी भविष्य निधि (मुख्य लेखा) के निवेश सवियांग को परिशिष्ट एस-3 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 10,888. 52 करोड़ रुपये के निवेश में से 62566. 57 लाख रु० के निवेश की कम लाभ वाली प्रतिभूतियों में निवेश माना जा सकता है, चूंकि इसके प्राप्त होने वाले व्याज की दर 5.5 से 8 प्रतिशत के बीच है।

IV. 14. कम लाभ वाली प्रतिभूतियों को अधिक लाभ वाली प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य दिसम्बर, 1980 में आरम्भ किया गया था। तबसे प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रु० की राशि को परिवर्तित किया जाता है और अब तक कुल 500 करोड़ रुपये तक के मूल्य की प्रतिभूतियों को परिवर्तित किया जा चुका है।

IV. 15. छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे उसी पद्धति से निवेश करें जैसा कि अ-छूट प्राप्त सावधिक स्थापनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 31 मार्च, 1990 तक 12688. 93 करोड़ रु० की राशि का निवेश किया जा चुका है। वर्ष 1989-90 के दौरान कुल 1846. 25 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया गया। छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा वर्ष के दौरान किए गए निवेश का श्रेणीवार विवरणी तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका 7—छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान श्रेणीवार किया गया निवेश

क्र० सं०	श्रेणी	राशि (करोड़ रु० में)
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	34. 03
2	राज्य सरकार तथा राज्य या केन्द्र सरकार की गारंटी शुद्ध प्रतिभूतियां	295. 90
3	विशेष निक्षेप स्कीम	1,701. 18
3	जोड़ (सकल)	2,031. 11
5	घटाएं (छुड़ाई गई प्रतिभूतियां)	184. 87
6	जोड़ (निवल)	1,846. 24

IV. 16 इस प्रकार छूट प्राप्त तथा अ-छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान भविष्य निधि संचयों के लिए गए कुल 2,580. 86 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान कुल 3518.32 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया जा चुका था।

6. अभिदाताओं को व्याज की दर

IV. 17 कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 60 (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सदस्यों के खाते में जमा राशि पर वार्षिक व्याज दर की घोषणा करती है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 हेतु अभिदाताओं के लेखों में क्रेडिट करने के लिए 12 प्रतिशत व्याज दर की घोषणा की गई।

7. भविष्य निधि की बकाया राशि

IV 18 कार्यक्षेत्र के अधीन लाई गई सारे देश की 1,92,054 अ-छूट प्राप्त स्थापनाओं में से मार्च, 1990 के अन्त तक 12,640 स्थापनाओं ने भविष्य निधि की राशि अदा करने में चुक दी। बकाया स्थिति का क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका-8 में दिया गया है।

तालिका 8—31 मार्च, 1990 को अछूट प्राप्त स्थापनाओं पर भविष्य निधि बकायों का क्षेत्रवार विवरण (लाख ₹० में)

क्षेत्र	कार्यक्षेत्राधीन होने से पूर्व की संचित राशि	छूट रद्द होने पर संचित राशि	कार्यक्षेत्र के अधीन लाने के बाद की संचित राशि	31-3-90 को कुल बकाया	31-3-89 को कुल बकाया	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी (कालम 5-6)
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	434.84	434.84	338.41	96.43
उ० पू० क्षेत्र	0.00	0.00	87.72	87.72	57.12	30.60
बिहार	0.00	37.68	491.84	529.52	410.04	119.48
दिल्ली	0.00	0.00	273.27	273.27	188.87	84.40
गुजरात	0.00	0.00	404.84	404.84	339.37	65.47
हरियाणा	0.00	0.00	631.95	631.95	526.66	105.29
कर्नाटक	0.00	0.50	294.97	295.47	273.00	22.47
केरल	0.00	0.00	336.64	336.64	267.29	69.35
मध्य प्रदेश	0.00	359.85	1,061.87	1,421.72	1,448.94	—27.22
महाराष्ट्र	4.63	41.85	1,115.70	1,162.18	1,031.98	130.20
उड़ीसा	0.00	0.00	390.23	390.23	335.76	54.47
पंजाब	0.00	0.00	436.67	436.67	190.83	245.84
राजस्थान	0.94	0.00	277.20	278.14	310.83	—32.69
तमिलनाडु	0.00	57.61	843.19	900.80	832.49	68.31
उत्तर प्रदेश	0.00	259.21	1,387.43	1,646.64	1,525.57	121.07
प० बंगाल	6.00	17.00	622.25	645.25	750.00	—104.75
कुल	11.57	773.70	9,090.61	9,875.88	8,827.16	1,048.72

IV. 19. तालिका 8 से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष के अन्त में 88.27 करोड़ रुपये की तुलना में 31 मार्च 1990 की भविष्य निधि की कुल बकाया राशि 98.76 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान भविष्य निधि की बकाया राशि में 10.49 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश राजस्थान और पश्चिमी बंगाल ने न केवल बकाया में अंकुश लगाया है बल्कि इन तीन की बकाया राशि में क्रमशः 27.22 लाख 32.69 लाख और 104.75 लाख रुपये की कमी आई है। पिछले वर्ष से जिन क्षेत्रों के बकाया में वृद्धि हुई है उन्हें तालिका 9 में दिखाया गया है।

तालिका 9—वर्ष 1989-90 में जिन क्षेत्रों के बकाया में भारी वृद्धि हुई (अछूत प्राप्त स्थापनाएं)

(अछूत प्राप्त स्थापनाएं)

क्षेत्र	वर्ष के दौरान बकाया में वृद्धि (लाख रु० में)
1. पंजाब	245.84
2. महाराष्ट्र	130.20
3. उत्तर प्रदेश	121.07
4. बिहार	119.48
5. हरियाणा	105.29
6. आन्ध्र प्रदेश	96.43
7. दिल्ली	84.40
8. केरल	69.35
9. तामिलनाडु	68.31
10. गुजरात	65.47
11. उड़ीसा	54.47
12. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	30.60
13. कर्नाटक	22.47

II. 20. तालिका -9 से परिलक्षित होता है कि 9875.88 लाख रुपए के बकाया में से कार्यक्षेत्राधोन से पूर्व की संचित राशि का 11.57 लाख रुपए छूट रह कराने पर संचित राशि का 773.70 लाख रुपए बकाया था। इन दो वर्षों का बकाया 785.27 लाख रुपए या कुल बकाया का 8 प्रतिशत था। 31 मार्च 1989 तक कार्यक्षेत्राधोन के बाद का बकाया राशि 8029.39 लाख रुपए की तुलना में मार्च 1990 के अन्त में 9090.61 लाख रुपए थी जिसके साथ ही 13.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कार्यक्षेत्राधोन के बाद के बकाया में छः क्षेत्र अग्रणीय हैं यथा उत्तर प्रदेश (1387.43) महाराष्ट्र (1115.70) मध्य प्रदेश (1061.87) तमिलनाडु (843.19) हरियाणा (631.95) और पश्चिमी बंगाल (622.25)।

बकाया का विभाजन (उद्योगवार)

IV. 21. भविष्य निधि बकाया का उद्योगवार वर्गीकरण तालिका—10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10—31 मार्च 1990 को भविष्य निधि बकाया का उद्योगवार वर्गीकरण

क्षेत्र	वस्त्र	बिजली मैकेनिकल तथा सामान्य इन्जीनियरी	चीनी	चाय तथा चाय बागान	व्यापारिक एवं वाणिज्य स्थापनाएं	समाचार पत्र	जूट	लौह एवं इस्पात	भारी और परिकृत रसायन	सड़क मोटर परिवहन	बीड़ी	अन्य	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	2.28	26.35	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.25	4.23	24.60	0.42	139.82	434.84
उत्तर पू० क्षेत्र	6.38	0.18	0.39	18.98	10.69	6.29	6.03	0.12	0.65	0.05	1.07	42.89	87.72
बिहार	33.58	31.51	11.40	0.00	15.50	5.38	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	384.01	529.52
दिल्ली	2.25	40.34	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.85	1.23	2.30	0.00	187.10	273.27
गुजरात	166.48	61.94	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.58	404.84
हरियाणा	63.00	258.79	0.58	0.00	0.48	0.00	0.0	31.74	12.12	0.29	0.00	264.95	631.95
कर्नाटक	76.03	44.66	15.39	0.00	18.92	0.50	0.00	0.00	2.30	1.01	71.18	65.48	295.47
केरल	75.27	14.09	0.00	64.11	7.52	2.57	0.00	0.00	14.18	6.74	10.33	141.83	336.64
मध्य प्रदेश	1,265.00	15.00	0.62	0.00	0.00	6.10	0.00	0.55	28.00	0.00	10.00	96.45	1,421.72
महाराष्ट्र	586.45	284.95	24.31	0.00	45.64	0.39	0.00	22.56	19.25	1.25	0.00	177.38	1,162.18
उड़ीसा	18.31	15.42	0.04	0.00	13.90	1.90	0.00	5.68	4.42	19.84	0.65	310.07	390.23
पंजाब	25.81	68.48	1.94	0.50	52.44	7.24	0.00	3.29	0.00	8.95	0.00	268.02	436.67
राजस्थान	30.12	44.53	0.07	0.00	6.04	1.68	0.00	3.51	23.98	9.78	9.38	149.05	278.14
तमिलनाडू	294.11	134.25	0.00	36.45	87.35	0.83	0.00	0.00	13.95	10.96	127.90	195.00	900.80
उत्तर प्रदेश	492.46	214.23	539.39	0.78	7.70	43.86	0.30	66.52	2.45	21.42	0.00	257.53	1,646.64
पश्चिमी बंगाल	72.80	92.20	0.00	134.25	32.85	12.00	203.00	31.60	6.00	1.90	0.00	38.65	645.25
कुल	3,436.25	1,346.92	594.13	275.07	322.84	121.94	257.47	166.67	132.76	109.09	230.93	2,881.81	9,875.88

IV.22. उपरोक्त तालिका 10 यह दर्शाती है कि 174 उद्योगों/स्थापना वर्गों पर अधिनियम लागू होता है उनमें से केवल कुछ ही उद्योगों पर बकाया संकेन्द्रित है। कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा चूककर्ता है जिस पर 3436.25 लाख रुपए का बकाया है इसके बाद विजली मैकेनिकल तथा सामान्य इंजीनियरी उद्योग का नम्बर आता है जिस पर 1346.92 लाख रुपए चीनी उद्योग पर 594.13 लाख रुपए चाय तथा चाय बागान पर 275.07 लाख रुपए और व्यापारिक तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं पर 322.84 लाख रुपए बकाया है। इस प्रकार उपरोक्त पांच उद्योगों पर कुल 5975.21 लाख रुपए बकाया है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योगों जिनमें चूक पाई गई है वे हैं समाचारपत्र भारी और परिष्कृत रसायन लौह एवं इस्पात सड़क मोटर परिवहन और जूट। इन पांचों पर कुल बकाया में से 787.93 लाख रुपए बकाया है। इस प्रकार उपरोक्त दस उद्योगों पर कुल बकाया 6763.14 लाख रुपए हैं। अन्य रोचक विशेषता यह है कि पहले तीन मुख्य चूककर्ता उद्योगों के पश्चात संकेन्द्रीकरण अनुपात तेजी से कम हो जाता है। एक लाख और उससे अधिक के भविष्य निधि देय में चूक करने वाली अछूट प्राप्त स्थापनाओं की सूची परिशिष्ट एस-3 पर दी गयी है।

अन्य बकाया

IV.23. 31 मार्च: 1990 की भविष्य निधि की बकाया राशि 9875.88 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रशासन तथा निरीक्षण प्रभार के रूप में 325.63 लाख रुपए बकाया थे और भविष्य निधि अंशदान पर प्रशासनिक प्रभार की दर से भुगतान करने के कारण 4807.20 लाख रुपए शास्तिक नुकसानी के रूप में बकाया थे।

आरोपित एकवित की गयी शास्तिक नुकसानी की राशि तथा बकाया राशि के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट एस 7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 11—स्थापनाओं के प्रकार के अनुसार 31 मार्च, 1990 को भविष्य निधि बकाया का वर्गीकरण

क्रम सं०	बकाया का वर्गीकरण	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	बकाया राशि (लाखों में)
1.	स्थापनाओं के बन्द होने के कारण	485(491)	876.16(991.26)
2.	समापनाधीन स्थापनाएं	187(186)	515.82(495.11)
3.	उन स्थापनाओं से सम्बन्धित बकाया राशि जहां बसूली रोक दी गई है या जहां पुनर्निर्माण की योजनाएं उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है	319(347)	636.33(544.97)
4.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम/प्राधिकृत नियंत्रणों द्वारा अधिकार में ली गई इकाइयां जहां अधिग्रहण की राशि बकाया है और जहां देयताओं का भुगतान रुका पड़ा है	72.(72)	608.97(670.57)
5.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहित वे इकाइयां जिन पर अधिग्रहण के पश्चात और राष्ट्रीयकरण से पूर्व की राशि बकाया है	10(9)	92.65(137.66)
6.	उन इकाइयों पर अधिग्रहण से पूर्व बकाया राशि जिनका या तो औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया है या उन्हें सहायता दी जा रही है	9(9)	93.22(119.22)
7.	उन इकाइयों पर वर्तमान बकाया राशि जिनका या तो औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया है या उन्हें सहायता दी जा रही है	1(1)	301.48(33.96)
8.	रिसीवरी कस्टोडियनों द्वारा संचालित स्थापनाएं	19(31)	258.16(284.16)
9.	(1) से (8) का कुल जोड़	1102(1146)	3382.79(3276.91)
10.	अन्य किस्म की स्थापनाएं जिनके सम्बन्ध में प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं	11538(10315)	6493.09(5550.25)
	कुल योग	12640(11461)	9,875.88(8827.16)

बकाया का वर्गीकरण

IV. 24. तालिका-11 से पता चलेगा कि 3382.79 लाख रुपये की राशि ऐसी स्थापनाओं पर बकाया थी जो बन्द हो चुकी थी या बन्द होने वाली थी, समापनाधीन थी या उनके सम्बन्ध में वसूली का कार्य न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था या रुग्ण होने के कारण सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इन मामलों में संगठन को वसूली करने के लिए सीमित अधिकार प्राप्त है। अतः यदि हम (33.83 करोड़ रुपये) की बकाया राशि को घटा दें तो शेष बकाया 64.93 करोड़ रुपये का होगा जोकि कुल बकाया राशि का 65.75 प्रतिशत होगा।

IV. 25. यह भी देखा जा सकेगा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहित की गई रुग्ण कपड़ा मिलें कर्मचारी निधि भविष्य की देय राशि की अदायगी में चूक करने वाली मुख्य स्थापनाएं हैं जहां इसकी वसूली के लिए प्रभावी उपाय किए जाने पर दायरा बहुत समिति है। उन मिलों पर कुल 6.09 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इस राशि में प्रशासकीय प्रभार और नुकसानी शामिल नहीं है। यह बकाया देय राशि अधिग्रहण से पूर्व की अवधि की है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि की भविष्य निधि की बकाया देय राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः अधिग्रहण से पूर्व की अवधि की देय राशि तथा उस अवधि के दौरान जिसमें प्रबन्ध प्राधिकृत नियन्त्रकों के अधीन था, देय राशि की वसूली संदाय आयुक्त के अधिकार में रखी गई क्षतिपूर्ति राशि में से की जाती है। तदनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों ने आवश्यक दावे संदाय आयुक्त के पास दायर किए हैं।

IV. 26. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा सहायता प्राप्त/अधिग्रहित स्थापनाओं की पिछले वर्ष 119.22 लाख रुपये की बकाया राशि की तुलना में मार्च, 1990 के अन्त में 93.22 लाख रुपये की राशि बकाया थी। इस मामले में कठिनाई यह है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने स्थापनाओं को अपने सीधे प्रबन्ध के अन्तर्गत अधिग्रहित करने से पूर्व की अवधि की बकाया देय राशि का भुगतान करने मना कर दिया है। उन इकाइयों के सम्बन्ध में जिनमें भारती औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम अपने नामित निदेशक के माध्यम से सहयोग कर रहा है, के भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि बकाया राशि का भुगतान करने की उनकी जिम्मेदारी बहुत सीमित थी।

रुग्ण हुई चूकदार स्थापनाओं को राहत देने के उद्देश्य से बकाया के लिए जारी किए गए मार्ग निर्देशों की शर्तों पर किशतों के माध्यम से समाप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। 31 मार्च, 1990 तक 15.54 करोड़ रुपये की बकाया राशि को किशत स्कीम के अन्तर्गत कवर किया गया है। अतः उपरोक्त बकाया राशि को किशत स्कीम के अन्तर्गत उल्लिखित समय अवधि के अनुसार वसूल कर लिया जाएगा।

IV. 27. तालिका 12 में भविष्य निधि अंशदान की देय राशि, प्राप्त राशि और बकाया राशि की वर्षवार स्थिति दर्शाई गई है। तालिका से पता चलता है कि कुल प्राप्त अंशदान की तुलना में बकाया का प्रतिशत पिछले पांच वर्षों से एक प्रतिशत के आस-पास ही रहा है।

तालिका-12 : — भविष्य निधि अंशदान की देय राशि, प्राप्त राशि तथा बकाया राशि का वर्षवार विवरण।

दिनांक की स्थिति	भविष्य निधि अंशदान की कुल देय राशि (करोड़ रु०)	भविष्य निधि अंशदान की प्राप्त राशि (करोड़ रु०)	अंशदान की कुल बकाया राशि (करोड़ रु०)	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बकाया में बढ़ोतरी (करोड़ रु०)	प्राप्त अंशदान की तुलना में बकाया का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
31-3-86	5493.74	5432.69	58.30	6.00	1.2
31-3-87	6275.49	6203.52	72.97	13.67	1.1
31-3-88	7133.06	7054.32	78.74	6.77	1.1
31-3-89	8179.73	8091.46	88.27	9.53	1.1
31-3-90	9503.54	9404.78	98.76	10.49	1.05

चूकदार स्थापनाओं के विरुद्ध कार्रवाई

IV. 28. संगठन ने अछूट प्राप्त स्थापनाओं से भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय किए :—

देय राशि का निर्धारण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-7क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किया जाता है। पिछले वर्ष के 14230 मामलों की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान 17,414 मामलों में देय राशि का निर्धारण किया गया। 31 मार्च, 1990 तक देय राशि निर्धारण के 14,002 मामले क्षेत्रीय आयुक्तों के समक्ष सुनवाई की विभिन्न अवस्थाओं पर अनिर्णीत पड़े थे। इन मामलों की बकाया की स्थिति समय अन्तराल के अनुसार नीचे दी गई है :—

धारा-7क के लम्बित मामलों की स्थिति

(क) एक महीने से कम	2214
(ख) एक से तीन महीने	3718
(ग) तीन से छः माह के भीतर	3487
(घ) छः मास से एक वर्ष के भीतर	2335
(च) एक से दो वर्ष के भीतर	1992
(छ) दो से तीन वर्ष के भीतर	39
(ज) तीन से पांच वर्ष के भीतर	360
(झ) पांच वर्ष से अधिक	139
कुल	14,002

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 धारा-8 के अंतर्गत कार्रवाई

IV. 29. धारा 7-क के अन्तर्गत देय राशि का निर्धारण हो जाने पर स्थापनाओं को निर्धारित देय राशि की सूचना देते हुए आख्यापक आदेश जारी किए जाते हैं। निर्धारित देय राशि को नियोक्ताओं द्वारा निश्चित अवधि के भीतर जमा करवाया जाना होता है। जिन मामलों में नियोक्ता निर्धारित देय राशि जमा नहीं करवाते वहां संगठन द्वारा देय राशि की वसूली के लिए जिला कलैक्टर को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं जैसा कि अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है।

IV. 30. वर्ष के दौरान क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा 5,443 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए जिनमें 2,640.70 लाख रुपये की राशि निहित थी। इसी अवधि के दौरान 3,309 राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के कार्यान्वित कर 1,827.42 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। 31 मार्च, 1990 को 33,927 राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों को कार्यान्वित करना शेष है जिनमें 12,279.65 लाख रुपये की राशि निहित है। वर्ष के अन्त तक जारी किए गए, कार्यान्वित किए गए और बकाया पड़े राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के क्षेत्रवार आकड़े परिशिष्ट एस-4 पर दिए गए हैं।

अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत कार्रवाई

IV. 31. इस दिशा में की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

एक अप्रैल, 1989 को बकाया पड़े मामले	52,363
जोड़ :—1989-90 के दौरान चलाए गए नए मामले	10,777
निपटान के लिए कुल मामले	63,140

वर्ष के दौरान निर्णीत मामले :—

दोष सिद्ध	2,330	
दोष मुक्त	227	
वापस किए गए	285	
खारिज/बरखास्त किए गए	15	2,757
31 मार्च, 1990 को बकाया मामले		60,383

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत चलाए गए अभियोजन मामलों के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट एस-5 पर किए गए हैं।

IV. 32. कर्मचारियों के वेतन से काटे गए भविष्य निधि अंशदान को जमा न कराने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्डसंहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दायर की गई शिकायतें

तालिका-13 (i) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन मामले

1 अप्रैल 1989 को पुलिस के पास बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट	..	6,166
वर्ष 1989-90 के दौरान पुलिस के पास दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट	..	454
पुलिस द्वारा समाप्त की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट	..	84
वर्ष के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट में दायर किए गए चलान	..	39
31 मार्च 1990 को पुलिस के पास बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट	..	6,497

तालिका 13 (ii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन मामले

1 अप्रैल 1989 को कोर्ट में बकाया अभियोजन मामले	..	459
वर्ष के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट में दायर किए गए चलान	..	33
कोर्ट में सीधे दायर की गई शिकायतें	..	6
कोर्ट के समक्ष निपटान हेतु कुल मामले	..	498
निर्णीत मामले	..	36
दोष सिद्ध	22	
दोष मुक्त	14	
खारिज/बरखास्त	0	
31 मार्च 1990 को बकाया मामले	..	462

पुलिस के समक्ष दायर किए गए मामलों तथा निपटान बकाया आदि का क्षेत्रवार न्यौरा परिशिष्ट-एस" 6 के भाग-1 और 11 में दिया गया है।

IV/33 वर्ष के दौरान 14198 नोटिस जारी किए गए और अधिनियम की धारा 14-ख के निबधनों के अनुसार 13 712 आख्यापक आदेश जारी कर नुकसानी लगाई गई। इस अवधि के दौरान देरी से अदायगी करने पर 616.27 लाख रु० की राशि नुकसानी के रूप में लगाई गई। इस शीर्ष के अंतर्गत 165.15 लाख रु० की राशि वसूल की गई। वर्ष के अन्त में 4807.08 लाख रु० की राशि वसूल की जानी शेष थी। 31 मार्च 1990 तक भविष्य निधि अंशदान पर लगाई गई वसूल की गई और बकाया शास्तिक नुकसानी के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट-ए-7 पर दिए गए हैं।

जूट मिलों से भविष्य निधि बकाया की वसूली

IV.34 पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में वर्ष 1989-90 के दौरान चूकदार जूट मिलों में भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 31 मार्च 1989 को भविष्य निधि देशों में चूक कर रही छूट प्राप्त क्षेत्र की 31 जूट मिलों और अछूट प्राप्त क्षेत्र की 5 जूट मिलों की तुलना में 31 मार्च 1990 की छूट प्राप्त क्षेत्र में 29 स्थापनाएं और अछूट प्राप्त क्षेत्र में 5 स्थापनाएं चूक कर रही थी और 31 मार्च 1989 को बकाया की जो राशि 86.97 करोड़ रु० थी वह 31 मार्च 1990 को घटकर 84.65 करोड़ रु० रह गई थी। यद्यपि बकाया की स्थिति में नाममात्र की कमी हुई है तथापि यह इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले कई वर्षों के दौरान यह पहला अवसर है कि चूकदार जूट मिलों से संबंधित कुल बकाया में पहली बार कमी आई है।

IV/35 यह सुधार चूक की स्थिति को लगातार समीक्षा किए जाते रहने के परिणामस्वरूप सम्भव हुआ। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 4 अप्रैल, 1989 को हुई अपनी बैठक में जूट मिलों से बकाया की वसूली की स्थिति की समीक्षा की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चूकदार जूट मिलों के विरुद्ध कठोर कानूनी/शास्तिक कार्रवाई की जानी चाहिए। बोर्ड के निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने, 12 जून, 1989 को चूकदार प्रबंधकों के साथ कलकत्ता में एक बैठक की। राज्य सरकार के प्रदाधिकारियों, जूट, आयुक्त आदि के अतिरिक्त भारतीय जूट विनिर्माता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संगठन किसी भी चूककर्ता के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने में हिचकिचाएगा नहीं यह भी स्पष्ट करने से सहयोग करने का इच्छुक हो तो ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकता है।

11/36 नियोक्ताओं तथा भारतीय जूट विनिर्माता एसोसिएशन ने समस्या की गम्भीरता को महसूस किया तथा संगठन को गम्भीरतापूर्वक आश्वासन दिया कि ये वर्तमान बकायों की तत्परता से अदायगी करेंगे। सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन ने भी इन चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और क्षेत्रीय प्रशासन को रचनात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने भी पूर्ण समर्थन दिया और चूकदार इकाइयों के विरुद्ध अभियान में सहयोग दिया। राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक के सहयोग से प० बंगाल में चूकदारों के विरुद्ध सामूहिक रूप से छापे मारे गए और स्थापनाओं के कार्यकलाप के लिए कानूनीरूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत हिरासत में ले लिया गया।

11/37 चूकदारों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के लिए फील्ड मशीनरी को सुदृढ़ बनाने हेतु और विभिन्न एजेंसियों आदि द्वारा की गई कार्रवाई में समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्र ० भ० नि० आयुक्त का कार्यालय, पश्चिम बंगाल में एक जूट सैल स्थापित किया गया है। जूट सैल की गतिविधियों पर केन्द्रीय कार्यालय कड़ी निगरानी रखता है।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालन

IV.38. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया राशि का क्षेत्रवार व्यौरा तालिका-8 पर दिया गया है। इससे यह पता चलेगा कि 9875.88 लाख रुपये की कुल बकाया राशि में से सार्वजनिक क्षेत्र पर 2441.37 लाख रुपये (24.7%) की राशि बकाया है और निजी क्षेत्र पर 7434.51 लाख रुपये (75.3%) की बकाया है।

तालिका-14: 31 मार्च, 1990 को अ-छूट प्राप्त क्षेत्र (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर भविष्य निधि बकाया का विवरण)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल बकाया
आन्ध्र प्रदेश	8.07	426.77	434.84
उत्तरीपूर्वी क्षेत्र	22.54	65.18	87.72
बिहार	108.75	420.77	529.52
दिल्ली	10.00	263.27	273.27
गुजरात	31.45	373.69	404.84
हरियाणा	0.00	631.95	631.95
कर्नाटक	9.65	285.82	295.47
केरल	124.62	212.02	336.64
मध्य प्रदेश	738.31	683.41	1421.72
महाराष्ट्र	213.48	948.70	1162.18
उड़ीसा	73.36	316.47	390.23
पंजाब	59.05	377.62	436.67
राजस्थान	36.55	241.59	278.14
तामिलनाडू	0.00	900.80	900.80
उत्तर प्रदेश	678.76	967.88	1646.64
पश्चिम बंगाल	326.68	318.57	645.25
जोड़	2441.37	7434.51	9578.88

तालिका-15--31 मार्च 1990 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालन की स्थिति

	कार्यक्रम में लाई गई			अनुपालन न करने वालों की संख्या		
	छूट प्राप्त	अछूट प्राप्त	कुल	छूट प्राप्त	अछूट प्राप्त	कुल
(क) केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/निगम	292	78	570	17	44	61
(ख) राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां निगम	344	1,946	2,290	3	55	58
(ग) स्थानीय निकाय/नगरपालिकाएं नगर निगम	23	94	117	3	26	29
(1) कुल (क से ग तक)	659	2,318	2,977	23	125	148
(2) जोड़ें: विभागीय उपक्रम (तालिका 1-ख)	150	1,498	1,648	49	220	269
(3) कुल जोड़	809	3,816	4,625	72	345	417

IV. 39 तालिका-15 देखने से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की 4,625 स्थापनाओं में से 417 स्थापनाओं (9%) द्वारा अधिनियम और उसके अंतर्गत रचित तीनों स्कीमों के सांविधिक उपबंधों का पूर्णतः या आंशिक रूप से पालन नहीं किया गया है।

IV. 40 इनमें से बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चूक ठेकेदारों के श्रमिकों पर अधिनियम को लागू न करने, परिवार पेंशन स्कीम/कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू न करने तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्रशासन/निरीक्षण प्रभार आदि की अदायगी न करने से संबंधित है।

9. भविष्य निधि दावों का निपटान

IV. 41 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 5,79,616 दावों को निपटाया गया और 520.71 करोड़ ₹ की राशि अदायगी के लिए प्राधिकृत की गई जबकि वर्ष 1988-89 में 5,81,360 निपटाए गए दावों पर 471.83 करोड़ ₹ की राशि अदायगी के लिए प्राधिकृत की गई थी। यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या में 1,644 दावों या 0.34% की घटोती हुई है तथापि अदायगी के लिए प्राधिकृत की गई राशि में 48.88 करोड़ ₹ की वृद्धि हुई है। वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक निपटाए गए दावों पर प्राधिकृत की गई औसत राशि 8,121 ₹ की तुलना में वर्ष के दौरान वह औसत 8,982 ₹ रही। तालिका 16 में पिछले पांच वर्षों में निपटाए गए दावों की संख्या और उन पर अदा किए जाने के लिए प्राधिकृत की गई राशि सूचित की गई है।

तालिका 16—निपटाए गए दावों की संख्या और उन पर अदा किए जाने के लिए प्राधिकृत की गई राशि

वर्ष	निपटाए गए दावों की संख्या (लाखों में)	प्राधिकृत की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1985-86	5.18	290.33
1986-87	5.49	335.13
1987-88	5.92	404.25
1988-89	5.81	471.83
1989-90	5.79	520.71

स्कीम के आरम्भ होने से लेकर 96.5 लाख निपटाए गए दावों के लिए 3,663.36 करोड़ रुपए की राशि अदायगी के लिए प्राधिकृत की जा चुकी है।

IV. 42 वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाए गए भविष्य निधि दावों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-एस-8 पर दिया गया है। इस परिशिष्ट का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 6,33,671 दावे निपटान के लिए बकाया पड़े हैं (इसमें सुधार के लिए वापस किए गए दावे शामिल नहीं हैं) (इसमें 5,79,716 दावे निपटाए गए और 34,030 दावे आवेदन प्राप्त होने से 20 दिन के भीतर निपटा दिए गए थे)।

IV. 43 यह भी देखा जा सकता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1,08,861 लाख दावे सदस्यों को सुधार के लिए वापस या रद्द किए गए जोकि वर्ष के दौरान प्राप्त दावों का 15.81% है। दावे विभिन्न कारणों से सुधार के लिए वापस किए गए जैसे कि :-

- दावों के निपटारे के लिए मुख्य सूचना शामिल न किए जाने के कारण ;
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न न होने तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित न होने के कारण
- ऐसे व्यक्तियों द्वारा दावे प्रस्तुत होने के कारण जो अदायगी प्राप्त होने के हकदार नहीं थे।

IV. 44 वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाए गए दावों का श्रेणीवार विवरण तालिका-17 पर दिया गया है। इस तालिका से यह पता चलता है कि दावों का प्रमुख प्रतिशत अर्थात् कुल दावों के 90.83% दावे त्यागपत्र, छटनी और सेवानिवृत्ति के कारणों से निपटाए गए।

तालिका-17 वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाए गए दावों का श्रेणीवार विवरण (करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	श्रेणी	निपटाए गए दावों की सं०	कुल निपटाए गए दावों की प्रतिशतता	भुगतान किए जाने के लिए प्राधिकृत की गई राशि (करोड़ रु० में)
1.	मृत्यु	27,425	4.73	43.00
2.	त्यागपत्र	4,10,052	70.70	272.04
3.	छटनी	68,371	11.81	77.57
4.	सेवानिवृत्ति	48,156	8.32	104.50
5.	स्थायी आशक्तता	2,240	0.40	2.91
6.	अन्य	23,472	4.04	20.69
	कुल	5,79,716	100.00	520.71

IV. 45 निपटान के लिए बकाया पड़े दावों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-एस-9 पर दिया गया है जिससे पता चलेगा कि 42,824 दावे दो माह से कम अवधि के बकाया थे, 10,894 दावे दो से छः मास की अवधि के बकाया थे और 234 दावे छः माह से अधिक की अवधि के बकाया थे।

दावों को शीघ्र निपटाने के किए गए उपाय

संगठन ने पद्धतियों को सरल और कारगर बनाकर दावों के शीघ्र निपटान के लिए कई उपाय किए।

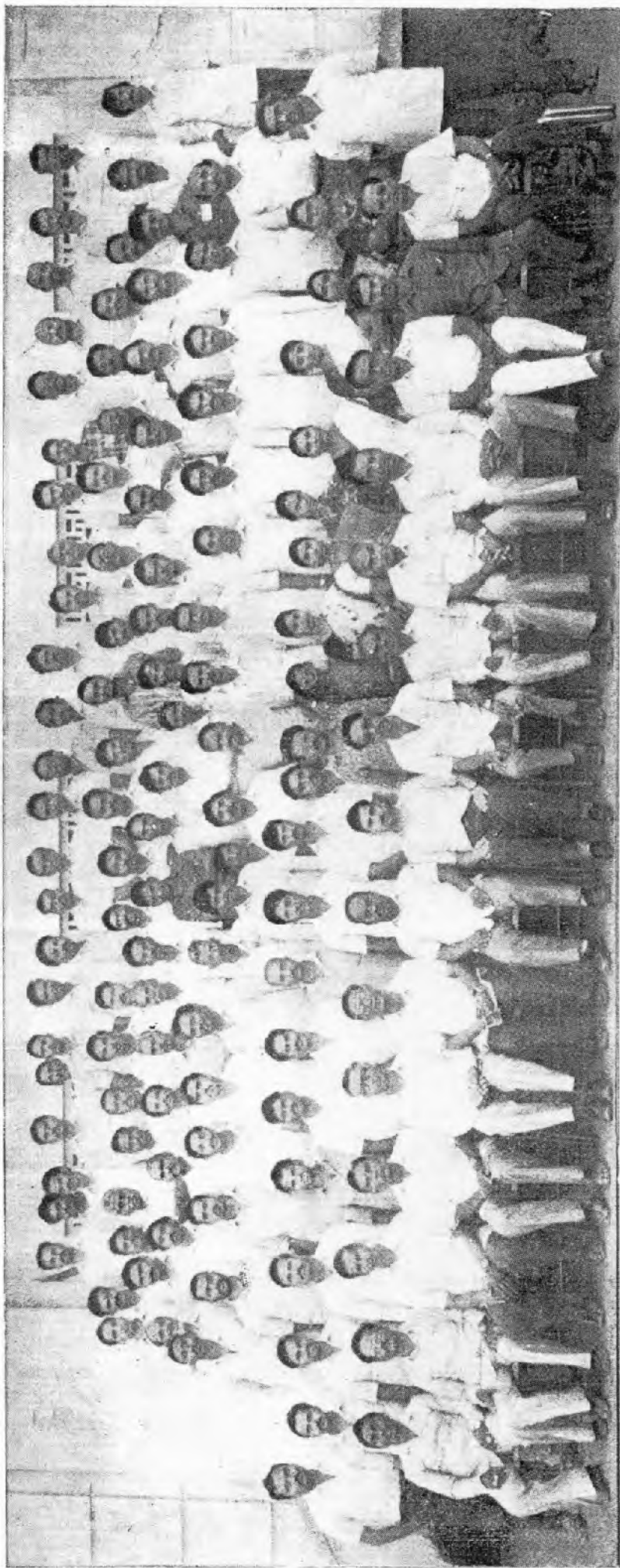
IV. 46 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को यह सलाह दी गई थी कि जिन मामलों में लापता क्रेडिट के कारण 20 दिन के भीतर पूरी अदायगी न की जा सकती हो उनमें सदस्य के खाते में जमा राशि की सीमा तक आंशिक निपटान 20 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। लापता क्रेडिट सहित शेष राशि की अदायगी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर कर दी जानी चाहिए।

IV. 47 उपरोक्त पालिसी को प्रभावीरूप से क्रियान्वित करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निदेश दिया गया था कि वे अपने क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा लिपिकों के दैनिक कार्यों पर नजर रखें। क्षेत्रीय आयुक्तों को कहा गया था कि वे लेखा-लिपिकों के लिए निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार कार्यों को पूरा करने और न-पूरा करने वाले कर्मचारियों की संख्या का पता लगाएं। उन्हें यह भी सलाह दी गई थी कि वे उन-कर्मचारियों के नाम जिनका कार्य उत्पादकता मानकों से कम रहा, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करें। जिन कर्मचारियों का कार्य निष्पादन लगातार मानकों से कम पाया गया उन्हें केंद्रीय कार्यालय द्वारा मानिटर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दावों के निपटारे के संबंध में सभी क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है इस संबंध में सभी कार्यालयों के कार्य निष्पादन का केंद्रीय कार्यालय द्वारा ध्यानपूर्वक मानिटर किया जाता है।

10 भविष्य निधि लेखों का स्थानान्तरण

IV. 48 वर्ष 1989-90 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के अभिदाताओं से संबंधित कुल 1,41,307 लेखों का स्थानान्तरण किया गया जबकि पिछले वर्ष 1:37:167 दावे स्थानान्तरित किए गए थे जिससे पता चलता है कि इसमें 4,140 दावों की वृद्धि हुई। 31 मार्च 1990 को क्षेत्रीय कार्यालयों में 26,346 स्थानान्तरण हेतु आवेदन बकाया पड़े थे। 31 मार्च 1990 को स्थानान्तरण किए गए तथा बकाया पड़े भविष्य निधि लेखों का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर तालिका-18 में दिया गया है।

एक अति उत्तम कार्यालय



उप-राष्ट्रीय कार्यालय, गंदूर का स्टाफ जिस नै 20 दिन के अन्दर दावों को निपटाने का प्रशंसनीय कार्य किया

तालिका—18 स्थानान्तरित किए गए भविष्य निधि लेखों की संख्या

श्रेणी	स्थानान्तरित किए गए लेखों वर्ष		वर्ष के अन्त तक स्थानान्तरण आवेदन	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
(1) ऐसे मामले जिनमें भविष्य निधि राशि वास्तविक रूप से अन्तरित की गई	56050	60439	12243	9384
(2) ऐसे मामले जिनमें भविष्य निधि संचय के वास्तविक स्थानान्तरण शामिल नहीं है	81117	80868	17625	16962
कुल	137164	141307	29868	26346

IV. 49. भविष्य निधि लेखों/संचयों के अन्तरण के लिए बकाया पड़े आवेदनों में से 13 954 आवेदन एक माह से कम अवधि के थे और 9538 आवेदन एक से तीन माह की अवधि के भीतर बकाया थे। अतः 23 592 मामले केवल 3 माह से कम अवधि के बकाया थे, अन्य 2244 मामले 3 से 6 माह की अवधि के भीतर के बकाया थे। इसके अतिरिक्त 602 मामले 6 से 12 महीने की अवधि के भीतर बकाया के थे। 8 मामले उड़ीसा में एक वर्ष से अधिक की अवधि के बकाया थे। 31 मार्च 1990 को अन्तरण के लिए बकाया पड़े मामलों की क्षेत्रवार स्थितिपरिशिष्ट-एस-10 पर दी गई है।

II. सदस्यों द्वारा आंशिक निकासियां

IV.50. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 अभिदाताओं को बीमारी अशक्तता की परिस्थितियों में तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों जैसे बहिन/भाई, पुत्री/पुत्र या बच्चों को उच्च शिक्षण या रिहायशी मकान बनाने इत्यादि को निभाने के लिए आंशिक निकासी की व्यवस्था करके वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्कीम के अन्तर्गत अस्वीकृत आंशिक पेशगियों की स्थिति तालिका-19 में दी गई है।

तालिका—19 मंजूर की गई पेशगियां तथा निहित राशि (लाख रुपये में)

क्रम सं०	पेशगी का उद्देश्य	मामलों की संख्या		भुगतान की गई राशि (लाख रु०)	
		1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1.	जीवन बीमा पालिसी के भुगतान लिए वित्तपोषण	21626	20324	193.41 (0.92%)	71.33
2.	मकान आदि बनाने के लिए	71530	69533	11291.55 (53.87%)	9107.24
3.	स्थापनाओं के अस्थाई तौर पर बन्द होने के दौरान	43872	59742	1265.80 (6.02%)	1845.89
4.	सदस्यों/परिभार के सदस्यों की बीमारी पर	38517	31506	1322.42 (6.35%)	634.48
5.	सदस्य को अपनी शादी या बहिन भाई या पुत्री/पुत्र की शादी और बच्चों को मैट्रिक की शिक्षण के लिए	173548	156738	6856.51 (32.74%)	5710.85
6.	अन्य	2751	2018	24.15 (00.10%)	49.03
	कुल	351844	339861	20953.84 (100%)	17718.82

IV. 51. अभिदाताओं को मंजूर की गई पेशगियों/आंशिक पेशगियों का वर्गानुसार विवरण तालिका-20 पर दिया गया है।

तालिका—20 पिछले पांच वर्षों के दौरान मंजूर की गई पेशगियां एवं अदा की गई राशि

वर्ष	मंजूर की गई पेशगियों की संख्या (लाखों में)	पिछले वर्ष में % में बढ़ोतरी	निहित राशि (करोड़ रु० में)	पिछले वर्ष के % में बढ़ोतरी
1985-86	3.02	2.10	97.67	18.5
1986-87	2.98	1.3	114.34	17.1
1987-88	3.32	11.41	145.27	27.05
1988-89	3.40	2.14	177.19	21.97
1989-90	3.52	3.23	209.33	18.13
कुल	55.86		1111.00	

IV. 52. उपरोक्त तालिका-20 का विश्लेषण करने से पता चलता है कि पिछले वर्ष के दौरान 3.40 लाख अभिदाताओं की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान 3.51 लाख अभिदाताओं को अर्देय पेशगियां मंजूर की गईं, इस प्रकार इससे 3.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1989-90 के दौरान 209.33 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई जो कि स्कीम के प्रारम्भ होने से लेकर सब से अधिक है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भविष्य निधि स्कीम के प्रारम्भ होने से लेकर 31 मार्च, 1990 तक 55.86 लाख पेशगियों पर 111 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

मंजूर की गई पेशगियों का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-एस-II पर दिया गया है।

IV. 53. रिपोर्टीधीन वर्ष के अन्त में अर्देय पेशगियों के 20881 दावे बकाया थे जबकि मार्च, 1989 के अन्त तक 24809 आवेदन मंजूरी हेतु बकाया थे। बकाया का क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-एस-12 पर दिया गया है, जिससे पता चलेगा कि बहुत बड़ी संख्या में अर्थात् 19123 आवेदन दो माह से कम अवधि के बकाया थे और 1711 आवेदन 2 से 6 माह की अवधि के भीतर के बकाया थे। 47 आवेदन 6 माह से एक वर्ष की अवधि के भीतर के थे।

12. अभिदाताओं को वार्षिक लेखा-विवरणियां जारी करना।

IV. 54. पिछले वर्ष जारी की गई 1,23,97,419 लेखा पत्रियों की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1,43,02,301 लेखा-पत्रियां जारी की गईं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में संगठन ने पिछले वर्ष की तुलना में 15.36 की प्रगति की प्रगति दर्शायी। लेखा-पत्रियां जारी किए जाने की क्षेत्रवार स्थिति परिशिष्ट-एस-13 पर दी गई है।

IV. 55. पिछले वर्ष जारी किए गए जाने के लिए बकाया पड़ी 1,47,20,655 लेखा पत्रियों की तुलना में इस वर्ष 1,36,53,375 लेखा पत्रियां जारी किए जाने के लिए बकाया पड़ी थी। इस बकाया में से 76,11,659 लेखा-पत्रियां नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित विवरणियां प्रस्तुत न किए जाने के कारण जारी नहीं की जा सकी और शेष 60,42,316 पत्रियां अन्य कारणों से बकाया पड़ी हैं। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा जारी किए गजाने के लिए बकाया पड़ी लेखा-पत्रियों का विवरण परिशिष्ट-एस-14 पर दिया गया है।

हमें आप पर गर्व है



श्री वाई० एस० शेटी, मु० लि०
उप-क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
द्वारा

वर्ष 1989-90 के दौरान 1,03,099 वार्षिक लेखा विवरणियां जारी करने हेतु

बकाया की अवधि	लेखा पत्रियों की संख्या
एक वर्ष से कम	54,99,836
एक से दो वर्ष के बीच	29,10,260
दो से तीन वर्ष के बीच	17,65,475
तीन से चार वर्ष के बीच	12,40,094
चार वर्ष से अधिक	22,37,710
कुल	136,53,375

IV.55 कुल 136.53 लाख लेखा पत्रियां जारी किए जाने के लिए बकाया था जिनमें से 53.48 लाख पत्रियां केवल महाराष्ट्र क्षेत्र में बकाया थीं जो कि बकाया की सूची में सबसे ऊपर थी। अन्य पांच क्षेत्र अर्थात् पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और बिहार थे जिन में कुल 64,70,314 लाख पत्रियां बकाया थीं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि इन छः क्षेत्रों में 1,18,18,557 लेखा पत्रियां बकाया थीं जो कि कुल बकाया का 86.56 प्रतिशत है।

IV.56. 136.53 लाख बकाया से यह तात्पर्य नहीं है कि इसके अभिदाताओं को लेखा पत्रियां नहीं मिली हैं अभिदाताओं की उपरोक्त बकाया संख्या का मूल मूल्यांकन करते समय इस बात को समझा जाना आवश्यक है कि यदि किसी अभिदाता को किसी विशेष वर्ष की लेखा-पत्रियां जारी नहीं की जाती तो बाद के वर्षों में भी उसकी लेखा-पत्रियां जारी करना रुक जाता है क्योंकि सदस्य भविष्य निधि लेखा जारी रहने वाला लेखा रविंग अकाउंट है।

IV.57. संगठन उन सभी मामलों में लेखा पत्रियां जारी करने का लगातार प्रयास कर रहा है जिनमें नियोक्ताओं से आवश्यक रिटर्न प्राप्त हो गई है। उन मामलों में जिनमें नियोक्ता ने भविष्य निधि राशि तो भेज दी है परन्तु आवश्यक रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है पत्रों में नोटिस देकर नियोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे फार्म 3क तथा 6क में रिटर्न प्रस्तुत करें तथा साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि रिटर्न प्रस्तुत न करने पर शास्तिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त फील्ड अधिकारियों को भी यह निदेश दिया गया है कि वे नियोक्ताओं से रिटर्न प्राप्त करें। जिन मामलों में फार्म 3क तथा 6क में रिटर्न प्राप्त नहीं हुई है, उन मामलों में पिछले शेष पर व्याज जमा करके तथा निकाली गई राशि, यदि कोई हो, तो कग करके लेखा पत्रियां जारी करने के आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए हैं। संगठन द्वारा क्षेत्रों की लेखा शाखाओं के कार्यों में तेजी लाई गई है तथा लेखा लिपिकों के कार्यों में तेजी लाई गई है तथा लेखा लिपिकों के कार्यों पर नजर रखी जा रही है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को कहा गया है कि वे ऐसे लिपिकों के विरुद्ध कार्रवाई करें जिनकी कार्यक्षमता मानदण्ड (नार्म) के 75 प्रतिशत से कम पाई जाये।

क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई, दिल्ली, और हैदराबाद में कंप्यूटर लगाए गए हैं जहां पर कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्यतः लेखा पत्रियां जारी किए जाने के लिए किया जाता है। इससे वह आशा की जाती है कि संगठन निकट भविष्य कार्यक्षेत्रों में बकाया की स्थिति को काफी हद तक कम करने में सफल हो सकेगा।

13. आवास निर्माण गतिविधियों को सहायता

IV.58. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के उपबन्धों के अन्तर्गत संगठन भविष्य निधि अभिदाताओं को मकान खरीदने/बनाने के लिए अग्रिम राशि स्वीकृत कर रहा है। कुछ मानदण्डों के आधार पर संगठन ने अभिदाताओं को विभिन्न आवास प्राधिकरणों/संगठनों द्वारा आवंटित मकानों को हिलाने में समन्वयकर्ता की भूमिका निभाई है। इस भूमिका की दृष्टि

यूनियनों तथा प्रबन्धों ने काफी प्रशंसा की है। सभी राज्यों में इस क्षेत्र के समान रूप से प्रगति नहीं हुई है। कुछ राज्यों में फ्लैटों का निर्माण कर औद्योगिक श्रमिकों को दिए गए लेकिन उनसे उपयुक्त सहयोग नहीं मिला और कुछ राज्यों में कोई आवासीय स्कीम प्रारम्भ नहीं हुई है। इस असन्तुलन और अड़चन को दूर करने के लिए मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

IV. 59. अभिदाताओं द्वारा आवास हेतु निकाली गई आंशिक पेशगियां जो 1988-89 में 69,533 थी 1989-90 में बढ़कर 71,530 हो गईं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है।

तालिका--22 अभिदाताओं द्वारा आंशिक पेशगियां

वर्ष	स्वीकृत अग्रिमों की संख्या	अदा की गई राशि (लाख रुपए में)
1985-86	49845	4803.09
1986-87	48776	5277.93
1987-88	59976	6991.97
1988-89	69533	9107.24
1989-90	71530	11291.55

11. 60 विभिन्न आवासीय प्राधिकरणों से अभिदाताओं को आबंटित किए गए मकानों में हुई प्रगति को नीचे दर्शाया गया है

क्षेत्र	आबंटित मकानों की संख्या	स्थान
बिहार	5	
हरियाणा	200	फरीदाबाद
कर्नाटक	4	बंगलूर
महाराष्ट्र	944	नया बम्बई क्षेत्र
पंजाब	191	मोहाली
राजस्थान	197	जयपुर

IV. 60. इसके अतिरिक्त विभिन्न आवासीय बोर्डों से भी निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

आन्ध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से सिद्धान्त रूप में पोन्नराम में जगह आबंटित करने पर सहमति प्रकट की है जो कि हैदराबाद से 17-18 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान अन्वीय भविष्य निधि आयुक्त को 475 आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा पात्रता का निर्धारण करने हेतु इनकी जांच की जा रही है।

गुजरात

गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने अहमदाबाद में मकान देने का प्रस्ताव किया है तथा यह प्रस्ताव भविष्य निधि सदस्यों में परिचालित किया है परन्तु श्रमिकों ने प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं दिखाई है। श्रमिक को-ऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम में अधिक इच्छुक हैं।

हरियाणा

हरियाणा विकास प्राधिकरण ने करनाल, कालका तथा पंचकुला में 695 और गुड़गांव में 791 आवासीय मकानों का प्रस्ताव किया है।

कर्नाटक

कर्नाटक इन्डस्ट्रियल एरिया विकास बोर्ड ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए 16 आवासीय मकान देने का प्रस्ताव किया है। प्रारम्भिक जमा राशि के साथ 4 आवेदन मकान आबंटित करने हेतु बोर्ड को जमा किये जा चुके हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डिवेलपमेंट आथोरिटी ने भोलापुर औरंगाबाद तथा पिंपरी में 2244 मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उड़ीसा

उड़ीसा स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने चन्द्रशेखरपुर तथा भुवनेश्वर में 500 मकानों का तथा राऊरकेला में अपनी विशेष हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत 100 एल०आई०जी० फ्लैटों का प्रस्ताव किया है।

पंजाब

पंजाब हाउसिंग बोर्ड ने भटिण्डा में एल०आई०जी० 90 तथा 188 एम०आई०जी० फ्लैटों का तथा फिरोजपुर में 48 एल०आई०जी० तथा 394 एम०आई०जी० फ्लैटों का प्रस्ताव किया है। पंजाब हाउसिंग बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के कुछ मकान/फ्लैट मोहाली, भटिण्डा, लुधियाना तथा जालन्धर में देने का प्रस्ताव किया है जिसके लिये इच्छुक भविष्य निधि अभिदाताओं से कुछ आवेदन प्राप्त हुये हैं तथा उक्त आवेदनों की क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है।

राजस्थान

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 2 हाउसिंग स्कीमों में 1335 फ्लैट जयपुर में अर्थात् मालवीय नगर तथा मान-सरोवर में तथा 421 फ्लैट/मकान अजमेर झुझनू भिकाड़ी, सिवाना बलोटरा बरान समगज मण्डी तथा रेला में देने का प्रस्ताव किया है। बोर्ड ने 328 मकान जयपुर में 2 झुझनू में तथा 2 अजमेर में आबंटित करने के लिये सहमति प्रकट की है।

उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण औद्योगिक श्रमिकों को आबंटित करने के लिए 100 मकानों का निर्माण करने के लिए सहमत है, परन्तु स्थान का निर्णय अभी तक नहीं किया है। कानपुर विकास प्राधिकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा यू०पी० हाउसिंग बोर्ड ने मकानों की खरीद के लिए सर्वे किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों में केवल 23 सदस्यों ने प्रस्ताव किया है तथा हाउसिंग प्राधिकरण ने 50 से कम आवेदन स्वीकार करने को भना कर दिया है।

पश्चिम बंगाल

राज्य सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिये विशेष स्कीम या औद्योगिक श्रमिकों के लिये हाउसिंग बोर्ड द्वारा निमित्त मकानों का कुछ प्रतिशत निर्धारित कर रही है।

14. वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में किए गए संशोधन।

11.62. कुछ उद्योगों स्थापनावर्गों के सम्बन्ध में अंशदान की दर 8.1/3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 करना—अधिसूचना संख्या एस-35011/9/88-एस०एस०- 11 दिनांक 17 मई 1989 से अंशदान की दर 8 1/3% से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है सिवाय :—

(क) कोई भी ऐसी स्थापना जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित है,

ख) कोई भी ऐसी रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 (1986-का 1) की धारा 3 के खण्ड (0) में परिभाषित किया गया है जिसने उपरोक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अभ्यावेदन किया है, और

(ग) कोई भी ऐसी स्थापना जिसको हानि किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्त में उसकी समस्त परिसम्पत्तियों के बराबर या अधिक हो जाती है और उस वित्तीय और उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् तत्काल बाद के वित्तीय वर्ष में रोकड़ नुकसान भी हुआ हो।

स्पष्टीकरण:—खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए “रोकड़ हानि” से अभिप्राय मूल्यह्रास के बिना संग्राहक हानि है।

VI. 63 लौह अयस्क छरों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की अनुसूची-1 में शामिल करना लौह अयस्क छरों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों को कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के प्रयोजन से उन्हें 1 सितम्बर, 1989 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की अनुसूची-I में जोड़ दिया गया है।

VI. 64 बोर्ड के कार्यों और गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट और इसके लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैराग्राफ 74 को प्रतिस्थापित किया गया है। बोर्ड के कार्य और गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तथा इसके लेखापरीक्षित लेख और भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 10 दिसम्बर से पहले होने वाली बोर्ड की बैठक में स्वीकार करने के लिए रखा जाएगा परन्तु यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक दिसम्बर तक नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित लेखों को कार्यकारी समिति बोर्ड के समक्ष अलग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा पारित बोर्ड के कार्य और गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड की सामूहिक सील लगाकर प्रमाणित किया जाएगा और उनकी चार प्रतियाँ नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणियों सहित संसद में रखे जाने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले 20 दिसम्बर तक केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक दिसम्बर तक नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तो लेखा परीक्षित लेख और नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर बोर्ड की रिपोर्ट से बोर्ड के कार्य और गतिविधियों को अलग से केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

[प्राधिकार: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस-65011/3/89 एस० एस० 11, दिनांक 12 जनवरी, 1990]

IV. 65 मै० कैन फिन होम्स लिमिटेड सहित आवास.—वित्त पोषण कम्पनियों से गृह निर्माण प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण की वापसी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा-68 ख ख के अन्तर्गत की मंजूरी—कर्मचारी निधि स्कीम भविष्य 1952 के पैराग्राफ 68 ख ख के अन्तर्गत भविष्य निधि अभिदाताओं को राष्ट्रीय गृह बैंक अधिनियम में उल्लिखित आवास वित्त पोषण कम्पनियों से लिए गए ऋण की अदायगी हेतु पेशगी की मंजूरी के प्रयोजन से सरकार ने दिनांक 1 मार्च, 1990 के पत्र द्वारा मै० कैन फिन होम्स लिमिटेड को भी आवास वित्त पोषण कम्पनी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है।

16 धारा 19-क के अन्तर्गत अभ्यावेदन

IV 66 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 19-क के अन्तर्गत प्राप्त अभ्यावेदनों के निपटान की स्थिति तालिका 22 में दर्शायी गई है:—

तालिका-22 धारा 19क के अन्तर्गत प्राप्त अभ्यावेदनों का निपटान

वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मामले	328
वर्ष के दौरान दायर किए गए मामले	60
कुल	388

काशी प्रेस

1. 11.11.12

1. Make them

17. ସମ୍ଭାଷଣ ଓ ସାଂଘିକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନ ଶିକ୍ଷା

३,३९६ भाग्य शक्ति ।

16. ସଂସ୍କୃତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମୀକ୍ଷା

327

2111

1955 FEB 22 11:11 AM '55 (E)

2011 10月

(5) ବିନିମୟ ସ୍ଥଳରେ ଶାସିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳର ନାମ ଓ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

20

— 1111 11111 11 1111 11 (111)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

(॥) मंगल के विरुद्ध निर्णय मामल

41

புதித புதிய இதை உ உதவி (1)

—உம் இம் இடம் உம் உம்

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय दिया कि कार्पेट उद्योग भी कर्मचारी निधि भविष्य और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन है । न्यायालय द्वारा यह महसूस किया गया है कि इस अनुसूची के स्पष्टीकरण में नोटिस को शामिल नहीं किया गया है । कोर्टने यह परिभाषित किया कि "कपड़ा" अमूर्त है और उद्योग कपड़ा उद्योग के रूप में कार्यक्षेत्राधीन है ।

11.70 3987 की अपील सं. 266 अन्तर्गत भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल बनाम रबोन्द्र चामरिया तथा अन्य प्रतिवादी ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 633 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही में लापरवाही, चूक कर्तव्य भंग, छेपकरण या न्यास भंग का यदि कोई मामला सामने आता है तो वह उपर्युक्त भूल-चूक के लिए उत्तरदायी होता है, किन्तु वह अपनी नियुक्ति से संबंधित मामले की सभी परिस्थिति में ईमानदारी और न्याय संगतता से कार्य करता है, उस दशा में उसे माफ किया जा सकता है और न्यायालय ऐसी परिस्थिति में उसके उत्तरदायित्वों से पूर्णतः अथवा आंशिक जैसा भी ठीक समझे माफ कर सकता है । इस खण्ड में आगे भी यह प्रावधान है कि यदि अधिकारी को किसी कारवाई में लापरवाही चूक, कर्तव्य भंग अपकरण या न्यासभंग की आशंका हो तो यह संतुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है और उस आवेदन पर उच्च न्यायालय राहत प्रदान करने की वही शक्ति प्राप्त है जो यदि उपर्युक्त अधिनियमों और मूलों के लिए अधिकारी के विरुद्ध कारवाई हेतु मामला कोर्ट के समक्ष लाया जाता है ।

माननीय उच्च न्यायालय जब कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम की धारा 633 के लागू किये जाने के मुद्दे पर विचारते हुए कहा कि कम्पनी अधिनियम की धारा 633 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम से सम्बन्धित राहत नहीं दी जा सकती ।

अध्याय V

छूट प्राप्त स्थापनाएं

छूट प्राप्त स्थापनाओं के कार्यकलाप

यद्यपि छूट प्राप्त स्थापनाओं के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व प्रत्येक स्थापना में गठित न्यासी बोर्डों का होता है तथापि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसी स्थापनाओं पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अपना नियन्त्रण रखते हैं और छूट प्रदान करते समय लगाई गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

1.2 संगठन 2907 छूट प्राप्त स्थापनाओं में कार्यरत 41.23 लाख अभिदाताओं पर अपना नियन्त्रण रखता है। यद्यपि ये 2907 स्थापनाएं कुल कार्यक्षेत्राधीन स्थापनाओं का केवल 1.49% है लेकिन इन स्थापनाओं में कुल अभिदाताओं के 28.30% अभिदाता नियोजित है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छूट-प्राप्त स्थापनाएं अभिदाताओं को नियोजित करने की संख्या के आधार पर अछूट-प्राप्त स्थापनाओं से आकार में काफी बड़ी है। छूट-प्राप्त स्थापनाओं में अभिदाताओं की औसत संख्या 1421 है जबकि अछूट प्राप्त स्थापनाओं में अभिदाताओं की औसत संख्या 5 है।

बकाया अंशदान और निवेश

1.3 छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को भविष्य निधि अंशदान (नियोक्ता तथा कर्मचारी का भाग) को आने वाले माह की 15 तारीख तक सम्बन्धित न्यासी बोर्ड को अन्तरित करना होता है। इससे 5 दिन की रियायत भी दी जाती है।

1.4 31 मार्च, 1990 को 148 छूट-प्राप्त स्थापनाएं अपने न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि अंशदान को राशि अन्तरित करने में असफल रही। तालिका-1 वर्ष के अन्त में 148 छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा अपने न्यासी बोर्डों को भविष्य निधि अंशदान की राशि स्थानान्तरित करने में चूक की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1--कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की राशि न्यासी बोर्डों को स्थानान्तरित करने में चूक करने वाली छूट-प्राप्त स्थापनाएं

क्र. सं०	क्षेत्र	31-3-90 को चूक करने वाली स्थापनाएं	31-3-90 को बकाया (लाख रु० में)	31-3-89 को चूक करने वाली स्थापनाएं	31-3-89 को बकाया	पूर्व वर्ष की तुलना में बकाया में अन्तर	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में अन्तर
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	40.43	4	15.15	25.28	166.86
2.	उत्तरीपूर्वी क्षेत्र	1	872.00	1	659.61	212.39	32.20
3.	बिहार	14	987.63	21	939.75	47.88	5.09
4.	दिल्ली	1	2.01	1	5.76	-3.75	-65.10
5.	गुजरात	9	119.18	5	60.92	58.26	95.63
6.	हरियाणा	1	43.65	1	5.36	38.29	714.37
7.	कर्नाटक	1	1.74	2	17.11	-15.37	-89.83
8.	केरल	5	43.75	5	59.43	-24.68	-41.53
9.	मध्य-प्रदेश	4	84.75	5	85.58	-0.83	-0.97
10.	महाराष्ट्र	17	178.29	19	170.54	7.75	4.54
11.	उड़ीसा	1	0.11	1	93.92	-93.81	-99.88
12.	पंजाब		0.00		0.00	0.00	
13.	राजस्थान	5	12.12	3	178.33	-166.21	-93.22
14.	तमिलनाडु	3	15.86	3	34.93	-19.07	-54.59
15.	उत्तर प्रदेश	2	56.51	4	96.10	-39.59	-41.20
16.	पश्चिम बंगाल	81	10726.46	89	10533.96	192.50	1.83
	जमा	148	13175.49	164	12956.45	219.04	1.66

1.5 उपरोक्त तालिका —1 का विश्लेषण करने से पता चलेगा कि 148 छूट प्राप्त स्थापनाओं पर 131.75 करोड़ रु० बकाया थे, जबकि मार्च 1989 के अन्त तक 164 स्थापनाओं पर 129.56 करोड़ रु० की राशि बकाया थी ।

V.6 बकाया का सकेन्द्रण 6 क्षेत्रों अर्थात् पश्चिम बंगाल बिहार, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश में 129.68 करोड़ रु० का था जोकि कुल बकाया का 98.42% है । अधिकतम चूक पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 107.26 करोड़ रु० की रही जोकि कुल बकाया का 81.41% था ।

V.7 छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया का उद्योगवार वर्गीकरण जिसमें स्थापनाओं की गतिविधियों में गिरावट को तालिका 2 में दर्शाया गया है ।

31.3.90 को छूट प्राप्त स्थापनाओं पर भविष्य निधि बकाया का उद्योगवार वर्गीकरण

क्र० सं०	उद्योग	बकाया राशि	बकाया की प्रतिशतता
1.	जूट	8,041.49	61.03
2.	ई० एम० जी० ई०	2001.81	15.19
3.	वस्त्र उद्योग	560.26	4.26
4.	सड़कमोटर परिवहन	104.65	0.79
5.	व्यापार एवम् वाणिज्यिक	139.31	1.06
6.	चीनी	60.05	0.46
7.	समाचार पत्र	147.06	1.12
8.	भारी एवं परिष्कृत रसायन	8.95	0.06
9.	चाय एवम् बागान	87.72	0.67
10.	अन्य	2,024.19	15.36
	कुल	13,175.49	100.00

V.8 उपरोक्त तालिका 2 से यह देखा जा सकता है कि अधिकतम बकाया राशि जूट उद्योग में सकेन्द्रित थी जोकि 80.41 करोड़ रु० की या कुल बकाया का 61.03% थी । दूसरे स्थान पर अधिकतम बकाया ई० एम० एण्ड जी० ई० 20.01 करोड़ रु० कीया कुल बकाया का 15.19% थी । तीसरे स्थान पर अधिकतम बकाया राशि वस्त्रोद्योग पर 5.60 करोड़ रु० या कुल बकाया का 4.26% थी । इन तीनों उद्योगों पर 106.03 करोड़ रु० या कुल बकाया का 80.48% बकाया थे ।

V.9 छूट प्राप्त क्षेत्र की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की स्थापनाओं में बकाया की स्थिति को नीचे तालिका-3 में दर्शाया गया है :—

तालिका—3 31.3.90 को छूट प्राप्त स्थापनाओं में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की स्थापनाओं में भविष्य निधि बकाया का वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
आन्ध्र प्रदेश	21.49	18.94	40.43
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	872.00	..	872.00
बिहार	320.10	667.53	987.63
दिल्ली	..	2.01	2.01
गुजरात	..	119.18	119.18
हरियाणा	..	43.65	43.65
कर्नाटक	..	1.74	1.74
केरल	3.00	31.75	34.75
मध्य प्रदेश	..	84.75	84.75
महाराष्ट्र	80.22	98.07	178.29
उड़ीसा	0.10	0.01	0.11
पंजाब	..	..	..
राजस्थान	11.39	0.73	12.12
तमिलनाडू	..	15.86	15.86
उत्तर प्रदेश	..	56.51	56.51
पश्चिम बंगाल	1997.12	8729.34	10726.46
जमा	3,305.42	9,870.07	13,175.49

V.10 उपरोक्त तालिका-3 से यह देखा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की छूट प्राप्त स्थापनाओं पर 3,305.42 लाख रु० की तथा निजी क्षेत्र की छूट प्राप्त स्थापनाओं पर 9,870.07 लाख रु० की राशि की चुक है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में चुक का औसत 25.75 % है।

V.11. वे छूट प्राप्त स्थापनाएं जिन्होंने अपने न्यासी बोर्डों को भविष्य निधि अंशदान की राशि अन्तरित करने में चूक की उनके कार्य के स्तर के अनुसार आगे वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि नीचे तालिका 4 में दिया गया है।

तालिका . 4 कार्य के स्तर के अनुसार 31 मार्च 1990 को चूकदार छूट प्राप्त स्थापनाओं का वर्गीकरण

क्रम सं०	बकाया का वर्गीकरण	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	बकाया राशि (लाख रु० में)
I.	स्थापनाओं के बन्द होने के कारण	23	684.93
II.	समापनाधीन स्थापनाएं	12	385.96
III.	उन स्थापनाओं से सम्बन्धित बकाया राशि जहां वसूली रोक दी गई है या जहां पुनर्निर्माण की योजनाएं उच्च न्यायालय के सक्षम विचाराधीन हैं।	21	2670.61
IV.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम/प्राधिकृत नियंत्रणों द्वारा अधिकार में की गई इकाइयां जहां अधिग्रहण से पूर्व की राशि बकाया है और जहां देयताओं का भुगतान रुका पड़ा है।	5	64.68
V.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहीत वह इकाइयां जिन पर अधिग्रहण के पश्चात और राष्ट्रीयकरण से पूर्व की राशि बकाया है।		
VI.	उन इकाइयों पर अधिग्रहण से पूर्व बकाया राशि जिनका या तो औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया है या उन्हें सहायता दी जा रही है।	1	20.73
VII.	उन इकाइयों पर वर्तमान बकाया राशि जिनका या तो औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा अधिग्रहण कर लिया है या उन्हें सहायता दी जा रही है।	2	17.18
VIII.	रिसीवरों/कस्टोडियनों द्वारा संचालित स्थापनायें	3	28.49
IX.	अन्य	81	9302.86
कुल योग		148	13,175.49

V.12. उपरोक्त पर दर्शायी गयी तालिका 4 से यह देखा जा सकता है कि बकाया का बड़ा भाग ऐसी स्थापनाओं से देय है है जो बन्द थी या समापनाधीन थी, या जो रुग्ण हो गई है तथा जिनका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, या राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है या उनके सम्बन्ध में जिनकी वसूली न्यायालय द्वारा रोक दी गई है। इन मामलों में देय राशि की वसूली के लिये संगठन के पास उपलब्ध विकल्प सीमित हैं। शेष बकाया कुल बकाया का लगभग 69.89 प्रतिशत है। ऐसी बकाया राशि जिसके लिये प्रभावकारी उपाय किये जा सकते हैं 93.02 करोड़ रुपये हैं। संगठन की वसूली मशीनरी ने 1 जुलाई, 1990 पहले से ही कार्य शुरू कर दिया है तथा वह आशा की जाती है कि उक्त वसूली मशीनरी के पूरे जोरों से काम शुरू करने के बाद स्थिति में पर्याप्त सुधार आयेगा।

V.13. श्रम मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने न्यासी बोर्डों को अंशदान अन्तरित करना तथा राशि की प्राप्ति के 2 सप्ताह के अन्दर निर्गामी सदस्यों के लिये अनिवार्य राशि रखने के बाद निवेश करना अपेक्षित है। मार्च, 1990 के अन्त तक छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्डों को निवेश न की गई राशि 77.06 करोड़ रुपये (अस्थायी) थी।

V.14. 31 मार्च, 1990 को छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्डों को निवेश न की गई राशि के क्षेत्रवार आंकड़े तालिका 5 में नीचे दिये गये हैं।

तालिका-5 31 मार्च 1990 को निवेश न की गई राशि (लाख रुपयों में)

क्षेत्र	निवेश न की गई राशि
आन्ध्र प्रदेश	204.63
उत्तर प्रदेश क्षेत्र	483.38
बिहार	327.31
दिल्ली	3909.89
गुजरात	169.16
हरियाणा	11.21
कर्नाटक	616.18
केरल	83.28
मध्य प्रदेश	164.46
महाराष्ट्र	673.16
उड़ीसा	88.38
पंजाब	114.27
राजस्थान	246.55
तमिलनाडू	246.93
उत्तर प्रदेश	204.61
पश्चिमी बंगाल	162.76
कुल	7706.16

निवेश

V.15 वर्ष 1989-90 के दौरान 1846.24 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया गया जबकि पिछले वर्ष 1,315.83 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान छूट प्राप्त क्षेत्र द्वारा किये गये निवेश का क्षेत्रीयवार व्यौरा रिपोर्ट के अध्याय IV में दिया गया है।

बकाया को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई

V.16. वर्ष 1989-90 के दौरान बकाया को समाप्त करने के लिये 565 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 14(2क) के अन्तर्गत 218 अभियोजन दायर किये गये। ऐसे नुक़दार नियोजता जिन्होंने भविष्य निधि अंशदान की राशि अपने कर्मचारियों के वेतन से काटकर जमा नहीं कराई, के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत किये गये अपराधों के लिये 19 शिकायतें दायर की गई (इसमें महाराष्ट्र क्षेत्र शामिल नहीं है।)

मुकदमें बाजी में निहित राशि

V. 17. आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा पश्चिमी बंगाल में 24 छूट प्राप्त स्थापनाओं ने न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों पर 2680.83 लाख रुपये की बकाया राशि वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। पश्चिमी बंगाल में 20 छूट प्राप्त स्थापनाएं जिन्होंने 26.32 करोड़ रुपये भविष्य निधि अंशदान राशि अपने न्यासी बोर्डों को अन्तर्गत नहीं की न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। इससे यह देखा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल में 107.26 करोड़ रुपये के बकाया में 26.32 करोड़ रुपये को राशि स्थगन आदेशों के कारण बकाया पड़ी है। उच्च न्यायालय में इन मामलों की शीघ्र सुनवाई कराकर स्थगन समाप्त (वेकेट) कराने हेतु उचित कार्रवाई की गई है।

छूट प्रदत्त करने की शर्तों का अनुपालन

V. 18. अधिनियम की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्थापनाओं को, कुछ शर्तों के आधार पर छूट प्रदान की जाती है। छूट प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर 1983 में सरकार ने शर्तों को संशोधित किया। छूट के सभी नए मामलों में परिशोधित शर्तें लागू करने पर कोई कठिनाई नहीं है तो भी कुछ पुराने छूट प्राप्त स्थापनाओं ने संशोधित शर्तें लागू करने का विरोध किया है तथा आपत्ति उठाई है। ऐसी छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर श्रम मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

V. 19. छूट प्राप्त समिति ने न्यासी बोर्डों के कार्यकलाप के लिये मार्गनिर्देश बनाये हैं। कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 79 में संशोधन कर उक्त मार्गनिर्देशों को शामिल कर कानूनी रूप देने का एक प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। छूट प्राप्त समिति की सिफारिशों पर न्यासी बोर्डों के कार्यकलाप के मार्गनिर्देश में संशोधन किया गया है जिसमें प्रत्येक विनीय लेनदेन के सम्बन्ध में छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्डों में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर का प्रावधान है, जिसमें प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल है, यदि वे जी०पी० नोट्स के रूप में हैं।

मंजूर की गई पेशगियां/अभिदाताओं को आंशिक निकासी मंजूर की गई

V. 20. वर्ष के दौरान छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा अभिदाताओं की मंजूर की गई पेशगियां तथा अदा की गई राशि का ब्यौरा तालिका-6 में दिया गया है।

तालिका-6 वर्ष 1989-90 के दौरान मंजूर की गई पेशगियां तथा अदा की गई राशि

श्रेणी	मामले	राशि (रु० लाखों में)
1. जीवन बीमा पालिसी के भुगतान के लिये वित्त पोषण	14480	117.30
2. मकान पेशगी	180088	28225.82
3. अस्थायी तौर पर बन्द होने के दौरान	48984	740.26
4. सदस्यों/परिवार के सदस्यों की बीमारी पर	138612	5585.57
5. सदस्यों की अपनी शादी	209894	14486.61
6. अन्य	103133	23340.10
कुल	695191	72495.66

V.21 दावों का निपटारा :

छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा अपने अभिदाताओं के निपटारे गये दावों के आंकड़े तालिका-7 में दिये गये हैं।

तालिका-7 : 15 क्षेत्रों अर्थात् महाराष्ट्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में नमूने के आधार पर अध्ययन पर आधारित छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निपटाए गए भविष्य निधि दावों।

श्रेणी	माघने 1989-90	राशि (रु० लाखों में)
1. मृत्यु मामले	7239	473.60
2. त्यागपत्र	27377	4659.75
3. सेवानिवृत्ति/वाधक्य निवृत्ति	37760	18399.73
4. स्थायी अशक्तता	696	1003.43
5. बर्खास्त	2979	176.67
6. प्रवास	1385	552.06
7. अन्य	7735	1497.25
कुल	85171	26762.49

जब्ती लेखा

1.22. 1 जनवरी, 1990 से कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में संशोधन किया गया है जिसके द्वारा जब्ती को अब समाप्त कर दिया गया है। कोई भी निर्गामी कर्मचारी नियोजता हिस्से पूरा अंशदान प्राप्त करने का पालन है चाहे उसकी सेवा की अवधि कितनी भी हो। तदनुसार सभी छूट प्राप्त स्थापनाओं को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने निधिनियमों में संशोधन कर कर्मचार, भविष्य निधि स्कीम 1952 के उपबन्धों के अनुरूप बनाये। फिर भी जहां छूट प्राप्त स्थापनाओं के पास पहले से जब्ती लेखा तथा काफी संख्या में राशि जमा पड़ी है इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिये किया जाये।

तालिका-8 में दिये गये आंकड़े वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान जब्ती राशि के उपयोग को सूचित करते हैं :—

तालिका-8 में दिये गये आंकड़े वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान जब्ती राशि के उपयोग को सूचित करते हैं।

तालिका-8 जब्ती लेखा

वर्गीकृत	*1988-89 (रु० लाखों में)	**1989-90 (रु० लाखों में)
1. छूट प्राप्त स्थापनाओं के जब्ती लेखे में पड़ी कुल राशि	1841.06	1724.21
2. वर्ष के दौरान जब्ती लेखे से विभिन्न उद्देश्यों के लिये प्रयोग की गई राशि	112.07	67.88
3. न्यासों के पास जब्ती लेखे में बकाया	1728.99	1656.33

*1606 स्थापनाओं से सम्बन्धित।

**743 स्थापनाओं से सम्बन्धित।

व्याजदर

V-23. संगठन ने वर्ष 1989-90 के लिये सांविधिक निधि/छूट प्राप्त निधि के अभिदाताओं के लेखों में जमा करने के लिये 12 प्रतिशत व्याज घोषित किया/छूट प्राप्त निधि में अभिदाताओं के लेखों में जमा व्याज का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया। कुल 2907 छूट प्राप्त स्थापनाओं में से 1,007 छूट प्राप्त स्थापनाओं में सर्वेक्षण किया गया। सीमित सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आंकड़े तालिका-9 में दर्शाये गये हैं जो कि वर्ष 1989-90 के लिये छूट प्राप्त निधि में भाग लेने वालों के लेखों में जमा व्याज दर्शाते हैं।

तालिका-9: व्याजदर (1989-90) द्वारा छूट प्राप्त स्थापनाओं का वर्गीकरण

व्याज दर	स्थापनाओं की संख्या	निहित अभिदाताओं की संख्या
1. 10.15 प्रतिशत से कम	37	33,695
2. 10.15 प्रतिशत तथा अधिक परन्तु 11.50 प्रतिशत से कम	64	31,023
3. 11.50 प्रतिशत तथा अधिक परन्तु 11.80 प्रतिशत से कम	42	61,957
4. 11.80 प्रतिशत तथा अधिक परन्तु 12 प्रतिशत से कम	64	2,06,778
5. 12 प्रतिशत की दर	622	12,840,20
6. 12 प्रतिशत से अधिक	178	4,02,435
कुल	1,007	20,39,908

V-24. तालिका-9 से पता चलता है कि 1007 स्थापनाओं में से जिसकी सूचना उपलब्ध है, 800 स्थापनाओं ने 12 प्रतिशत या अधिक व्याज दर घोषित की है जिससे 16,86,455 अभिदाताओं को लाभ हुआ है। उपरोक्त आंकड़े कुल छूट प्राप्त स्थापनाओं जिनकी संख्या 2907 है तथा जिनमें 41.33 लाख अभिदाता हैं, तुलनीय नहीं हैं। फिर भी 1007 स्थापनाओं में से 800 स्थापनाओं या 80 प्रतिशत ने छूट प्राप्त निधि के अभिदाताओं लिये घोषित सांविधिक दर से या इससे अधिक दर घोषित की है। जिन अभिदाताओं को लाभ हुआ है वह सर्वेक्षण किये गये कुल अभिदाताओं का 82 प्रतिशत है।

छूट प्राप्त स्थापना माह

V-25. संगठन की नीति के अनुसार मई माह को "छूट प्राप्त स्थापना" माह के रूप में मनाया जाता है। इस माह के दौरान पूर्ण योजना के अनुसार सभी छूट प्राप्त स्थापनाओं का निरीक्षण किया जाता है तब न्यासों के लेखों की जांच की जाती है तथा आंकड़े इकट्ठे करने से इस बात का पता चलता है कि प्रचलित उपबन्धों को किस सीमा तक लागू किया है। इन निरीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की नीति निर्धारण हेतु विश्लेषण किया जाता है। संगठन ने मई, 1990 को "छूट प्राप्त स्थापना" माह के रूप में मनाया।

छूट प्राप्त करना तथा रद्द करना

V-26. रिपोर्टीयन वर्ष के दौरान संगठन ने 15 स्थापनाओं को छूट प्रदान करने हेतु समुचित सरकार को सिफारिश की। अधिनियम की धारा 17(1)(4) के अनुरूप जिन स्थापनाओं ने छूट की शर्तों का अनुपालन नहीं किया ऐसी 14 स्थापनाओं की छूट रद्द करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की।

न्यासियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम

V-27. छूट प्राप्त निधियों के न्यासियों को छूट के उपबन्धों को उचित जानकारी देने के लिये वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। पश्चिमी बंगाल, दिल्ली राजस्थान तथा कर्नाटक क्षेत्रों में "छूट प्राप्त स्थापनाओं" पर सेमिनार/कार्यशालायें आयोजित की गईं।

अध्याय VI

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971

स्कीम में अभिदाताओं के लिये परिवार पेंशन तथा जीवन बीमा लाभ का प्रावधान है।

स्कीम का वित्त पोषण

नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा

भविष्य निधि में से कर्मचारी के वेतन का 1½%

केन्द्रीय सरकार द्वारा

कर्मचारी के वेतन का ½% प्रतिशत

निधि में संचित राशि 'लोक लेखे' में जमा करायी जाती है तथा सरकार द्वारा 8½ प्रतिशत वार्षिक व्याज दिया जाता है।

स्कीम का निष्पादन

कार्यक्षेत्र

VI.2 31 मार्च, 1990 को परिवार पेंशन निधि के 103.94 लाख अभिदाता थे जिनमें से 27.43 लाख अभिदाता छूट प्राप्त स्थापनाओं में और 76.51 लाख अभिदाता अछूट प्राप्त स्थापनाओं में हैं।

VI.3 वर्ष 1989-90 के दौरान परिवार पेंशन निधि में अंशदान के रूप में 317.92 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए। सरकार का अंशदान 110.11 करोड़ रुपये रहा। जब से स्कीम प्रारम्भ हुई है अंशदान के रूप में कुल 2311.32 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसमें से 662.66 करोड़ रुपये सरकार का अंशदान है तथा 1648.66 करोड़ रुपये कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं का अंशदान है। कुटुम्ब पेंशन में प्राप्त अंशदान का वर्षवार व्यौरा परिशिष्ट एस-15 में दिया गया है।

VI.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुटुम्ब पेंशन निधि की राशि में 617.04 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में स्कीम के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों के लिये दी गई राशि को काटने के पश्चात कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा 207.81 करोड़ रुपये का विशुद्ध अंशदान, 110.11 करोड़ रुपये का सरकारी अंशदान और 262.60 करोड़ रुपये व्याज के रूप में शामिल है और वर्ष 1988-89 तक 36.52 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई और निवेश की गई। 31 मार्च, 1990 को लोक लेखे में कुल 3537.67 करोड़ रुपये की राशि शेष थी।

VI.5 कुटुम्ब पेंशन अंशदान की बकाया राशि वर्ष 1988-89 के अन्त में 9.05 करोड़ रुपयों की तुलना में 31 मार्च, 1990 को चुकदार नियोक्ताओं से कुटुम्ब पेंशन अंशदान के बकाया के रूप में 10.51 करोड़ रुपये वसूल किये जाने थे। 31 मार्च, 1990 तक कुटुम्ब पेंशन अंशदान की बकाया राशि अब तक कर्मचारियों और नियोक्ताओं के भाग के रूप में प्राप्त हुई कुल अंशदान का 0.44 प्रतिशत हो गई।

बकाया समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई

VI.6 परिवार पेंशन बकाया की वसूली के लिये चुकदार नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत क्रिमिनल कोर्टों में अभियोजन दायर किये गये। वर्ष के दौरान किये गये इस दिशा में प्रभावी उपाय किये। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

पहली अप्रैल 89 को आदिशेष	17,066
वर्ष 1989-90 के दौरान दायर नये मामले	4,482
निपटान के लिये कुल मामले	21,548

वर्ष के दौरान निर्णित मामले

दोष सिद्ध	1,010	
दोष मुक्त	101	
वापस लिए गए	16	
खारिज किए गए मामले	16	1,143
31 मार्च 1990 को बकाया मामले		20,405

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत दायर अभियोजन मामलों के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट एस-16 पर दिये गये हैं।

VI.7 अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई में 3511 राजस्व वसूली मामले दायर किये जिसमें 201.56 लाख रुपए की राशि निहित थी। वर्ष के दौरान 1703 राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये जिसके परिणामस्वरूप 76.01 लाख रुपए की वसूली की गई। वर्ष के अन्त में 22134 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जिसमें 783.29 लाख रुपए की वसूली निहित थी, बकाया थे।

1.8. कुटुम्ब पेंशन दावों का निपटान (सभी लाभों को मिलाकर)

VI.8 पिछले वर्ष 5.84 लाख दावों के निपटान की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 5.32 लाख कुटुम्ब पेंशन दावों का निपटान किया गया इनमें 16786 मासिक कुटुम्ब पेंशन दावे जिन्हें वर्ष के दौरान निपटाया गया है, शामिल है।

VI.9 वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाए गए कुटुम्ब पेंशन दावों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे तालिका 1 में दिया गया है :—

कुटुम्ब पेंशन दावों का श्रेणीवार निपटान

क्रम संख्या	श्रेणी	निपटाए गए दावों की संख्या
1.	मासिक कुटुम्ब पेंशन लाभ	16,786
2.	जीवन बीमा लाभ	15,479
3.	सेवा निवृत्ति तथा प्रत्याहरण	4,26,894
4.	वापसियां	72,793
जोड़		5,31,952

निपटाये गये दावों की क्षेत्रवार स्थिति परिशिष्ट एस-17 पर दी गई है।

VI.10 31 मार्च, 1990 को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 63,975 परिवार पेंशन दावे बकाया थे। बकाया मामलों में 51,778 दावे 2 माह से कम अवधि के, 11080 दावे 2 से 6 माह की अवधि के तथा 965 दावे 6 से 12 माह की अवधि के बकाया थे। 15 दावे एक वर्ष से अधिक के बकाया थे। 31, मार्च, 1990 को बकाया परिवार पेंशन दावों (सभी लाभ) का क्षेत्रवार विश्लेषण परिशिष्ट एस-18 पर दिया गया है।

अध्याय VII

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के कार्यकलाप

VII. 1 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 उन सभी फैक्टरीयों/स्थापनाओं पर लागू होता है जिन पर अधिनियम लागू होता है। यह स्कीम एक अगस्त, 1976 से लागू हुई।

स्कीम के अन्तर्गत कवरेज

VII. 2 छूट प्राप्त और अछूट प्राप्त स्थापनाओं में कार्यरत वे सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

अंशदान और प्रशासनिक प्रभार

VII. 3 इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों के लिए इस अतिरिक्त लाभ को पाने के लिए कोई अंशदान करना अपेक्षित नहीं है परन्तु नियोक्ताओं के लिए उन कर्मचारियों, जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, के वेतन अर्थात् मूल वेतन, मंहगाई भत्ता जिसमें खाद्य रियायत तथा प्रतिधारण भत्ते का रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, शामिल है, का 0.5 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अंशदान करना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार भी कार्यक्षेत्राधीन कर्मचारियों के वेतन का 0.25 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अंशदान करती है।

VII. 4 प्रशासनिक व्यय को वहन करने के लिए सभी कार्यक्षेत्रीय स्थापनाओं के नियोक्ताओं को बीमा निधि में प्रशासनिक प्रभार अदा करना होता है। प्रशासनिक प्रभार की दर सदस्य कर्मचारी के वेतन का 0.1 प्रतिशत थी जो कि 1 अक्टूबर, 1987 से 0.1 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत कर दी गई है वशत कि यह कम से कम 2 रुपए प्रति माह हो।

बीमा निधि का प्रशासन

VII. 5 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बीमा निधि में 46.43 करोड़ रुपए अंशदान के रूप में प्राप्त हुए जिसमें 27.05 करोड़ रुपए नियोक्ता का भाग और 19.38 करोड़ रुपए सरकारी भाग के रूप में शामिल है। इस स्कीम के आरम्भ होने से अब तक अंशदान और प्रशासकीय प्रभारों का वर्णानुसार व्यौरा परिशिष्ट एस-21 में दिया गया है।

निवेश

VII. 6 1 अप्रैल, 1952 से बीमा निधि में प्राप्त अंशदान की स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों का अदा करने के पश्चात शेष राशि "लोक लेखा" में रखी जाती है। लोक लेखा में ऐसे संचयों पर व्याज की दर 8½ प्रतिशत थी।

VII. 7 अप्रैल, 1952 से पूर्व बीमा निधि अंशदान को भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश किया जाता था।

VII. 8 बीमा निधि के निवेश की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :—

तालिका—1 : कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि राशि का निवेश

क्र.सं०	निवेश का प्रकार	राशि (करोड़ रु०)	
1.	प्रतिभूतियों में निवेश 1-4-89 को शेष	5.17	
	घटायें 1988-89 में छुड़ाई गयी	2.04	3.13
2.	लोक लेखा में निक्षेप		545.85
3.	1989-90 के दौरान निवेश—		
	(क) नियोक्ता के भाग का अंशदान निवल अदायगियां	27.05	
	(ख) सरकार द्वारा अंशदान	19.38	
	(ग) सरकार के अंशदान के बकाया की वसूली और निवेश	1.50	

4. निवेश की गयी प्रतिभूतियों पर व्याज तथा	
5. लोक लेखा में शेष राशि पर व्याज	48.70
6. छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश	2.04
31-3-90 को शेष	647.65

स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ

VII. 9. कर्मचारी की मृत्यु होने पर सेवा के दौरान जो कर्मचारी सांविधिक अछूट प्राप्त निधि या छूट प्राप्त निधि का सदस्य है, भविष्य निधि राशि का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को पहले 36 माह की तुलना में अब 12 माह के दौरान मृत व्यक्ति के भविष्य निधि खाते में जमा भविष्य निधि राशि के औसत के बराबर अतिरिक्त राशि अदा की जायेगी। तथा जहां औसत बकाया 15,000 रु० से अधिक है तो राशि देय 15,000 जमा 15,000 रु० से अधिक राशि का 25 प्रतिशत होगी परन्तु यह राशि 25,000 रु० से अधिक नहीं होगी।

पात्रता के लिए मृतक सदस्य के लेख में औसत शेष को भी घटा दिया गया है। अभिदाता की पात्रता के लिए उसके लेख में गत तीन वर्षों में जो 1,000 रुपये की राशि अपेक्षित थी से भी घटाकर गत एक वर्ष अथवा उसकी सदस्यता अवधि के दौरान जो भी कम हो में 500 रुपये होनी अपेक्षित कर दी गयी है।

निपटारे गये दावे

VII. 10. रिपोर्टिधीन वर्ष के दौरान कुल 37,131 दावे निपटारे जाते थे उनमें से 17,653 दावे निपटारे गये और 1082.37 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। पिछले वर्ष संगठन द्वारा 22,815 दावे निपटारे गये थे और 1224.67 लाख रुपये की राशि अदायगी के लिए प्राधिकृत की गई थी। कुल 17,653 दावों में से 9991 दावे आवेदन को प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर निपटारे गये। निपटारे गये दावे तथा वितरित की गई राशि के आंकड़े परिशिष्ट एस-22 में दिये गए हैं।

VII. 11. वर्ष के अन्त में कुल 5,383 दावे निपटारने के लिए बकाया थे जबकि पिछले वर्ष के अन्त में यह संख्या 5,614 थी। निपटार के लिये बकाया दावों के आंकड़े परिशिष्ट एस-23 पर दिये गये हैं। तालिका को देखने से यह पता चलता है कि 4,335 दावे निपटार के लिए 2 माह से कम समय के बकाया थे। 891 दावे 2 माह से 6 माह की अवधि के बकाया थे। 134 दावे 6 माह से 12 माह की अवधि से निपटार के लिए बकाया थे तथा 3 मामले एक वर्ष से अधिक के बकाया थे।

स्कीम प्रारम्भ होने से लेकर अब तक लाभ प्राप्त कर्ता

VII. 12. 31 मार्च, 1990 के अन्त तक 163926 विधवाओं अथवा मृतक सदस्यों के कानूनी वारिसों को स्कीम लाभ उपलब्ध कराए गये।

बकाया

VII. 13. वर्ष के अन्त में स्थापनाओं से 3.27 करोड़ रुपये अंशदान के तथा 1.34 करोड़ रुपये प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार के बकाया थे।

बकाया समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई

VII. 14. कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा की वसूली के लिये चूकदार स्थापनाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अपराधिक न्यायालयों (क्रिमिनल कोर्टों) में अभियोजन दायर किये गये। वर्ष के दौरान संगठन ने इस दिशा में प्रभावी उपाय किये। इस संबंध में की गई कार्रवाई से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

पहली अप्रैल 89 को आदिशेष	14,605
जोड़े वर्ष 89-90 के दौरान दायर नये मामले	4,251
निपटार के लिये कुल दावे	18,856

वर्ष के दौरान निर्णित मामले :

दोषसिद्ध	1023	
दोषमुक्त	..	
वापिस किये गये	..	
बर्खास्त	..	1023
31-3-90 को बकाया मामले		17,833

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत दायर अभियोजन मामलों के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट एस् 24 पर दिये गये हैं ।

VII. 15. अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत भी कार्रवाई की गई जिसमें 38.32 राजस्व वसूली मामले दायर किये जिनमें 136.33 लाख रु० की राशि निहित थी । 2,111 मामलों में वसूली-प्रक्रियों के माध्यम से 33.56 लाख रुपये की राशि वसूल की। वर्ष के अन्त में 20,058 मामले बकाया रहे जिनमें 388.32 लाख रुपये की राशि निहित है।

स्कीम से छूट

VII. 16 31 मार्च, 1990 तक 2,378 स्थापनाओं को स्कीम से छूट प्रदान की गई ।

अध्याय VIII

वर्ष 1988-89 के अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 पर वार्षिक रिपोर्ट।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) स्कीम, 1974 के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों की संख्या 31-3-90 की स्थिति :—

(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकरण-वार रखे गये लेखे

अतिरिक्त मजदूरी खाता	17,865
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता (पुराना) खाता	63,601
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता (नया) खाता	66,570

(2) वर्ष के अन्त तक प्राप्त विभिन्न लेखों में निक्षेप राशि

	(करोड़ रु० में)
अतिरिक्त मजदूरी खाता	42.58
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता (पुराना) खाता	502.23
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता (नया) खाता	220.52
जोड़	775.33

विभिन्न प्राधिकरणों को नोटिस तथा सम्बन्धित पार्टियों को परिपत्र जारी करने के बाद भी दावा प्राप्त न होने के कारण अभी भी 11.88 करोड़ रु० की राशि वापिस करना शेष है। वर्ष के अन्त तक 58 विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों ने 123.95 लाख रुपये की चूक की।

अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत 42 विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के विरुद्ध अभियोजन कार्रवाई की गई जिसमें 121.64 लाख रुपये की राशि निहित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के विरुद्ध शिकायतें दायर की हैं। 20,600 प्राधिकरणों के विरुद्ध 321.47 लाख रुपये शास्तिक ब्याज के रूप में लगाये गये जिसमें से 240.96 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है।

सरकार से प्राप्त राशि तथा व्यय का व्यौरा परिशिष्ट एस-25 पर दिया गया है।

अध्याय VIII
संगठन का प्रशासन

जन-शक्ति

IX. 1. 31 मार्च, 1990 को संगठन में कार्यरत स्टाफ की संख्या 14,530 थी जबकि पिछले वर्ष के अन्त में यह संख्या 14,028 थी ।

वर्ष के अन्त में मंजूर स्टाफ तथा कार्यरत स्टाफ की स्थिति नाचे दी गई है :

31-3-90 को स्टाफ की स्थिति

कर्मचारियों की श्रेणी	मंजूर स्टाफ	कार्यरत
समूह "क"	334	238
समूह "ख"	1,359	1,288
समूह "ग"	12,000	11,192
समूह "घ"	1,925	1,812
जोड़	15,618	14,530

IX. 2. वर्ष के दौरान 354 नये पदों की मंजूरी दी गई। कुल अतिरिक्त सृजित पदों में से 80 पद "ख" श्रेणी से सम्बन्धित हैं, 445 पद "ग" श्रेणी से संबंधित हैं तथा 29 पद "घ" श्रेणी से संबंधित हैं ।

पिछले पांच वर्षों में स्टाफ की संख्या

वर्ष	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत
31-3-86	14,023	13,258
31-3-87	14,519	13,715
31-3-88	14,844	13,825
31-3-89	15,064	14,028
31-3-90	15,618	14,530

IX. 3. 31 मार्च, 1989 को कुल अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या का व्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मौजूदा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी
1. समूह "क"	238	41
2. समूह "ख"	1,288	243
3. समूह "ग"	11,192	2,194
4. समूह "घ"	1,812	756
कुल	14,530	3,234



श्री सुरेश माथुर, तत्कालीन श्रम सचिव द्वारा क्षेत्र ० भ० नि० आयुक्तों के सम्मेलन का उद्घाटन ।

1. 42 2. 100 3. 100 4. 100

3. मानव बुद्धि का विकास

कर्म के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सही ढंग से करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सही ढंग से करना चाहिए।

1. ታሪክ ክፍል ገጽ ገጽ

ਘੋੜੀ ਕਾਨ ੭

3. द्वितीयाभावात्कथं ॥

7. செய்து வந்த புது பெண்

I. शब्द अर्थ उदाहरण

[illegible]

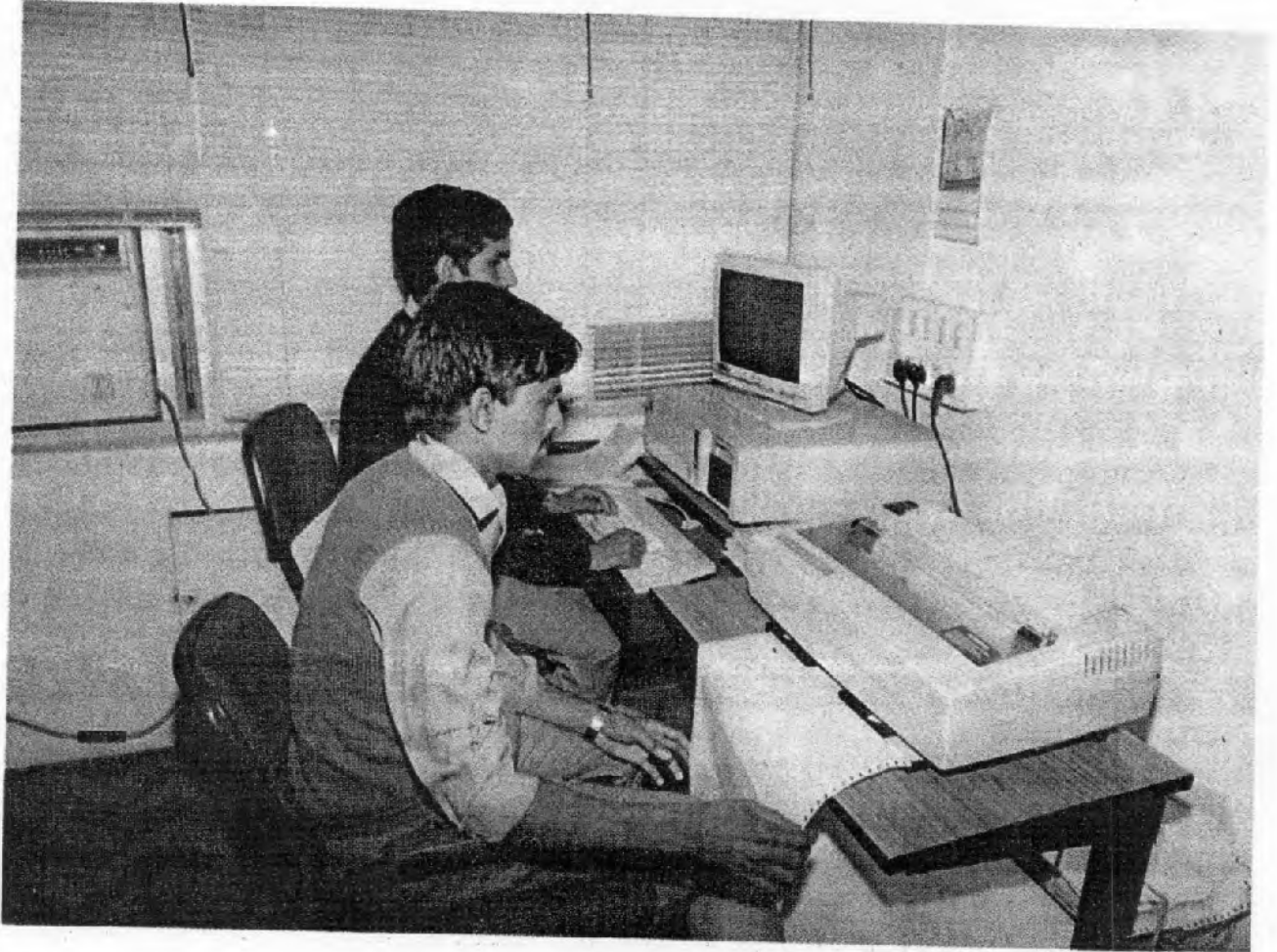
IX. 6. पृथिवी कोटि के अन्तर्गत विभिन्न पदार्थों की गति विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है।

विप्रादिभिः वर्ष के दौरान संभ्रान के कामकाज बिना के नभयदान का उल्लेख संक्षेप में नीचे किया गया है।

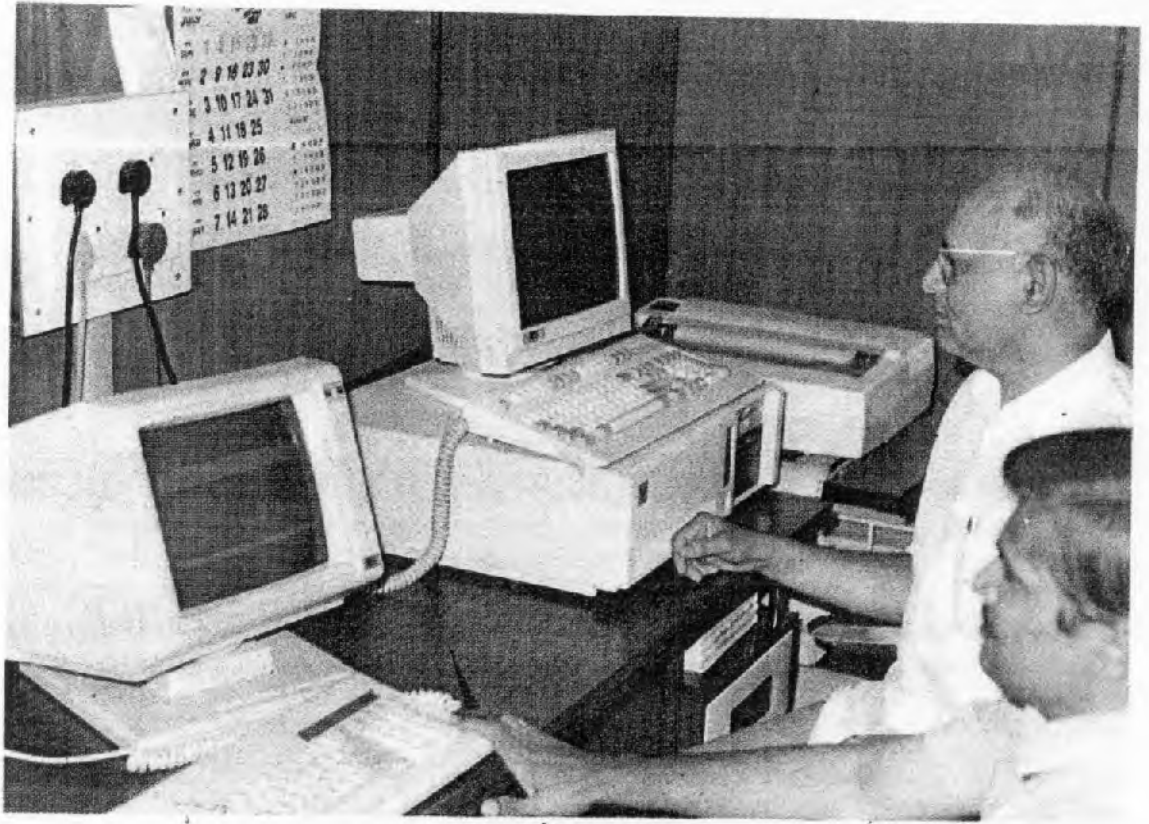
1 2 1111 1111

IX. 4. वह क वारान अनुरूपविषय जाति तथा अनुरूपविषय जाति के लिये निर्धारित आरक्षण सभा विधियों को पढ़ने के लिये संगठन द्वारा संपूर्ण प्रयास किए गए। संसदे "क" खण्ड में सभा 18 विषय पर्व को पढ़ा गया। 4 खंडों में अध्यापित उत्तर प्रश्न, पंचांग, कर्नाटक तथा केरल में अनुरूपविषय खण्डों के लिये आरक्षण "ग", "घ" तथा "च" खंड को संपूर्ण विविधता को पढ़ा गया। 3 खंडों में अध्यापित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में अनुरूपविषय जाति के लिये आरक्षण सभा विधियों को पढ़ा दिया गया है। दक्षिणा खंड में अनुरूपविषय जनजाति के लिये आरक्षण सभा विधियों को पढ़ा दिया गया है।

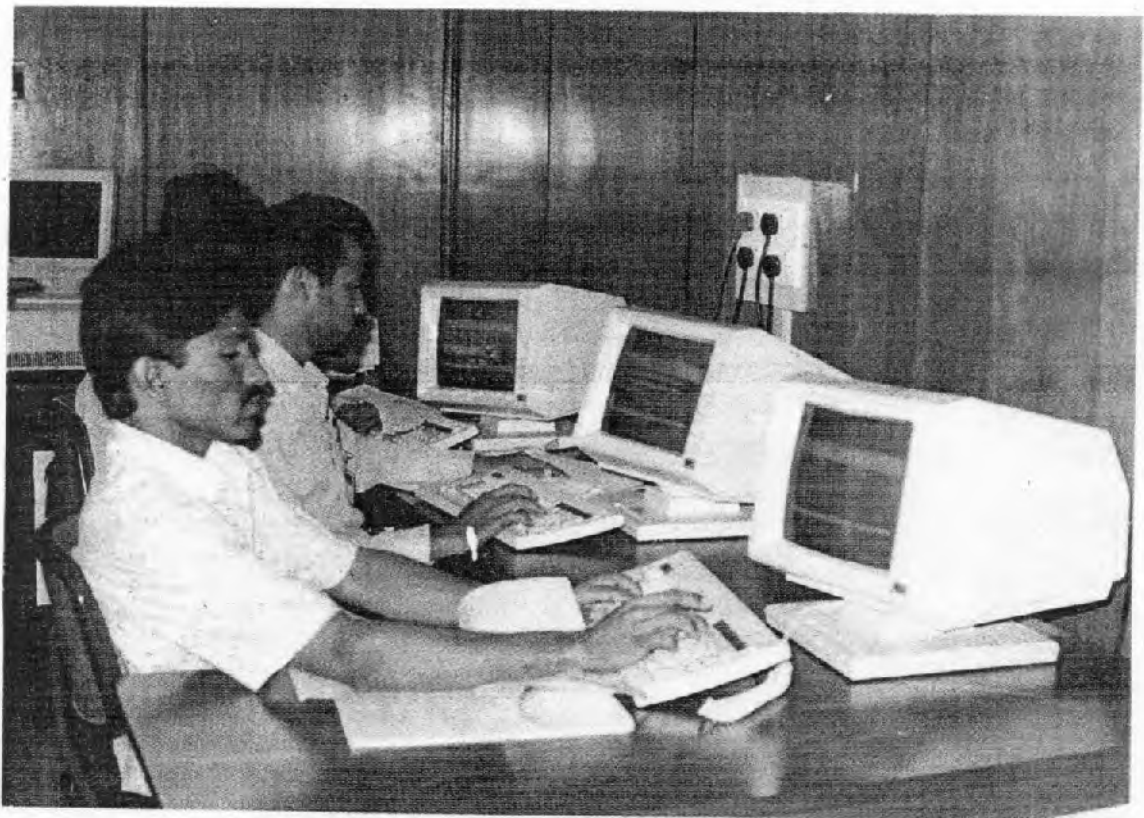
आधुनिकीकरण की ओर हमारे कदम ।



कार्यरत इ० डी० पी० केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली ।



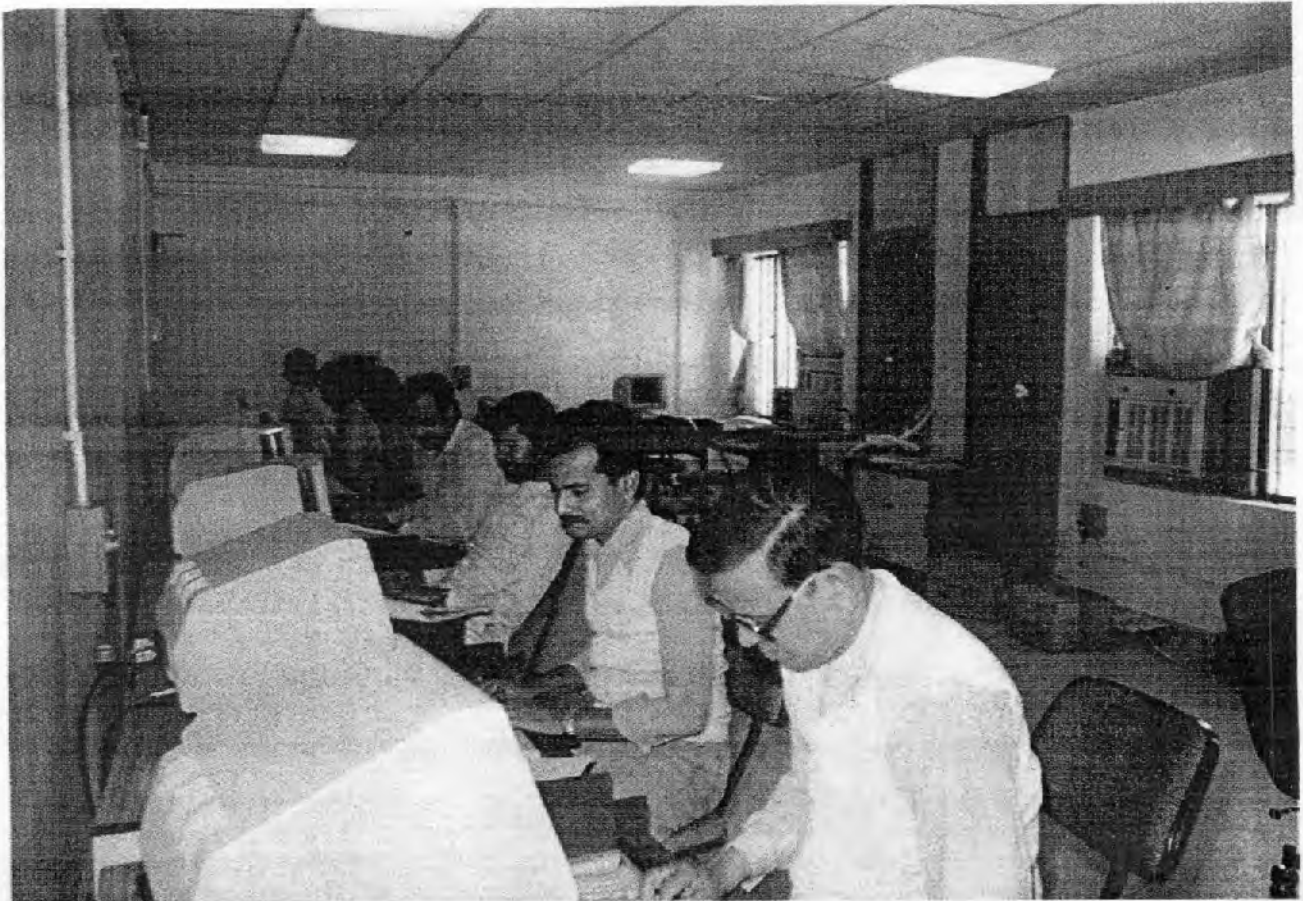
कम्प्यूटर केन्द्र, हैदराबाद ।



कम्प्यूटर केन्द्र, हैदराबाद ।



कम्प्यूटर केन्द्र, पटना ।



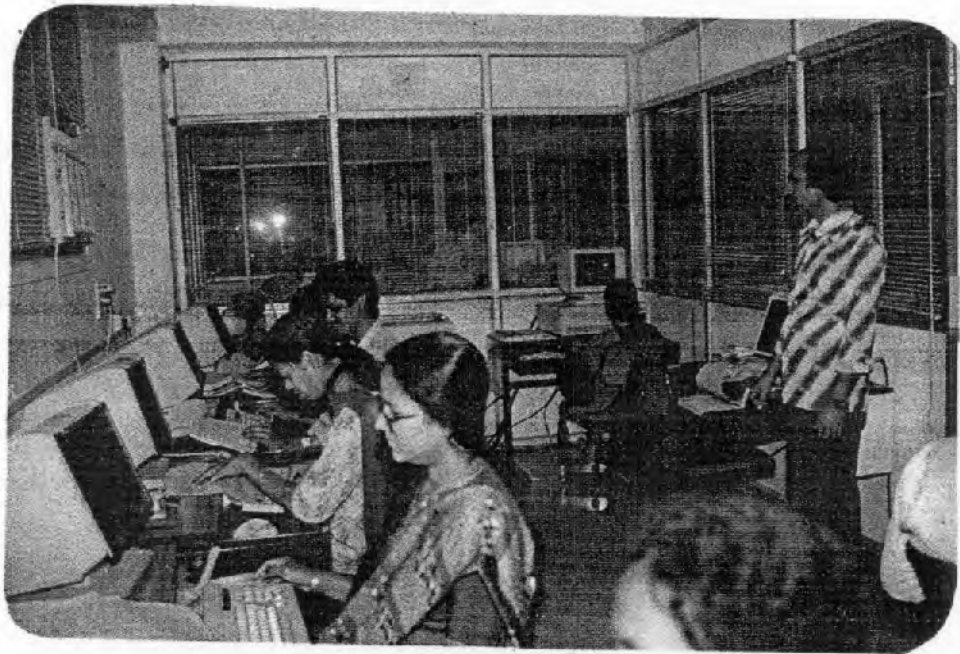


कम्प्यूटर केन्द्र, दिल्ली ।





कम्प्यूटर केन्द्र, बम्बई ।



कम्प्यूटर केन्द्र, बम्बई ।



केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उप-क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक के कम्प्यूटर केन्द्र का उद्घाटन

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	वर्षित बोनस
7.	हरियाणा	37
8.	आन्ध्र प्रदेश	37
9.	उड़ीसा	36
10.	पंजाब	36
11.	दिल्ली	35
12.	मध्य प्रदेश	32
13.	महाराष्ट्र	32
14.	पश्चिम बंगाल	30
15.	राजस्थान	30
16.	उत्तर प्रदेश	25
17.	राष्ट्रीय बोनस (मुख्यालय)	40

14. खेल-कूद

IX. 27 संगठन के केन्द्रीय खेल-कूद नियन्त्रण बोर्ड की देख रेख में निम्नलिखित खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :

I. संगठन में 1990 के शुरु में जोनल आधार पर क्रिकेट मैच आयोजित किये गये जिसके सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच कलकत्ता में 29.1.90 से 2.2.90 तक खेले गये। कर्नाटक क्षेत्र ने चैम्पियनशिप जीत ली। महाराष्ट्र क्षेत्र हार गया।

II. संगठन की सातवीं अखिल भारतीय खेल-कूद तथा एथलेटिक प्रतियोगिताएं त्रिवेन्द्रम में 7 से 9 फरवरी, 1990 तक आयोजित की गई। श्री राम बिलास पासवान, माननीय श्रम मन्त्री ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। श्री के० पंकजाक्षन केरल के माननीय श्रम मंत्री 9 फरवरी, 1990 को हुये समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता विकलांग कर्मचारियों के लिये खेल-कूद प्रतियोगिता शुरु करना है।

15. कैंटीन

IX. 28 क्षेत्रीय कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आर्थिक सहायता के आधार पर विभागीय कैंटीन स्थापित की गई है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभागीय सहायता के न्यूनतम मानक प्रावधानों के रूप में कैंटीनों को आर्थिक सहायता, प्रत्येक कैंटीन को 5,000 रु० तक व्याज मुक्त ऋण और यूनिफार्म देने तथा उपकरणों की मरम्मत आदि के लिये 17.45 करोड़ रुपए प्राधिकृत किये गये।

16. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यशाला

(I) श्री बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सितम्बर, 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन की 23 वीं महासभा की बैठक में उपस्थित हुये।

(II) संगठन के 3 अधिकारी अर्थात् सर्वश्री महेश कुमार, जे० एन० छाबड़ा तथा आर० डी० चेटीवाल सामाजिक सुरक्षा प्रशासन पर प्रशिक्षण के लिये 12 से 21 मार्च, 1990 तक कुवैत में एशिया तथा पेरिफिक के लिये 10 वें अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में डिप्युट किये गये।

(Handwritten Signature)

(बी० एन० सोम)

सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड
तथा
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

9. प्रशासकीय लेखे

IX. 22 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत रचित तीनों स्कीमों से सम्बन्धित वर्ष 1989-90 में प्रशासकीय लेखे में प्राप्तियों तथा अदायगियों का व्यौरा नीचे तालिका III में दिया गया है :-

तालिका 3 : कर्मचारी भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीमों के अन्तर्गत प्रशासनिक लेखों से सम्बन्धित प्राप्तियों और अदायगियां (आंकड़े लाख रुपये में)

प्राप्तियां	क.भ.निधि	व. प. में निधि	क. नि.सहबद्ध बीमा	
	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90
(क) प्रशासकीय तथा निरीक्षण प्रभार	5435.21	6098.03	462.80	356.92
(ख) निवेश पर व्याज	111.19	279.50	1183.19	2384.80
(ग) प्रशासकीय व्यय के लिये सरकार का अंशदान	730.00	420.00	..	215.00
(घ) अन्य लेखों से प्राप्तियां	55.41	(—) 199.19	12.32	8.19
(ङ) विविध प्राप्तियां	143.23	144.18	..	..
कुल प्राप्तियां	6475.04	6842.52	1658.31	2964.91
अदायगियां				
(क) राजस्व व्यय	4302.97	4241.58	111.59	12.07
(ख) पूंजीगत व्यय	500.00	500.00	3.77	0.72
(ग) भवन रख-रखाव निधि	0.44	12.01	..	..
(घ) अन्य लेखों से व्यय	502.71	1252.73	44.05	52.99
कुल अदायगियां	5036.12	6006.32	159.41	65.78
अदायगियों पर प्राप्तियों की अधिकता	1168.92	836.20	14198.90	2899.13

10. प्रचार

XI. 23 कर्मचारियों को तथा उनके आश्रितों/परिवारजनों में सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा कार्यक्षेत्र के अधीन लाई गई स्थापनाओं के नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि, 'कर्मचारी परिवार पेंशन तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम के अन्तर्गत उनके उत्तरदायित्व को याद दिलाने हेतु दृश्य एवं श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया गया जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है :-

(1) समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार

श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी परिवार पेंशन तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीमों पर देशभर में दिसम्बर, 1989/जनवरी, 1990 में 57 समाचार पत्रों में तथा मार्च, 1990 में हिन्दी/अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 53 समाचार पत्रों में संदेश प्रकाशित किया गया। नियोक्ताओं के लिये जनवरी तथा मार्च, 1990 में 55 समाचार पत्रों में संदेश प्रकाशित किया गया।

(II) होडिंग के माध्यम से प्रचार

33 स्थानों पर 66 होडिंग (प्रत्येक स्थानों पर दो) लगाये गये जिनमें श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संदेश दिया गया। ये होडिंग पूरे देश में ऐसे स्थानों पर लगाये गये जहाँ हमारे क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं इनका नवीनीकरण किया गया।

(III) दूरदर्शन कार्यक्रम/रेडियो के माध्यम से प्रचार

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने 21 जुलाई, 1989 को दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम दिया, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडू ने 17 अगस्त, 1989, 31 अगस्त, 1989 तथा 14 सितम्बर, 1989 तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने 8 अगस्त, 1989 को दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिये जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत रचित तीनों स्कीमों तथा स्कीमों के अन्तर्गत श्रमिकों को उपलब्ध लाभों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार ने 15 मई, 1990 को तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त केरल ने 2 मई, 1989 तथा 7 नवम्बर, 1989 को आकाशवाणी पर चर्चा की तथा श्रमिकों को तीनों स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में बताया।

11. कार्यालय भवन

IX. 24 स्टाफ का कल्याण करना संगठन का परम कर्तव्य है। यह अधिक सुविधाएं तथा कार्य करने के लिए अच्छा वातावरण देने के लिये सतत प्रयास कर रहा है। स्टाफ के लिए उचित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कार्यालय भवनों के निर्माण का कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर तथा उपक्षेत्रीय कार्यालय शिमला के लिये बने बनाये कार्यालय भवन खरीदने के लिये प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है। इन्दौर भवन के लिये पूरी अदायगी कर दी गई है तथा शिमला के भवन के लिये किस्तों में अदायगी की जा रही है। पटना, कोचीन, नागपुर तथा फरीदाबाद कार्यालय भवनों के निर्माण संबंधी कार्य चल रहा है। हुबली, लुधियाना, गुंटूर, अगस्तला, गोआ, करनाल, राऊरकेला, गोहाटी, मंगलौर, मेरठ नासिक, औरंगाबाद तथा दिल्ली में कार्यालय भवनों के निर्माण के लिये जगह खरीद ली गई है। बम्बई में अतिरिक्त कार्यालय स्थान के निर्माण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

12. कर्मचारी आवास

IX. 25 कलकत्ता, कोटाकालीकट, अमृतसर, हैदराबाद तथा वाराणसी में निर्माण कार्य चल रहा है। कोचीन, हुबली, मेरठ, कोयम्बाटूर, राऊरकेला, नासिक, कुडप्पा, लुधियाना, मंगलौर में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि खरीद ली गई है। विशाखापटनम में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त मद्रास तथा फरीदाबाद में 2 प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण का कार्य लिया हुआ है जहाँ भूमि का कब्जा मिल गया है।

13. उत्पादकता सहवृद्ध बोनस

IX. 26 वर्ष 1988-89 के लिये संशोधित उत्पादकता सहवृद्ध बोनस स्कीम के अन्तर्गत संगठन के कर्मचारियों को घोषित बोनस का व्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	घोषित बोनस
1.	बिहार	40
2.	गुजरात	40
3.	तमिलनाडू	40
4.	कर्नाटक	40
5.	केरल	40
6.	उ० पू० क्षेत्र	40

खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ



उ० क्षे० का० मदुराई में मनोरंजन क्लब का वार्षिक समारोह ।



औद्योगिक प्रदर्शनी इन्दौर में कर्मचारी भविष्य निधि मंडप



मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल द्वारा ईडन गार्डनस कलकत्ता में अखिल भारतीय क० भ० नि० क्रिकेट टूरनामेंट का उद्घाटन



ईडन गार्डन कलकत्ता में अखिल भारतीय क० भ० नि० क्रिकेट टूरनामेंट के समापन समारोह के अवसर पर ।

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	घोषित बोनस
7.	हरियाणा	37
8.	आन्ध्र प्रदेश	37
9.	उड़ीसा	36
10.	पंजाब	36
11.	दिल्ली	35
12.	मध्य प्रदेश	32
13.	महाराष्ट्र	32
14.	पश्चिम बंगाल	30
15.	राजस्थान	30
16.	उत्तर प्रदेश	25
17.	राष्ट्रीय बोनस (मुख्यालय)	40

14. खेल-कूद

IX. 27 संगठन के केन्द्रीय खेल-कूद नियन्त्रण बोर्ड की देख रेख में निम्नलिखित खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :

I. संगठन में 1990 के शुरु में जोरत आधार परकिोट मैच आयोजित किये गये जिसके सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच कलकत्ता में 29.1.90 से 2.2.90 तक खेले गये। कर्नाटक क्षेत्र ने चैम्पियनशिप जीत ली। महाराष्ट्र क्षेत्र हार गया।

II. संगठन की सातवीं अखिल भारतीय खेल कूद तथा एथलेटिक प्रतियोगिताएं त्रिवेन्द्रम में 7 स 9 फरवरी, 1990 तक आयोजित की गई। श्री राम विनायक पासवान, माननीय अन्न मंत्री ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

श्री के० पंकजाक्षन केरल के माननीय अन्न मंत्री 9 फरवरी, 1990 को हुये समापन समारोह में मुख्य अतिथि थ। इस प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता विक्रम कर्मचारियों के निम्न खेल-कूद प्रतियोगिता शुरु करना है।

15. कैंस्टीन

IX. 28 क्षेत्रीय कार्यालय आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आर्थिक सहायता के आधार पर विभागीय कैंस्टीन स्थापित की गई है। रिपोर्टीयन वर्ष के दौरान विभागीय सहायता के न्यूनतम मात्रक प्रावधानों के हार में कैंस्टीनों को प्राधिकृत सहायता, प्रत्येक कैंस्टीन को 5,000 रु० तक व्याज मुक्त ऋण और पत्रिकाएँ देने तथा डाक्टरों को मरम्मत आदि के निम्न 17.45 करोड़ रुपए प्राधिकृत किये गये।

16. अन्तर्राष्ट्रीय अन्न संगठन/अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम

(I) श्री व० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सितम्बर, 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन का 23 वीं महासभा की बैठक में उपस्थित हुये।

(II) संगठन के 3 अधिकारी अर्थात् सर्वश्री महेश कुमार, जे० एन० छावड़ा तथा आर० डी० चेटीवाल सामाजिक सुरक्षा प्रशासन पर प्रशिक्षण के लिये 12 से 21 मार्च, 1990 तक कुवैत में एशिया तथा पेरिफिक के लिये 10 वें अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन क्षेत्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में डिप्युट किये गये।

(हस्ताक्षर)

(बी० एन० सोम)

सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड

तथा

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

31 मार्च, 1990 को स्थापनाओं तथा अभिदाताओं का क्षेत्रवार विभाजन

क्रम सं०	क्षेत्र	छूट प्राप्त स्थापना	अछूट प्राप्त स्थापना	कुल स्थापनाएं	छूट प्राप्त स्थापनाओं के अभिदाता	अछूट प्राप्त स्थापनाओं के अभिदाता	कुल अभिदाता
1	आंध्र प्रदेश	110	16970	17080	227571	725200	952771
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	35	1948	1983	48625	144375	193000
3	बिहार	208	5900	6108	307705	263271	570976
4	दिल्ली	196	11404	11600	312405	342624	655029
5	गुजरात	83	18234	18317	232051	636195	868246
6	हरियाणा	21	5330	5351	31480	322352	353832
7	कर्नाटक	132	12500	12632	254031	762632	1016663
8	केरल	73	11704	11777	53200	673726	726926
9	मध्य प्रदेश	38	6438	6476	174152	513586	687738
10	महाराष्ट्र	431	26606	27037	736852	1568938	2305790
11	उड़ीसा	40	4117	4157	88080	342713	430793
12	पंजाब	32	8562	8594	48983	547128	596111
13	राजस्थान	47	5093	5140	124233	280199	404432
14	तमिलनाडु	453	21011	21464	384917	1506006	1890923
15	उत्तर प्रदेश	166	14130	14296	220941	835167	1056108
16	पश्चिम बंगाल	842	22107	22949	888294	1066916	1955210
	जोड़	2907	192054	194961	4133520	10531028	14664548

परिशिष्ट एस-II

25 उद्योगों/प्रमुख स्थापना वर्गों में अभिदाताओं तथा स्थापनाओं का सकेन्द्रीकरण

क्रम सं	केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित उद्योगों / स्थापना वर्गों के नाम	उद्योगों में अभिदाताओं की संख्या	उद्योगों में अभिदाताओं की प्रतिशतता	अभिदाताओं की संचित प्रतिशतता	उद्योगों में स्थापनाओं की संख्या	उद्योगों में स्थापनाओं की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1	विजली यान्त्रिक या सामान्य इंजीनियरी उत्पाद	2635643	17.97	17.97	32758	16.80
2	वस्त्र	1641190	11.19	29.16	11118	5.70
3	बीड़ी	1044236	7.12	36.28	3264	1.67
4	व्यापारिक और वाणिज्यिक	770143	5.25	41.53	20331	10.43
5	सड़क परिवहन	647754	4.42	45.95	3801	1.95
6	भारी एवं परिष्कृत रसायन	557778	3.80	49.75	6101	3.13
7	विजली उत्पादन, संचरण एवं वितरण	530307	3.62	53.37	2349	1.20
8	चाय (असम राज्य को छोड़ कर)	497997	3.40	56.77	2569	1.32
9	आयरन एंड स्टील	440348	3.00	59.77	1752	0.90
10	चीनी	396984	2.71	62.48	2423	1.24
11	पेपर	261856	1.79	64.27	1770	0.91
12	शिक्षा संस्थाएं	248014	1.69	65.96	22818	11.70

13	जूट	236186	1.61	67.57	102	0.05
14	रबड़ एवं रबड़ उत्पादक	204949	1.40	68.97	1610	0.83
15	चाय बागान (असम राज्य में चाय बागान के अतिरिक्त)	189312	1.29	70.26	680	0.35
16	बैंक (एक राज्य और केन्द्र शासित संघ में कार्यरत)	187741	1.28	71.54	1159	0.59
17	उच्च एवं निम्नताप सक्षमता वाले विद्युतीय	184138	1.26	72.80	373	0.14
18	होटल एवं रेस्टोरेन्ट	181527	1.24	74.04	5638	2.89
19	काजू	178060	1.21	75.25	626	0.32
20	आटोमोबाइल मरम्मत और सर्विसिंग	157221	1.07	76.32	1302	0.67
21	मुद्रण	136736	0.93	77.25	2819	1.45
22	सीमेंट	132507	0.90	78.15	328	0.17
23	सिगरेट	131386	0.89	79.04	1302	0.67
24	कांच	119758	0.82	79.86	1390	0.71
25	खाद्य तेल एवं चिकनाई	109118	0.74	80.60	2286	1.17
जोड़		11820829	80.60	1554.91	130569	66.96

परिशिष्ट एस-III
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निवेश खण्ड कर्मचारी भविष्य निधि (मुख्य लेखा)
31 मार्च 1990 को (अंकित मूल्य) (लाख रुपये में)

क्रम सं०	निवेश की श्रेणी	5.5%	5.75%	6%	6.25%	6.5%	6.75%	7%	7.50%	8%	8.25%
1	केन्द्रीय सरकार ऋण	141664.66	20283.13	186.83	21.93	134.83	103.50	92.74	2728.16	70.35	0.00
2	डाकघर सावधिक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	विशेष जमा स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सरकारी गारन्टी शुद्ध प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	आन्ध्र प्रदेश राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.70	2191.16	0.22	0.00	2107.00
6	असम राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.53	378.00	0.00	0.00	0.00
7	बिहार राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.21	951.73	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.74	1621.35	4.32	0.00	0.00
9	हरियाणा राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.92	750.00	0.00	0.00	0.00
10	हिमाचल राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	16.75	0.00	0.00	89.00
11	जम्मू एण्ड काश्मीर राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15	160.84	0.00	0.00	109.61
12	कर्नाटक राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	975.10	0.19	0.00	349.00
13	केरल राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	1403.61	0.00	0.00	0.00
14	मध्य प्रदेश राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.40	375.25	0.00	0.00	0.00
15	महाराष्ट्र राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.29	715.13	1.52	0.00	0.00
16	मणिपुर राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	10.00	0.00	0.00	0.00
17	मध्यालय राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	15.00
18	नागालैण्ड राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	14.80	0.00	0.00	0.00
19	उड़ीसा राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.73	959.80	0.00	0.00	1452.09
20	पंजाब राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34	600.00	0.00	0.00	0.00
21	राजस्थान राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1043.60	1861.83	2.30	0.00	0.00
22	तमिलनाडू राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1034.97	502.33	0.49	0.00	0.00
23	त्रिपुरा राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90	200.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तर प्रदेश राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1504.37	1889.19	0.96	0.00	2430.18
25	पश्चिमी बंगाल राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.37	374.14	1.31	0.00	0.00
	जोड़	14164.66	20283.13	186.93	21.93	134.83	8796.32	16168.95	2739.47	70.35	6552.16

डाकवर सावधि जमा,
विशेष जमा स्कीम और
सरकारी गारन्टी शुदा-
प्रतिभृतियां

क्रम सं० निवेश की श्रेणी	8.75%	9.00%	9.25%	9.75%	10.00%	10.25%	10.50%	11.00%	11.50%	जोड़	
1 केन्द्रीय सरकार ऋण	0.79	36.63	860.73	0.00	9780.06	1961.69	7554.50	0.00	10513.41	0.00	68494.04
2 डाकघर सावधिक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54839.44	54839.44
3 विशेष जमा स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914178.98	914178.98
4 सरकारी गारन्टी शुदा प्रतिभृतियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15971.40	15971.40
5 आन्ध्र प्रदेश ऋण	0.00	450.03	0.00	200.00	0.00	0.0	0.00	250.95	0.00	0.00	5666.34
6 असम राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.53
7 बिहार राज्य ऋण	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1525.94
8 गुजरात राज्य ऋण	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	2414.30
9 हरियाणा राज्य ऋण	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1168.92
10 हिमाचल राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.15
11 जम्मू एण्ड काश्मीर राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.60
12 कर्नाटक राज्य ऋण	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.0	0.00	0.00	2020.69
13 केरल राज्य ऋण	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2288.61
14 मध्य प्रदेश राज्य ऋण	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.65
15 महाराष्ट्र राज्य ऋण	3.58	3.19	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	1373.16
16 मणिपुर राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
17 मेघालय राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
18 नागालैण्ड राज्य ऋण	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
19 उड़ीसा राज्य ऋण	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	00.0	3170.62
20 पंजाब राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.34
21 राजस्थान राज्य ऋण	0.00	100.00	0.00	275.43	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	3283.41
22 तमिलनाडु राज्य ऋण	0.54	50.36	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1638.89
23 त्रिपुरा राज्य ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	429.90
24 उत्तर प्रदेश राज्य ऋण	0.00	200.42	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	6367.57
25 पश्चिमी बंगाल राज्य ऋण	2.00	102.50	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	..	1160.87
जोड़	166.91	1943.45	860.73	677.36	9780.06	1961.69	7554.50	1445.49	10513.41	984989.82	1088852.57

परिशिष्ट एस—4
कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952
(राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र)

क्रम सं०	क्षेत्र	1-4-89 को आदि शेष में आदि शेष	निहित राशि	1989-90 के दौरान जारी प्रमाण-पत्र	1989-90 के दौरान जारी प्रमाण-पत्रों में निहित राशि	निपटान के लिए कुल राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र	कुल निहित राशि (लाख रु० में)	निष्पादित राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (मामले)	निष्पादित राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र की राशि (लाख रुपयों में)	31-3-90 को वकाया राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र	वकाया मामलों में निहित राशि (लाख रु० में)
1	आन्ध्र प्रदेश	1017	318.75	801	213.08	1818	531.83	339	34.10	1479	497.73
2	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	438	59.45	72	40.53	510	99.98	17	8.34	493	91.64
3	बिहार	640	208.41	42	292.51	682	500.92	19	233.86	663	267.06
4	दिल्ली	510	163.28	560	133.24	1070	296.52	326	35.38	744	260.64
5	गुजरात	1117	403.70	337	85.23	1454	488.93	172	24.08	1282	464.85
6	हरियाणा	1144	413.00	235	30.84	1379	443.84	210	28.30	1169	415.54
7	कर्नाटक	494	232.78	166	79.73	660	312.51	92	58.90	568	253.61
8	केरल	653	324.63	422	116.84	1075	441.47	380	74.97	695	366.50
9	मध्य प्रदेश	3471	2286.45	335	139.80	3806	2426.25	119	42.81	3687	2383.44
10	महाराष्ट्र	6058	1833.61	439	190.78	6497	2024.39	672	111.62	5825	1912.77
11	उड़ीसा	1071	402.49	29	89.39	1100	491.88	36	29.50	1064	462.38
12	पंजाब	1482	459.91	333	177.23	1825	637.14	144	47.28	1671	589.86
13	राजस्थान	832	284.06	57	16.52	889	300.58	59	37.11	830	243.47
14	तमिलनाडु	964	390.53	600	165.33	1564	555.86	487	100.85	1077	455.01
15	उत्तर प्रदेश	2954	1949.08	185	117.98	3139	2,067.06	60	164.13	3079	1902.93
16	पश्चिमी बंगाल	8948	1736.24	830	751.65	9778	2487.91	177	775.69	9601	1712.22
जोड़		31793	11466.37	5443	2640.70	37236	14107.07	3369	1827.42	33927	12279.65

परिशिष्ट एस 5

भविष्य निधि अंशदान की न अदायगी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन के मामले

क्षेत्रीय कार्यालय	1 अप्रैल, 1989 आदि शेष	वर्ष के दौरान चलाये गए मामले	जोड़ (1 + 2)	दोष सिद्ध मामले	दोषमुक्त चेतावनी दी गई	वापस किए गए मामले	खारिज बरखास्त किए गए मामले
आन्ध्र प्रदेश	1166	3268	4434	363	26	85	0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	615	217	832	0	0	0	0
बिहार	6568	560	7128	0	0	0	0
दिल्ली	546	140	686	39	1	0	0
गुजरात	1063	145	1208	102	0	0	0
हरियाणा	1368	263	1631	200	0	0	0
कर्नाटक	2403	427	2630	161	97	93	10
केरल	348	16	364	33	0	0	0
मध्य प्रदेश	1221	65	1286	0	0	0	0
महाराष्ट्र	6932	389	7321	348	26	1	0
उड़ीसा	1200	87	1287	5	3	0	0
पंजाब	443	76	519	18	0	0	0
राजस्थान	260	6	266	3	0	0	0
तमिलनाडू	1505	55	1560	41	13	1	5
उत्तर प्रदेश	2123	38	2161	32	0	0	0
पश्चिमी बंगाल	24602	5025	29627	985	61	5	0
जोड़	52363	10777	63140	2330	227	185	15

परिशिष्ट एस—5क

भविष्य निधि अंशदान को न अदायगी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन के मामले

क्षेत्रीय कार्यालय	जोड़ निर्णीत मामले	निणय होने के लिए बकाया मामले	6 मास से कम बकाया मामले	6 मास से एक वर्ष तक बकाया	1 वर्ष से 2 वर्ष तक बकाया	2 वर्ष से 3 वर्ष तक बकाया	3 वर्ष से अधिक बकाया
आन्ध्र प्रदेश	474	3960	1787	568	612	435	558
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0	832	143	139	427	4	119
बिहार	0	7128	978	703	1025	1647	2775
दिल्ली	40	646	222	16	121	104	183
गुजरात	102	1106	65	33	521	382	105
हरियाणा	200	1431	185	159	255	374	458
कर्नाटक	361	2469	633	379	677	304	476
केरल	33	331	16	0	11	125	179
मध्य प्रदेश	0	1286	40	57	28	549	612
महाराष्ट्र	375	6946	397	492	1035	839	4183
उड़ीसा	8	1279	91	125	267	347	449
पंजाब	18	501	49	27	75	120	230
राजस्थान	3	263	0	75	54	8	126
तमिलनाडु	60	1500	20	35	197	444	804
उत्तर प्रदेश	32	2129	10	28	243	725	1123
पश्चिमी बंगाल	1051	28576	8976	3863	6392	4001	5344
जोड़	2757	60383	13612	6699	11940	10408	17724

परिशिष्ट एस-6

पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत चलाये गए अभियोजन

क्रम सं०	क्षेत्रीय कार्यालय	1 अप्रैल, 1989 को पुलिस के पास बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट	पुलिस के पास दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (1989-90)	वर्ष के दौरान पुलिस द्वारा वापिस लिये गए मामले	वर्ष के दौरान कोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए चालान	पुलिस के पास पिछले 6 माह से पुलिस के पास बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट (31-3-90)	पिछले 6 माह से पुलिस के पास बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट	6 माह से 1 वर्ष तक अधिक बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट	1 वर्ष से अधिक बकाया प्रथम सूचना रिपोर्ट
69	1 आन्ध्र प्रदेश	160	52	3	0	209	106	39	64
	2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0	3	0	3	0	0	0	0
	3 बिहार	86	11	0	0	97	7	4	86
	4 दिल्ली	115	3	0	0	118	30	17	71
	5 गुजरात	88	2	32	1	57	3	3	51
	6 हरियाणा	252	14	3	0	263	44	89	130
	7 कर्नाटक	136	18	15	1	138	5	10	123
	8 केरल	132	13	28	0	117	8	5	104
	9 मध्य प्रदेश	129	3	0	0	132	1	10	121
	10 महाराष्ट्र	1511	200	2	31	1678	73	127	1478
	11 उड़ीसा	59	0	0	0	59	0	21	38
	12 पंजाब	24	1	0	0	25	0	6	19
	13 राजस्थान	55	3	1	0	57	0	7	50
	14 तमिलनाडु	298	19	0	0	317	4	15	298
	15 उत्तर प्रदेश	153	4	0	0	157	0	4	153
	16 पश्चिमी बंगाल	2968	108	0	3	3073	623	556	1894
	जोड़	6166	454	84	39	6497	984	913	4680

परिशिष्ट एस-6— जारी

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत अभियोजना संबंधी मामले (विभिन्न न्यायालयों में)

क्रम सं०	क्षेत्र	1-4-89 की कोर्ट में अनिर्णित मामले	कोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए चालान	कोर्ट में सीधे दर्ज कराई गई शिकायतें	जोड़	दोष - सिद्ध	दोष-मृत	खारिज बरखास्त	मूल निर्णित मामले	31-3-90 को कोर्ट में बकाया मामले	6 मास तक के बकाया मामले	6 मास से 1 वर्ष तक के बकाया मामले	1 वर्ष से अधिक बकाया मामले
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	25	3	0	28	0	0	0	0	28	2	10	16
3	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	45	0	1	47	0	0	0	0	46	1	4	41
6	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	कर्नाटक	39	1	2	42	0	1	0	1	41	0	4	37
8	केरल	6	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6
9	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	महाराष्ट्र	204	26	3	238	22	13	0	35	198	3	18	177
11	उड़ीसा	74	0	0	74	0	0	0	0	74	5	21	48
12	पंजाब	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
13	राजस्थान	13	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	13
14	तमिलनाडु	21	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	21
15	उत्तर प्रदेश	3	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3
16	पश्चिमी बंगाल	27	3	0	30	0	0	0	0	30	14	12	4
	जोड़	459	33	6	498	22	14	0	36	462	25	69	368

परिशिष्ट एस-7

31 मार्च, 1990 को देर से जमा की गयी राशि पर शास्तिक नुकसानी की वसूली की स्थिति

क्रम सं०	क्षेत्र	1 अप्रैल, 1989 तक वसूली हेतु बकाया शास्तिक नुकसानी की राशि	वर्ष 1989-90 के दौरान लगाई गई नुकसानी की राशि	वर्ष 1989-90 के दौरान वसूल की गई नुकसानी की राशि	31 मार्च, 1990 को बकाया शास्तिक व नुकसानी की राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	97.63	30.14	14.24	113.53
2	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16.19	11.27	1.58	25.88
3	बिहार	90.89	6.91	6.88	90.92
4	दिल्ली	90.16	13.37	9.60	94.13
5	गुजरात	172.11	24.96	15.53	181.54
6	हरियाणा	84.98	37.27	8.85	113.40
7	कर्नाटक	95.15	52.90	12.04	136.01
8	केरल	99.24	40.28	8.40	131.12
9	मध्य प्रदेश	363.18	12.70	4.90	370.98
10	महाराष्ट्र	1274.14	120.61	33.46	1361.29
11	उड़ीसा	255.38	37.62	5.73	287.27
12	पंजाब	44.01	5.33	1.84	47.50
13	राजस्थान	160.73	23.53	6.94	177.32
14	तमिलनाडू	352.84	32.66	17.41	368.09
15	उत्तर प्रदेश	217.05	66.94	4.50	279.49
16	पश्चिमी बंगाल	942.20	99.78	13.25	1028.73
	जोड़	4355.88	616.27	165.15	4807.00

परिशिष्ट एस-8

वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाए गए भविष्य निधि दावों की क्षेत्रवार आंकड़े दर्शाने वाली सारणी

क्रम सं०	क्षेत्र	31-3-89 को निपटान हेतु बकाया	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	कुल कार्यभार	वापिस/अप्रवीकृत दावे	निपटान के लिए बकाया दावे	निपटाए गए दावे	20 दिन के अन्दर निपटाए गए दावे	20 दिन बाद निपटाये गये दावे	वर्ष के अन्त में बकाया दावे	मुपतान के लिए प्राप्ति कृत राशि (लाख रु० में)
1	आन्ध्र प्रदेश	3171	46123	49294	6123	43171	41621	24866	16755	1550	2107.94
2	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1338	3933	5271	628	4643	4299	2413	1886	344	296.51
3	बिहार	1010	10399	11409	1296	11013	9203	5563	5640	910	888.51
4	दिल्ली	563	31297	31860	1467	30393	30045	20191	9854	348	1702.71
5	गुजरात	4359	67392	71751	12151	59600	54352	23369	30983	5248	4982.62
6	हरियाणा	1037	20480	21517	3778	17739	16675	10619	6056	1064	1200.67
7	कर्नाटक	3334	76980	80314	5369	74945	73274	57193	16081	1671	2959.65
8	केरल	2347	30730	33077	5684	27393	24773	13246	11527	2620	2200.31
9	मध्य प्रदेश	3400	21071	24471	3056	21415	18855	15246	3609	2560	1724.48
10	महाराष्ट्र	10299	122617	13916	20593	111323	99536	44683	54853	11787	16216.00
11	उड़ीसा	2324	9238	11562	1081	10481	7908	2266	5642	2573	678.46
12	पंजाब	2496	40922	43418	6552	36866	34517	14877	19640	2349	1879.11
13	राजस्थान	714	14686	15400	1100	14300	13799	6957	6842	501	965.23
14	तमिलनाडू	7696	108877	116573	24474	92099	82564	52464	30100	9535	5948.44
15	उत्तर प्रदेश	4009	30385	34394	5284	29110	25534	17584	7950	3576	2846.20
16	पश्चिमी बंगाल	6174	54131	60305	10225	50080	42771	30833	11928	7319	5474.29
जोड़		54271	688261	742532	108861	633671	579716	340370	239346	53955	52071.13

परिशिष्ट एस—9

31 मार्च, 1990 को बकाया भविष्य निधि दावे (समय अन्तराल विश्लेषण)

क्रम सं०	क्षेत्र	2 मास से कम के बकाया दावे	2 मास से अधिक लेकिन 6 मास से कम के बकाया दावे	6 मास से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम के बकाया दावे	एक वर्ष से अधिक के बकाया दावे	कुल बकाया दावे
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	1544	6	0	0	1550
2	एन०ई० रीजन	240	104	0	0	344
3	बिहार	715	183	12	0	910
4	दिल्ली	348	0	0	0	348
5	गुजरात	5248	0	0	0	5248
6	हरियाणा	959	105	0	0	1064
7	कर्नाटक	1451	220	0	0	1671
8	केरल	2337	278	5	0	2620
9	मध्य प्रदेश	2023	537	0	0	2560
10	महाराष्ट्र	8546	3240	1	0	11787
11	उड़ीसा	958	1597	15	3	2573
12	पंजाब	2011	283	55	0	2349
13	राजस्थान	394	107	0	0	501
14	तमिलनाडू	8507	1028	0	0	9535
15	उत्तर प्रदेश	2940	490	146	0	3576
16	पश्चिमी बंगाल	4603	2716	0	0	7319
	जोड़	42824	10894	234	3	53955

परिशिष्ट एस्—10

अभिदाताओं के 31-3-90 को अंतरण सम्बन्धी बकाया मामलों के निपटान का व्यौरा

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	एक मास से अधिक बकाया	1 से 3 मास के बीच बकाया	3 से 6 मास के बीच बकाया	6 से 9 मास के बीच बकाया	6 से 1 वर्ष के बीच बकाया	1 वर्ष से अधिक का बकाया	31 मार्च, 1990 को निपटाने हेतु कुल बकाया मामले
1	आन्ध्र प्रदेश	357	0	0	0	0	0	357
2	उत्तरपूर्वी क्षेत्र	267	223	74	0	0	0	564
3	बिहार	92	0	0	0	0	0	92
4	दिल्ली	266	0	0	0	0	0	266
5	गुजरात	944	1036	0	0	0	0	1980
6	हरियाणा	600	95	0	0	0	0	695
7	कर्नाटक	555	245	4	0	0	0	804
8	केरल	332	280	87	18	1	0	718
9	मध्य प्रदेश	1188	1527	0	0	0	0	2715
10	महाराष्ट्र	1166	2513	594	0	0	0	4273
11	उड़ीसा	706	1178	827	148	57	8	2924
12	पंजाब	551	189	0	0	0	0	740
13	राजस्थान	175	416	144	24	0	0	759
14	तमिलनाडु	1448	269	2	0	0	0	1719
15	उत्तर प्रदेश	3832	1150	512	354	0	0	5848
16	पश्चिमी बंगाल	1475	417	0	0	0	0	1892
	जोड़	13954	9538	2244	544	58	8	26346

वर्ष 1989-90 के दौरान अदेय पेशगियों का स्थिति का क्षेत्रवार विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय	आदि जेप	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल कार्य भार	वापस/रद्द किये गये आवेदन	मंजूरी के लिए बकाया आवेदन
आन्ध्र प्रदेश	2299	49162	51461	7592	43869
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	755	3428	4183	346	3837
बिहार	283	7167	7450	831	6619
दिल्ली	74	4054	4128	226	3902
गुजरात	2084	31910	33994	5904	28090
हरियाणा	344	8702	9046	1067	7979
कर्नाटक	1661	30513	32174	4796	27378
केरल	3120	52780	55900	7684	48216
मध्य प्रदेश	788	14272	15060	2323	12737
महाराष्ट्र	2970	41870	44840	8782	36058
उड़ीसा	1447	18503	19950	2706	17244
पंजाब	296	9571	9867	2462	7405
राजस्थान	141	10375	10516	1056	9460
तमिलनाडु	4204	76428	80632	16340	64292
उत्तर प्रदेश	1907	22284	24191	1884	22307
पश्चिमी बंगाल	2436	33168	35604	2272	33332
जोड़	24809	414187	438996	66271	372725

वर्ष 1989-90 के दौरान अवेय पेशगियों की स्थिति का अंतरवार विवरण

क्षेत्रीय कार्यालय	आवेदकों को मंजूर किए गए अग्रिम	20 दिन के अन्दर मंजूर किए गए अग्रिम	20 दिन के बाद मंजूर किए गए अग्रिम	वर्ष के अन्त में बकाया आवेदन	भुगतान के लिए प्राधिकृत राशि (लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	42321	23730	18591	1548	1567.45
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3020	1493	1527	817	105.90
बिहार	6347	2193	4154	272	212.73
दिल्ली	3865	2716	1149	37	355.27
गुजरात	26001	11154	14847	2089	2152.60
हरियाणा	7630	4909	2721	349	460.10
कर्नाटक	26286	18875	7411	1092	2178.37
केरल	45815	28700	17115	2401	2224.18
मध्य प्रदेश	12074	10803	1271	663	592.19
महाराष्ट्र	33150	19787	13363	2908	3887.03
उड़ीसा	15194	8035	7159	2050	554.12
पंजाब	7089	4365	2724	316	369.52
राजस्थान	9332	6816	2514	128	485.34
तमिलनाडु	60867	44276	16591	3425	3359.04
उत्तर प्रदेश	20745	8511	12234	1562	1128.01
पश्चिमी बंगाल	32108	20488	11620	1224	1302.01
जोड़	351844	216853	134991	20881	20933.86

अंशदाताओं को पेशगियों की मंजूरी (31 मार्च, 1990 तक अर्निर्णित आवेदन)

क्षेत्रीय कार्यालय	दो माह से कम बकाया आवेदन	2 माह से 6 माह के बीच बकाया आवेदन	6 माह से 1 वर्ष के बीच बकाया आवेदन	एक वर्ष से अधिक बकाया आवेदन	कुल बकाया आवेदन (31-3-90)
आन्ध्र प्रदेश	1548	0	0	0	1548
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	732	85	0	0	817
बिहार	272	0	0	0	272
दिल्ली	37	0	0	0	37
गुजरात	2086	3	0	0	2089
हरियाणा	349	0	0	0	349
कर्नाटक	1089	3	0	0	1092
केरल	2380	21	0	0	2401
मध्य प्रदेश	642	21	0	0	663
महाराष्ट्र	2768	138	2	0	2908
उड़ीसा	1727	323	0	0	2050
पंजाब	311	5	0	0	316
राजस्थान	107	21	0	0	128
तमिलनाडु	3425	0	0	0	3425
उत्तर प्रदेश	824	693	45	0	1562
पश्चिमी बंगाल	826	398	0	0	1224
जोड़	19123	1711	47	0	20881

वर्ष 1989-90 के दौरान अभिदाताओं को जारी की गई वार्षिक लेखा विवरणियां

क्षेत्रीय कार्यालय	वर्ष के दौरान जारी लेखा विवरणियां	नियोक्ता की चूक के कारण बकाया विवरणियां	अन्य कारणों से बकाया विवरणियां	जारी होने के लिए कुल बकाया विवरणियां
आन्ध्र प्रदेश	9,18,583	9,95,283	2,62,072	12,57,355
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1,23,140	3,17,224	1,85,601	5,02,825
बिहार	3,57,974	2,79,197	1,35,917	4,15,114
दिल्ली	7,29,339	51,343	1,11,925	1,63,268
गुजरात	7,81,543	70,786	6,516	77,302
हरियाणा	3,84,374	12,794	38,378	51,172
कर्नाटक	13,45,916	1,42,384	1,00,000	2,42,384
केरल	7,54,391	43,824	22,075	65,899
मध्य प्रदेश	5,49,669	3,598	1,67,642	1,71,240
महाराष्ट्र	27,88,878	22,59,841	30,88,402	53,48,243
उड़ीसा	3,65,346	95,579	68,916	1,64,495
पंजाब	6,34,685	2,57,091	85,721	3,42,812
राजस्थान	3,58,736	2,35,099	62,289	2,97,388
तमिलनाडू	18,42,480	1,26,171	1,32,687	2,58,858
उत्तर प्रदेश	9,16,624	6,62,845	2,01,900	8,64,745
पश्चिमो बंगाल	14,50,623	20,58,000	13,72,275	34,30,275
जोड़	1,43,02,301	76,11,059	60,42,316	1,36,53,375

अभिदाताओं को वार्षिक लेखा विवरणियां (बकाया का विश्लेषण)

क्षेत्रीय कार्यालय	एक वर्ष से कम बकाया	एक से दो वर्ष के बीच बकाया	दो से तीन वर्ष के बीच बकाया	3 से 4 वर्ष के बीच बकाया	चार वर्ष से अधिक बकाया	जारी की जाने वाली कुल बकाया पंक्तियां
आन्ध्र प्रदेश	276563	2688	15377	0	962727	1257355
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	117347	77041	56847	50419	207171	502825
बिहार	128891	93979	58075	37477	96692	415114
दिल्ली	129414	19514	7361	3707	3372	163268
गुजरात	58715	18587	0	0	0	77302
हरियाणा	33202	11425	5368	834	343	51172
कर्नाटक	85019	54884	10020	21767	70694	242384
केरल	41334	8511	7040	2753	6261	65899
मध्य प्रदेश	167642	3598	0	0	0	171240
महाराष्ट्र	1998012	1425992	796653	475634	651952	5348243
उड़ीसा	142091	11806	5391	3840	1367	164495
पंजाब	208025	62008	32571	18428	21780	342812
राजस्थान	115669	52782	34919	28984	65034	297388
तमिलनाडु	190304	49998	11671	6707	178	258858
उत्तर प्रदेश	650260	69168	56000	48003	41314	864745
पश्चिमी बंगाल	1163348	948279	668182	541541	108925	3430275
जोड़	5499836	2910260	1765475	1240094	2237710	13653375

कुटुम्ब पेंशन के अंशदान के रूप में प्राप्त राशि

वर्ष	कर्मचारी तथा नियोक्ताओं का अंशदान	सरकार का अंशदान	कुल प्राप्त अंशदान
1971-72	1.64	2.30	3.94
1972-73	6.40	3.00	9.40
1973-74	10.29	4.60	14.89
1974-75	16.54	5.01	21.55
1975-76	24.14	9.34	33.48
1976-77	28.85	12.37	41.22
1977-78	35.51	10.80	46.31
1978-79	43.04	12.80	55.84
1979-80	52.33	20.10	72.43
1980-81	66.14	24.00	90.14
1981-82	80.30	28.00	108.30
1982-83	93.72	28.00	121.72
1983-84	113.74	28.75	142.49
1984-85	130.32	32.39	162.71
1985-86	153.88	70.22	224.10
1986-87	183.21	72.64	255.85
1987-88	205.10	102.52	307.62
1988-89	196.10	85.68	281.78
1989-90	207.81	110.11	317.92
जोड़	1649.06	662.63	2311.69

वर्ष 1989-90 के दौरान कुटुम्ब पेंशन निधि अंशदान का भुगतान न करने वाले चूककर्ता नियोक्ता
के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन

क्षेत्रीय कार्यालय	आदिशेष (1-4-89)	चलाये गए मामले (89-90)	कुल निपटारे के मामले	दोषसिद्ध	दोषमुक्त चेतावनी	खारिज/ बरखास्त	वापस किए गए
आन्ध्र प्रदेश	392	696	1038	40	9	0	15
उत्तरपूर्वी क्षेत्र	227	77	304	0	0	0	0
बिहार	689	86	775	0	0	0	0
दिल्ली	110	40	150	15	0	0	0
गुजरात	304	119	423	85	0	0	0
हरियाणा	1245	336	1581	176	0	0	0
कर्नाटक	91	113	204	16	45	9	0
केरल	225	7	232	18	0	0	0
मध्य प्रदेश	56	52	108	0	0	0	0
महाराष्ट्र	3521	239	3760	170	26	4	0
उड़ीसा	245	76	321	4	1	0	0
पंजाब	274	72	346	5	0	0	0
राजस्थान	36	0	36	0	0	0	1
तमिलनाडु	596	72	668	29	20	3	0
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिमी बंगाल	9105	2497	11602	452	0	0	0
जोड़	17066	4482	21548	1010	101	16	16

वर्ष 1989-90 के दौरान कुटुम्ब पेंशन निधि अंशदान न करने वाले चूककर्ता नियोक्ता
के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन

क्षेत्रीय कार्यालय	कुल निर्णित मामले (4—7)	31-3-90 को अनिर्णित मामले	6 माह से कम बकाया	6 माह से 1 वर्ष तक बकाया	1 से 2 वर्ष तक बकाया	2 से 3 वर्ष तक बकाया	3 वर्ष से अधिक बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	64	974	645	104	66	65	94
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0	304	40	70	133	0	61
बिहार	0	775	166	115	155	185	154
दिल्ली	15	135	54	8	0	0	73
गुजरात	85	338	0	121	149	34	34
हरियाणा	176	1405	135	95	629	400	146
कर्नाटक	70	134	30	104	0	0	0
केरल	18	214	7	13	27	167	0
मध्य प्रदेश	0	108	56	5	30	17	0
महाराष्ट्र	200	3560	120	119	600	839	1874
उड़ीसा	5	316	90	43	41	72	70
पंजाब	5	341	47	70	114	70	40
राजस्थान	1	35	0	0	31	1	3
तमिलनाडु	52	616	279	88	43	45	161
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिमी बंगाल	452	11150	2198	2153	2001	2582	2216
जोड़	1143	20405	3867	3108	4019	4477	4926

परिशिष्ट एस—17

कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 (सभी लाभ)

69

क्रम सं०	क्षेत्र	आदि प्रदेश	प्राप्त दावे (1989-90)	निपटान के लिए बकाया दावे	अस्वीकृत/वापिस भेजे गए दावे	निपटान के लिए बकाया दावे	निपटाए गए दावे	31 मार्च, 1990 की निपटान हेतु बकाया दावे
1	आन्ध्र प्रदेश	4239	49578	53817	10039	43778	40466	3312
2	उत्तरपूर्वी क्षेत्र	1500	3944	5444	777	4667	4019	648
3	बिहार	1159	9820	10979	1482	9497	7876	1621
4	दिल्ली	1665	42748	44413	6419	37994	36069	1925
5	गुजरात	4910	70409	75319	16408	58911	51478	7433
6	हरियाणा	1669	20334	22003	4301	17702	16219	1483
7	कर्नाटक	4120	82273	86393	8129	78264	75608	2656
8	केरल	4443	26969	31412	8089	23323	20030	3293
9	मध्य प्रदेश	2932	20743	23675	3994	19681	16778	2903
10	महाराष्ट्र	11240	118590	129830	26674	103156	88469	14687
11	उड़ीसा	2468	9177	11645	1435	10210	7323	2887
12	पंजाब	3216	39987	43203	7627	35576	31862	3714
13	राजस्थान	840	16151	16991	2355	14636	13974	662
14	तमिलनाडु	7505	107713	115218	31178	84040	74537	9503
15	उत्तर प्रदेश	6253	24085	30338	5757	24581	19695	4886
16	पश्चिमी बंगाल	1948	32316	34264	4353	29911	27549	2362
	जोड़	60107	674837	734944	139017	595927	531952	63975

31 मार्च, 1990 को बकाया कुटुम्ब पेंशन दावों (सभी लाभ) का निपटारा

क्षेत्रीय कार्यालय	2 माह से कम बकाया	2 से 6 माह के बीच बकाया	6 से 12 माह के बीच बकाया	एक वर्ष से अधिक बकाया	कुल बकाया दावों (31-3-90)
1	2	3	4	5	6
अन्ध्र प्रदेश	2158	1154	0	0	3312
उत्तरपूर्वी क्षेत्र	500	148	0	0	648
बिहार	1229	392	0	0	1621
दिल्ली	1925	0	0	0	1925
गुजरात	7409	24	0	0	7433
हरियाणा	1354	129	0	0	1483
कर्नाटक	2525	131	0	0	2656
केरल	2487	626	171	9	3293
मध्य प्रदेश	1855	788	230	30	2903
महाराष्ट्र	11445	3028	102	112	14687
उड़ीसा	1041	1838	7	1	2887
पंजाब	3063	573	78	0	3714
राजस्थान	493	148	21	0	662
तमिलनाडु	8800	703	0	0	9503
उत्तर प्रदेश	3837	693	356	0	4886
पश्चिमी बंगाल	1657	705	0	0	2362
जोड़	51778	11080	965	152	63975

परिशिष्ट ए—19

कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 मासिक पेंशन सम्बन्धी दावे 1989-90

क्रम सं०	क्षेत्र	1 अप्रैल, 1989 को आदि शेष	प्राप्त दावे (1989-90)	निपटान के लिए कुल दावे	अस्वीकृत/ वापिस किए गए दावे	निपटान के लिए बकाया दावे	निपटाए गए दावे (1989-90)	31 मार्च, 1990 को बकाया दावे
1	आन्ध्र प्रदेश	394	2546	2940	728	2212	1903	309
2	उत्तरपूर्वी क्षेत्र	84	268	352	106	246	91	155
3	बिहार	203	782	985	146	839	603	236
4	दिल्ली	108	1564	1672	763	909	838	71
5	गुजरात	202	1409	1611	420	1191	1015	176
6	हरियाणा	261	443	704	49	655	543	112
7	कर्नाटक	240	2198	2438	746	1692	1385	307
8	केरल	285	1017	1302	457	845	592	253
9	मध्य प्रदेश	396	958	1354	327	1027	541	486
10	महाराष्ट्र	580	4004	4584	1842	2742	2483	259
11	उड़ीसा	93	452	545	116	429	348	81
12	पंजाब	322	673	995	201	794	413	381
13	राजस्थान	113	725	838	253	585	506	79
14	तमिलनाडु	236	3190	3426	1037	2389	2160	229
15	उत्तर प्रदेश	506	2501	3007	703	2304	1790	514
16	पश्चिमी बंगाल	321	2365	2686	515	2171	1575	598
जोड़		4344	25095	29439	8409	21030	16786	4244

परिशिष्ट एस—20

31 मार्च, 1990 को बकाया मासिक परिवार पेंशन सम्बन्धी दावे

क्रमः सं०	क्षेत्र का नाम	2 माह से कम के बकाया दावे	2 से 6 माह के बकाया दावे	6 से 12 माह के बकाया दावे	1 वर्ष से अधिक बकाया दावे	31 मार्च, 1990 को कुल बकाया दावे
1	आन्ध्र प्रदेश	237	72	0	0	309
2	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	120	35	0	0	155
3	बिहार	195	41	0	0	236
4	दिल्ली	71	0	0	0	71
5	गुजरात	165	11	0	0	176
6	हरियाणा	112	0	0	0	112
7	कर्नाटक	303	4	0	0	307
8	केरल	158	68	26	1	253
9	मध्य प्रदेश	113	243	115	15	486
10	महाराष्ट्र	236	21	2	0	259
11	उड़ीसा	36	42	3	0	81
12	पंजाब	196	136	49	0	381
13	राजस्थान	45	30	4	0	79
14	तमिलनाडू	229	0	0	0	229
15	उत्तर प्रदेश	398	116	0	0	514
16	पश्चिमी बंगाल	388	208	0	0	596
	जोड़	3002	1027	199	16	4244

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम : लिए प्राप्त अंशदान तथा प्रशासनिक प्रभार

वर्ष	प्राप्त अंशदान नियोक्ताओं का भाग	प्राप्त अंशदान सरकार का भाग	कुल प्राप्त अंशदान	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	सरकार से प्राप्त अंशदान प्रभार	कुल प्राप्त प्रशासनिक प्रभार
1	2	3	4	5	6	7
1976-77	7.22	4.75	11.97	1.48	0.95	2.43
1977-78	15.69	6.96	22.65	3.40	1.50	4.90
1978-79	17.66	7.31	24.97	3.45	1.55	5.00
1979-80	16.20	7.50	23.70	3.77	1.55	5.32
1980-81	18.53	8.00	26.53	4.26	1.95	6.21
1981-82	19.71	8.00	27.71	4.75	1.95	6.70
1982-83	21.49	8.50	29.99	4.77	2.00	6.77
1983-84	23.90	10.00	33.90	5.60	2.70	8.30
1984-85	25.58	11.00	36.58	5.41	2.72	8.13
1985-86	28.60	13.87	42.47	6.27	5.24	11.51
1986-87	32.03	16.00	48.03	7.09	3.70	10.79
1987-88	33.83	16.91	50.74	7.24	2.00	9.24
1988-89	36.17	16.59	52.76	3.57	0.00	3.57
1989-90	27.05	19.38	46.43	0.00	0.00	0.00
जोड़	323.66	154.77	478.43	61.06	27.81	88.87

परिशिष्ट एस—22

वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाए गए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम के दावे

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	अग्रणीत बकाया मामले (1-4-89)	(1989-90) के दौरान प्राप्त दावे	निपटान के लिए बकाया दावे (1989-90)	निपटायें गये दावे	भुगतान के लिए प्राधिकृत राशि (लाखों में)	20 दिन के भीतर निपटाए दावे	21 से 30 दिन के भीतर निपटायें गये दावे	अस्वीकृत/ वापिस किए गए दावे	31-3-90 को निपटान के बकाया दावे
84	1 आन्ध्र प्रदेश	249	1675	1924	1017	56.23	452	565	792	115
	2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र	98	217	315	124	6.41	49	75	83	108
	3 बिहार	128	666	794	434	28.97	98	336	259	101
	4 दिल्ली	69	527	596	433	29.73	250	183	104	59
	5 गुजरात	330	2594	2924	1212	83.92	440	772	1421	291
	6 हरियाणा	93	340	433	177	12.67	130	47	186	70
	7 कर्नाटक	289	2170	2459	1066	56.11	710	356	1144	249
	8 केरल	306	2265	2571	1124	57.15	446	678	1153	294
	9 मध्य प्रदेश	100	588	608	270	18.17	154	116	240	98
	10 महाराष्ट्र	689	5307	5996	3127	240.02	1215	1912	2523	346
	11 उड़ीसा	175	589	764	344	16.54	86	258	244	176
	12 पंजाब	176	787	963	379	17.48	108	271	424	160
	13 राजस्थान	59	336	395	160	9.24	41	119	200	35
	14 तमिलनाडू	352	4669	5021	1571	84.86	953	618	3214	236
	15 उत्तर प्रदेश	1230	2885	4115	1719	116.02	1719	0	1229	1167
	16 पश्चिमी बंगाल	1271	5982	7253	4496	248.15	3140	1356	879	1878
	कुल	5614	31517	37131	17653	1082.37	9991	7662	14095	5383

परिशिष्ट एत— 23

वर्ष 1989-90 के दौरान निपटाये गये कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम के दावे

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	2 माह से कम के बकाया दावे	2 से 6 माह के बकाया दावे	6 से 1 वर्ष के बकाया दावे	1 वर्ष से अधिक बकाया दावे	31 मार्च, 1990 को निपटान के लिए बकाय दावे
1	आन्ध्र प्रदेश	113	2	0	0	115
2	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	90	18	0	0	108
3	बिहार	72	29	0	0	101
4	दिल्ली	54	5	0	0	59
5	गुजरात	290	1	0	0	291
6	हरियाणा	54	16	0	0	70
7	कर्नाटक	225	24	0	0	249
8	केरल	229	65	0	0	294
9	मध्य प्रदेश	97	1	0	0	98
10	महाराष्ट्र	312	32	2	0	346
11	उड़ीसा	88	84	1	3	176
12	पंजाब	95	64	1	0	160
13	राजस्थान	20	14	1	0	35
14	तमिलनाडू	235	1	0	0	236
15	उत्तर प्रदेश	847	191	129	0	1167
16	पश्चिमी बंगाल	1534	344	0	0	1878
	जोड़	4355	891	134	3	5383

परिशिष्ट एस—24

31 मार्च, 1990 को कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम अंशदान का भुगतान न करने वाले चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध अभियोजन मामले

क्र.सं०	क्षेत्र का नाम	प्रयोजित मामले (1-4-89)	वर्ष के दौरान आरम्भ किए गए मामले (1989-90)	कुल दोष सिद्ध मामले	दोष मुक्त चैतावनों सम्बन्धी मामले	वापिस लिए गए मामले	खारिज/बर्खास्त मामले	1989-90 के दौरान निर्णित मामले	31-3-90 को निपटान हेतु बकाया	6 मास से कम के बीच बकाया	6 मास 1 वर्ष के बीच बकाया	1 से 2 वर्ष के बीच बकाया	2 से 3 वर्ष तक बकाया	3 वर्ष से अधिक बकाया	
1	आन्ध्र प्रदेश	362	768	1130	75	0	0	0	75	1055	668	75	76	157	85
2	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	427	150	577	0	0	0	0	0	577	86	130	341	0	20
3	बिहार	741	140	881	0	0	0	0	0	881	236	185	145	125	190
4	दिल्ली	96	82	178	30	0	0	0	30	148	99	49	0	0	0
5	गुजरात	494	119	613	99	0	0	0	99	514	3	58	241	188	24
6	हरियाणा	668	251	919	188	0	0	0	188	731	731	0	0	0	0
7	कर्नाटक	536	132	668	64	0	0	0	64	604	150	70	134	80	170
8	केरल	252	4	256	53	0	0	0	53	203	4	0	42	157	0
9	मध्य प्रदेश	75	82	157	0	0	0	0	0	157	68	37	10	0	42
10	महाराष्ट्र	3230	141	3371	107	0	0	0	107	3264	82	59	402	409	2312
11	उड़ीसा	316	76	392	6	0	0	0	6	386	89	32	37	96	132
12	पंजाब	175	61	236	30	0	0	0	30	206	12	69	0	0	125
13	राजस्थान	98	0	98	4	0	0	0	4	94	0	0	59	2	33
14	तमिलनाडु	471	35	506	20	0	0	0	20	486	200	50	80	42	114
15	उत्तर प्रदेश	1077	18	1095	0	0	0	0	0	1095	18	60	115	130	772
16	पश्चिमी बंगाल	5587	2192	7779	347	0	0	0	347	7432	2248	1561	1843	1072	708
जोड़		14605	4251	18856	1023	0	0	0	1023	17833	4694	2435	3525	2458	4727

अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) स्कीम अर्जित आय और प्रशासन पर किया गया व्यय

वर्ष	सरकार से प्राप्त राशि	किया गया व्यय
1974-75	12.00	8.56
1975-76	37.00	36.68
1976-77	66.00	64.85
1977-78	77.32	70.38
1978-79	55.00	61.05
1979-80	60.00	57.82
1980-81	54.00	55.94
1981-82	35.00	41.83
1982-83	29.00	33.99
1983-84	26.79	8.24
1984-85	0.00	6.66
1985-86	5.00	4.10
1986-87	0.00	3.07
1987-88	0.00	4.05
1988-89	0.00	3.03
1989-90	0.00	2.31
जोड़	457.11	462.56

21. श्री दीपक घोष,
सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार,
श्रम विभाग कलकत्ता ।
22. श्री वारसि आर० किदवई,
महासचिव, स्कोप काम्पलैक्स, नं० 7
प्रगति विहार के सामने, लोदी रोड़,
नई दिल्ली-1100031.
23. श्री डी० पी० चक्रवर्ती,
श्री अन्नपूर्णा काटन मिल्स एण्ड इण्डिया लि०,
पी०-10, न्यू हाबड़ा ब्रिज अप्रोज रोड़,
कलकत्ता-700001.
24. श्री वी० पी० महात्मे,
सचिव, एम्पलायर्स फ़ैडरेशन आफ इण्डिया
आर्मी एण्ड नेवी भवन,
148, महात्मा गांधी मार्ग बम्बई-23.
25. श्री पी० बी० दुग्गल,
अध्यक्ष, फ़ैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल
इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया, लघु उद्योग, कुट्टे ।
23 बी/2 गुरुगोबिन्द सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110005.
26. श्री आर० सी० पाण्डे,
सचिव, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन
फ़ैडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-1100013.
27. डा० आई० पी० पोद्दार
प्रबन्ध निदेशक,
कलकत्ता सिल्क मैनुफ़ैक्चरिंग कं० लि०,
कमर्शियल हाऊस 135-ए,
विपलावी रासबिहारी वासु रोड़,
कलकत्ता-700006.
28. श्री एस० एन० अग्रवाल,
ओरिका स्टील लि० पांचवी, मंजिल,
हिलानन्दा 11, 26/1, लैवली रोड़,
बंगलौर-560001.
29. श्री एस० बी० जैन, सलाहकार
एफ एण्ड जी० आर०
स्टेन्डिंग कॉर्फेस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज,
स्कोप काम्पलैक्स, 7, लोधी
रोड़ नई दिल्ली-8,
30. श्री एन कानन, सचिव
एडपलाइज फ़ैडरेशन आफ साउदर्न इंडिया
41, कस्तुरा रंगा रोड़, एलवरपेट,
मद्रास-600018.
31. श्री सी० के० हजारी,
सलाहकार,
एस्कोर्ट लि०, डी०-910, न्यू फ़्रेंड्स, कन्नोनी,
नई दिल्ली ।
32. श्री प्रद्युमन सिंह,
सचिव,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस क०
पंजाब राज्य समिति,
एकता भवन, पुतलीघर,
अमृतसर ।
33. श्री ए० वेंकटराम,
भारतीय मजदूर संघ,
सूबेदार, चेताराम रोड़,
बंगलौर-560009.
34. श्री किशन पुलपुले,
अध्यक्ष, मिल मजदूर सभा,
श्रम साधना, हिन्दू कालोनी प्रथम लेन,
डी०बी० प्रधान रोड़, दादर,
बम्बई-400014
35. श्री हरिभाऊ नायक,
सचिव, इंटक, द्वारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ,
जी०डी० अम्बेडकर मार्ग,
परेल, बम्बई-400012.
36. श्री लाल बहादुर सिंह,
संयुक्त महासचिव, इंटक, बंगाल ब्रांच,
177/बी०, आचार्य जगदीश बोस रोड़,
कलकत्ता-700014
37. श्री बलवन्त राय कपूर,
अध्यक्ष, इंटक, पंजाब ब्रांच,
852/9, गेट खजाना,
अमृतसर ।
38. श्री बी० पी० माराकार,
अध्यक्ष, इंटक, केरल ब्रांच, एडाप्पाली,
कोचीन-24

39. श्री हंसमुख भाई दवे,
एडवोकेट, गायत्री, राजपूत पारा,
(बी०एम०एस०) मेन रोड,
राजकोट-360001।

40. श्री ई० बालानन्दन,
सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियनस,
6, तालफटोरा रोड, नई दिल्ली।

41. श्री फटिक घोष, सचिव,
आल इण्डिया कमेटी, यू०टी०यू०सी०,
(लेनिन सरानी)
77/2/1, लेनिन सरानी, प्रथम मंजिल,
कलकत्ता-700013।

42. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
सदस्य,
पदेन।

परिशिष्ट क—2

उद्योग/स्थापना वर्ग जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

31 मार्च, 1990 को लागू किया गया ।

लागू किए जाने की तारीख	उद्योग/स्थापना वर्ग
1	2
1 नवम्बर, 1952	- सीमेंट - सिगरेट - बिजली, यांत्रिकी या सामान्य इंजीनियरी सम्बन्धी उत्पादन - लोहा और इस्पात - कागज - वस्त्र (पूर्णतः या आंशिक रूप से सूती या ऊनी या पटसन अथवा प्राकृतिक या कृत्रिम रेशम से बने वस्त्र) (क) जूट
31 जुलाई, 1956 (7 से 19 तक)	- खाद्य तेल और चिकनाई - चीनी - रबड़ और रबड़ उत्पादन - बिजली जिसमें उसका उत्पादन संचरण और वितरण शामिल है। - चाय (असम राज्य को छोड़कर जहां असम सरकार से इन उद्योग के लिए बागान सहित अलग से एक भविष्य निधि योजना आरम्भ की है। - मुद्रण (मुद्रण उद्योग के अतिरिक्त समाचार-पत्र स्थापनाओं से सम्बन्धित जैसा कि श्रमजीवी पत्रकार) सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में परिभाषित किया तथा की गई है तथा छपाई के टाइप कम्पोज करने की प्रक्रिया लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, लिथो-ग्राफी, प्रकाश, चित्रण (फोटो ग्रेव्यार) या इसी प्रकार की अन्य पत्रिकाओं या किताबों की जिल्दसजी भी शामिल है। - स्टोन वेयर और पाइप - सेनेटरी का समान - अधिक और कम बोल्ट से बिजली के संलग्न विद्युत रोध - उच्चदाप सह वस्तुएं - टाइलें - माचिस - कांच

नोट :—31 मार्च, 1962 तक यह योजना निम्नलिखित पर लागू नहीं थी :—

- दियासलाई के ऐसे कारखाने जिनका वार्षिक सकल उत्पादन दियासलाई की पांच लाख डिवियां या कम हो ।
- कांच की चादरें और कांच के खोल की फैक्टरियों को छोड़कर कांच की ऐसी अन्य फैक्टरियां जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता प्रतिमाह 600 मी० टन या इससे कम है ।

1	2
30 सितम्बर, 1956 (20 से 23)	20. भारी और परिष्कृत रसायन जिनमें निम्नलिखित शामिल है :— (1) उर्वरक (2) तारपीन (3) रोजिन (4) औषध व भेषजीय उत्पादन (5) सौन्दर्य प्रसाधनों का उत्पादन (6) साबुन (7) स्थाही (8) मध्यक, रंजन, वर्ण, लाक्षक और टोनर्स (9) अम्ल और आक्सीजन ऐसेटिलीन और कार्बन डाईआक्साइड गैस (यह अधिनियम इस उद्योग पर वास्तव में 31 जुलाई, 1957 से लागू हुआ)
31 दिसम्बर, 1956	21. नील
31 जनवरी, 1957	22. चमड़ा सहित लाख
30 अप्रैल, 1957 (26 से 30-क तक)	23. अखाद्य वनस्पति व जन्तु तेल तथा वसा 24. समाचार पत्र स्थापनाएं 25. खनिज तेल 26. चाय बागान (असम राज्य के चाय बागान को छोड़कर) 27. काफी बागान 28. रबड़ बागान 29. इलायची बागान 30. काली मिर्च 30.(क) मिश्रित बागान
30 नवम्बर, 1957 (31 से 37 तक)	31. लोह अयस्क खानें 32. मैंगनीज खानें 33. चूने के पत्थर की खानें 34. सोने की खानें 35. औद्योगिक और पावर अल्कोहल 36. ऐस्बेस्टन सीमेंट की चादरें 37. काफी संसाधन स्थापनाएं
30 अप्रैल, 1958	38. विस्कुट बनाने के उद्योग जिसमें विस्कुट और अन्य ऐसे उत्पादन जैसे कि डब्ल रोटी, मिष्ठान और दूध का पाउडर बनाने वाले समिश्रण एकक (कम्पोजिट यूनिट) शामिल है
30 अप्रैल, 1959	39. सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं
31 मई, 1960 (40 से 41 तक)	40. अभ्रक उद्योग 41. अभ्रक की खानें
30 जून, 1960 (42 से 43 तक)	42. प्लाईवुड 43. मोटर मरम्मत और सर्विसिंग
31 दिसम्बर, 1960 (44 से 46 तक)	44. चावल मिल 45. दाल मिल 46. आटे की मिल

1	2
31 मई, 1961	47. स्टार्च
30 जून, 1961	48. होटल
(48 से 52 तक)	49. रेस्तरां
	50. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस अथवा पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस उत्पादकों के ग्राहक या परिवहन या वितरण में लगी स्थापनाएं
	51. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की खोज सर्वेक्षण ड्रिलिंग या उत्पादन
	52. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का शोधन
31 जुलाई, 1961	53. सिनेमा जिसमें पूर्व दर्शन थियेटर शामिल है
(53 से 57 तक)	54. फिल्में बनाना
	55. फिल्म स्टूडियो
	56. उदभावित फिल्मों के वितरण प्रतिष्ठान
	57. फिल्मी प्रिंट बनाने वाली प्रयोगशालाएं
31 अगस्त, 1961	58. चमड़ा और चमड़े का उत्पादन
30 नवम्बर, 1961	59. पत्थर के बर्तन
(59 से 60 तक)	60. चीनी के बर्तन
31 दिसम्बर, 1961	61. प्रत्येक ऐसा गन्ने का खेत जिसका मालिक या काबिज किसी चीनी की फैक्टरी का मालिक खेती करता हो या काबिज हो
30 अप्रैल, 1962	62. वस्तुओं की खरीद, बिक्री या संग्रहण में लगी प्रत्येक व्यापारिक और वाणिज्यिक स्थापना, निर्यात और आयात करने वाले विज्ञापनदाताओं की स्थापनाएं परन्तु इनमें किसी भी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित बैंक या माल गोदाम शामिल नहीं हैं
30 जून, 1962	63. फल और सब्जी परिरक्षण
30 सितम्बर, 1962	64. काजू
31 अक्तूबर, 1962	65. लकड़ी के संसाधान के उपचार में लगी स्थापनाएं जिनमें हार्डबोर्ड या चिपबोर्ड, पटसन या वस्त्र, निर्माण सम्बन्धी लकड़ी के सहायक समान, कार्क का समान, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का खेलकूद का समान, बांस या बेंत की बनी चीजें लकड़ी के बने बैटरी नियोजक का विनिर्माण करने वाली स्थापनाएं भी शामिल हैं
(65 से 69 तक)	66. आरा मशीन
	67. लकड़ी सूखाने वाले भट्टे
	68. लकड़ी परिरक्षण संयंत्र
	69. लकड़ी के कारखाने
31 दिसम्बर, 1962	70. बाक्सवर्ड की खानें
31 मार्च, 1963	71. मिष्ठान भण्डार
(71 से 76 तक)	72. लाउंड्री और लाउंड्री सेवाएं
	73. बटन उद्योग
	74. ब्रुश
	75. प्लास्टिक और प्लास्टिक का समान
	76. लेखन सामग्री

31 मई, 1963 (77 से 79 तक)	77. ऐसे थियेटर जिनमें नाटक और अन्य प्रकार के मनोरंजन आदि होते हैं और जहां श्रोताओं या दर्शकों के रूप में प्रवेश पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं
	78. ऐसे सोसाइटी या क्लब या संघ जो अपने सदस्यों या अतिथि के लिए उनसे पैसा लेकर भोजन या आवास या दोनों या उनके मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं
	79. कम्पनियां, सोसाइटियां, संघ, क्लब या मण्डलियां जो गोलाकार या अन्य प्रकार के अखाड़े में किसी भी प्रकार की कलाबाजी का या अन्य कोई प्रदर्शन या दोनों करते हैं या थियेटर के बाहर अन्य किसी स्थापना किसी प्रकार का मनोरंजन करने की इजाजत देते हैं और ऐसे प्रदर्शन या मनोरंजन के दर्शकों या श्रोताओं को प्रवेश के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं
31 अगस्त, 1963 (80 से 81 तक)	80. केन्टीन
31 अक्टूबर, 1963	81. एयरेटेड वाटर सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड जल
	82. स्प्रिट का अवसन और परिशोधन करना (जो औद्योगिक और पावर अल्कोहल के अन्तर्गत नहीं आते) और स्प्रिट का समिश्रण करना
31 जनवरी, 1964 (83 से 84 तक)	83. पेंट और वार्निश
30 जून, 1964 (85 से 86 तक)	84. अस्थिदहन
31 अक्टूबर, 1964 (87 से 92 तक)	85. अचार मुरब्बे
	86. चीनी मिट्टी की खानें
	87. अटॉर्नी एडवोकेट अधिनियम, 1965 (1961 का 25) परिभाषा के अनुसार
	88. चार्टर्ड अकाउण्टेंट 1949 (1949 का 38) में दी गई 95 परिभाषा के अनुसार स्वीकृत या पंजीकृत लेखाकार
	89. लागत और संकर्म एकाउण्टेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अनुसार लागत और निर्माण कार्य के लेखाकार
	90. ऐसे इंजीनियर या इंजीनियरी का कार्य करने वाले ठेकेदार जो पूरी तरह से भवन और निर्माण कार्य में लगे हों
	91. वास्तुविद
	92. चिकित्सक और चिकित्सा विशेषज्ञ
31 दिसम्बर, 1964	93. दूध और दूध से बनी चीजें
31 जनवरी, 1965 (94 से 96 तक)	94. निम्नलिखित में लगी यात्रा एजेंसी :— (क) अन्तर्राष्ट्रीय वायु और समुद्री यात्रा टिकटों की बुकिंग और अन्य यात्रा प्रवेश (ख) देश में वायु और रेल यात्रा टिकटों की बुकिंग व अन्य यात्रा प्रबन्ध (ग) भारत के अन्दर और विदेशों से आये और विदेशों से भेजे गए माल की निकासी की व्यवस्था करना
	95. किसी भी सामान के संग्रहण पैकिंग अग्रेषण या पहुंचाने में लगी अग्रेषण एजेंसियों जिसमें माल का लदान ब्रेकबल्क सेवा और विदेशी माल परिवहन सेवाएँ शामिल है
	96. सिलिलियों के आकार में लोह धातु और मिश्र धातु
31 मार्च, 1965	97. डबल रोटी
30 जून, 1965	98. तम्बाकू की पत्तियों के डंठल निकालना पुनः सुखाना, छांटना, उनका वर्गीकरण या उसकी पैकिंग करना

31 जुलाई, 1965	99. अगरवती (इनमें धूपवती भी शामिल है)
31 अगस्त, 1965	100. मैग्नेसाइड की खानें
30 सितम्बर, 1965	101. नारियल जटा (कटाई वाले सैक्टर को छोड़कर)
31 दिसम्बर, 1965	102. छत और फर्श के स्लेब निश्चित आधार के पत्थर और पक्ककारी के काम में आने वाले टुकड़े तैयार करने वाले पत्थर की खादान
31 जनवरी, 1966	103. ऐसा बैंक जो एक राज्य या संघ शासित क्षेत्र में कार्य व्यापार करता हो और जिसका उस राज्य या संघ शासित क्षेत्र से बाहर कोई विभाग या शाखा नहीं है
30 जून, 1966	104. तम्बाकू उद्योग अर्थात् तम्बाकू के सिगार, जर्दा वाले उद्योग संगठन कपास, मुराद बनाने वाले उद्योग
31 जुलाई, 1966	105. कागज के उत्पादन
30 सितम्बर, 1966	106. लाइसेंस अधीन नमक बनाने वाले
30 अप्रैल, 1967 (107 से 108 तक)	107. लिनोलियम
	108. इंडोलियम
31 जुलाई, 1967	109. विस्फोटक पदार्थ
31 अगस्त, 1967	110. पटसन की गांठें बनाना या दबाना
31 अक्तूबर, 1967	111. आतिशबाजी और आद्यात टोपी निर्माण कार्य
30 नवम्बर, 1967	112. टैंट निर्माण उद्योग
31 अगस्त, 1968 (113 से 119 तक)	113. बैराइटीज की खानें
	114. डोलोमाइट की खानें
	115. अग्निसह मिट्टी की खानें
	116. जिप्सम की खानें
	117. कायनाइट की खानें
	118. सिलोमिनाइट की खानें
	119. स्टेदाइट की खानें
31 दिसम्बर, 1968	120. सिकोश्रा उद्योग
30 अप्रैल, 1969	121. फ़ैरोमैगनीज
30 जून, 1969 (122 से 123 तक)	122. बर्फ या आइसक्रीम
	123. हीरे की खानें

1	2
31 जनवरी, 1970	124. सामान्य बीमा व्यापार
31 मई, 1971	125. विशेषज्ञ सेवाएं जैसे श्रमिकों की व्यवस्था कार्यालय या विभागीय जांच कार्य के संबंध में संलाह देना, फैक्टरियों और अन्य स्थापनाओं की उठाई गिरी चोरी और बेतन चिट्ठे की अनियमितताओं में सुधार लाने के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों एवं निबंधनों पर जैसा कि उन स्थापनाओं पर सेवा सहायक स्थापनाओं के मध्य तय हो विशेष सेवा प्रदान करना
30 नवम्बर, 1971	126. धागा बांटने और अटारने का काम करने वाली फैक्टरियां
31 मार्च, 1972	127. ठेकेदारों या अन्य प्रा० स्थापनाओं द्वारा कमीशन पर चलाई जा रही रेलवे बुकिंग एजेंसियां
30 सितम्बर, 1972	128. रूई की छंटाई, गांठें बांधना और दबाना
31 मार्च, 1973	129. सैनिक मैस को छोड़कर कोई भी मैस
31 मई, 1973	130. कत्था तैयार करने वाले उद्योग
31 अगस्त, 1973	131. किसी व्यक्ति, संघ या संस्था द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल आदि
30 अप्रैल, 1974	132. बीघर विनिर्माण
30 सितम्बर, 1974	133. कच्चे सूत की छंटाई, सफाई और धुलाई
30 नवम्बर, 1974 (134 से 135 तक)	134. वे सोसाइटी, क्लब व संघ जो अपने सदस्यों से चन्दा या सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क लिए बिना सेवा प्रदान करते हैं
	135. सिले सिलाए वस्त्रों के कारखाने
31 दिसम्बर, 1974	136. कृषि फार्म, फल, फलाधान वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर
30 जून, 1975	137. सेलखड़ी की खानें तथा सेलमडी पीसने में नियोजित स्थापनाएं
31 जुलाई, 1976 (138 से 150 तक)	138. एपेटाइट खानें
	149. एसबेस्टस खानें
	140. कार्लसाइट खानें
	141. बालकले की खानें
	142. कुरण्ड खानें
	143. पन्ना की खानें
	144. पैल्सपार की खानें
	145. सिलिका (रेत) खानें

1	2
	146. कांचमणी खानें
	147. गेरू की खानें
	148. क्रोमाइट की खानें
	149. ग्रफाइट की खानें
	150. फलराट की खानें
28 फरवरी, 1977 (151 से 153 तक)	151. ऐसी स्थापनाएं जो सरेस तथा जिलेटिन का उत्पादन करती हैं
	152. पत्थर की खानें जिसमें स्टोन चिप्स, स्टोन सेट्स, सटोन ब्लाऊण्डर व ब्लास्ट का उत्पादन होता है
	153. मछली संसाधन या निरीमिष खाद्य परिरक्षण आदि कार्यों में नियोजित स्थापनाएं
31 मई, 1977	154. बीड़ी विनिर्माण में संलग्न स्थापनाएं
31 दिसम्बर, 1978	155. व्याज पाने की दृष्टि से उधार देने अग्रिम धन देने और धन संबंधी अन्य व्यवहारों में लगी हुई (बैंकों से भिन्न) वित्तीय स्थापनाओं के मामले में
31 जनवरी, 1979	156. लिग्नाइट खानें
31 जुलाई, 1979	157. फैंरोक्रोम
31 मई, 1980 (158 से 160)	158. हीरे काटने में लगे उद्योग
	159. क्वारसाइट की खानें
	160. अन्तरस्थलीय परिवहन स्थापनाएं
31 अक्तूबर, 1980 (161 से 162)	161. भवन और निर्माण
	162. माइरोवलन एक्सट्रेक्स पाउडर माइरोवलन एक्सट्रेक्स सालिड
30 नवम्बर, 1980	163. ईंटें
23 नवम्बर, 1981	164. जहाजों के लदान और माल उतारने में लगी हुई स्थापनाएं
7 दिसम्बर, 1981 (165 से 166)	165. कुक्कुटादि पालन उद्योग
	166. पशु चारा उद्योग
6 मार्च, 1982 (167 से 172)	167. कोई विश्वविद्यालय
	168. कोई भी कालेज चाहे वह किसी विश्वविद्यालय से संबंधित हो या नहीं
	169. कोई भी स्कूल चाहे वह केन्द्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो या नहीं उसे इनसे सहायता मिलती है या नहीं

1	2
	170. कोई भी वैज्ञानिक संस्थान
	171. ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें किसी प्रकार का अनुसंधान किया जाता है
	172. ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें ज्ञान प्रदायन का कोई कार्य होता है अथवा प्रशिक्षण दिया जाता है
1 जनवरी, 1984	173. मुख्यतः एस्बेप्टस के कच्चे माल का व्यापार करने वाली सभी स्थापनाएं
1 सितम्बर, 1989	174. इन्डस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग आयरन और पेलेट्स

परिशिष्ट क-3

31 मार्च, 1990 को अछूत प्राप्त स्थापनाओं का भविष्य निधि अंशदान, प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी की बकाया राशि सहित एक लाख रुपये या उससे अधिक भविष्य निधि राशि को चूक सम्बन्धी ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	स्थापनाओं के नाम	बकाया भविष्य निधि (रु० लाखों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	ए० पी०/140 मै० डी० वी० आर० मिल्स, हैदराबाद	2.75
2.	ए० पी०/181 मै० अजम जाही, मिल्स, वारंगल	27.76
3.	ए० पी०/1739 मै० फेडरल स्पोर्ट्स, हैदराबाद	9.53
4.	ए० पी०/1916 मै० कृषि इंजीनियरिंग प्रा० लि०	2.93
5.	ए० पी०/2669 मै० वासीकम इंड, हैदराबाद	1.40
6.	ए० पी०/2905 मै० नेलंगना स्पीनिंग मिल्स	1.24
7.	ए० पी०/3821 मै० अन्तर्भाव टैक्सटाइल्स, करीमनगर	4.33
8.	ए० पी०/4013 मै० एक्मोट इंजीनियरिंग हैदराबाद	1.14
9.	ए० पी०/6647 मै० भानु कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०	1.59
10.	ए० पी०/11852 मै० सत्य स्टील स्ट्रीप्स	1.33
11.	ए० पी०/17184 मै० तारका प्रभू पब्लिशर्स प्रा० लि० हैदराबाद	4.92
12.	ए० पी०/17892 मै० टेलनोयुस प्रा० लि०, हैदराबाद	3.31
13.	ए० पी०/13154 मै० ए० पी० स्टेट एसेंशियल कामोडेटीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद	5.61
14.	ए० पी०/17779 मै० वासवी इंजीनियरिंग कालेज, हैदराबाद	1.10
15.	ए० पी०/258 मै० आन्ध्र को० आप० स्पीनिंग मिल्स, अनंतपुर	43.42
16.	ए० पी०/343 मै० तिरुपति काटन मिल्स, चित्तूर, हैदराबाद	5.37
17.	ए० पी०/2481 मै० शालीमार विस्कीट्स, हैदराबाद	3.63
18.	ए० पी०/2842 मै० शालीमार, विस्कीट्स, हैदराबाद	2.97
19.	ए० पी०/2888 मै० एम० ब्रदर्स, करनूल	21.24
20.	ए० पी०/3040 मै० आन्ध्र काटन मिल्स, कुड़ाप्पा	19.24
21.	ए० पी०/4246 मै० डि० टी० एक्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग निजामाबाद	1.19
22.	ए० पी०/6916 मै० विद्युत स्टील लिमिटेड, मेदक	1.22
23.	ए० पी०/7094 मै० इंडियन ग्रेनाइट लि०, चित्तूर	1.24
24.	ए० पी०/18169 मै० कम्परी हैसिव कार्पी० सोसाइटी, हैदराबाद	3.92
25.	ए० पी०/17104 मै० लक्ष्मी सरस्वती मिल्स	1.49
26.	ए० पी०/13408 मै० क्लेमन प्रोक्लेमस, महबूब नगर	1.64
27.	ए० पी० 3820 मै० करीमनगर कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल्स	10.58
28.	ए० पी०/2287 मै० लिबर्टी इंडस्ट्रीज	1.97
29.	ए० पी०/4365 मै० रयालसीमा पेपर मिल्स, करनूल	6.50
30.	ए० पी०/18406 मै० शार्प डिटेक्टिव प्रा० (लिमिटेड), हैदराबाद	2.17
31.	ए० पी०/17853 मै० तारक प्रभू पब्लिशर्स, विजयवाड़ा प्रा० (लिमिटेड)	3.18

1	2	3
		(रु० लाखों में)
32.	ए० पी०/16534 मै० डा० अम्बडकर जूनियर कालेज, नेनाली	3.03
33.	ए० पी०/12704 मै० ज्योति बालमंदिर, विजयवाड़ा	1.31
34.	ए० पी०/16683 मै० ए० सी० कालेज ऑफ लॉ, गुंटूर	2.30
35.	ए० पी०/1993 मै० एलेन कम्पनी, विजयवाड़ा	1.03
36.	ए० पी०/2049 मै० राघव एजेंसी, गुंटूर	1.95
37.	ए० पी०/16517 मै० केनेडी हाई स्कूल, विजयवाड़ा	3.19
38.	ए० पी०/9642 मै० निर्मला हाई स्कूल, विजयवाड़ा	1.40
39.	ए० पी०/11731 मै० गौरडीपन पेपर मिल, बोम्मालुरु	2.44
40.	ए० पी०/16791 मै० भारतीय विद्या पीठ, विजयवाड़ा	1.11
41.	ए० पी०/16630 मै० बी० टी० एण्ड जे० कालेज, मंगलागिरी	1.18
42.	ए० पी०/2015 मै० कृष्णदत्त को आप० मार्किटिंग सोसायटी, विजयवाड़ा	1.15
43.	ए० पी०/15 मै०, बजरंग जूट मिल्स	12.75
44.	ए० पी०/16657 मै० बी०एस० पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा	4.30
45.	ए० पी०/16659 मै० सिद्धार्थ महिला कलाशाला, विजयवाड़ा	2.98
46.	ए० पी०/2460 मै० चिराला कॉ० आप० स्पीनिंग मिल्स, लि० मि० जन्दरापेठ, चिराला	22.54
47.	ए० पी०/16654 मै० ए० बी० एम० डिग्री कालेज, अंगोल	6.11
48.	ए० पी०/16649 मै० एस० बी० के० पी० पोलिटेक्नीक, कम्बम	8.38
49.	ए० पी०/16744 मै० दि आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू प्रोद्योगिकी कार्पोरेशन लि०	6.18
50.	ए० पी०/2 मै० नल्लीमारला जूट मिल्स, लि० नल्लीमारला	130.77
51.	ए० पी०/1924 मै० ईस्ट कोस्ट कम्यु कम्पनी लि० विजयनगर	1.84
52.	ए० पी०/4358 मै० सिन्थेटिक पोलीबुड्स (प्रा०) लि०, विजयनगर	1.97
53.	ए० पी०/4619 मै० सिन्थेटिक पोलीबुड इस्ट्रीज (प्रा०) लि० विजयनगरम	1.15
54.	ए० पी०/6090 मै० गोदावरी पोलीबुड्स (प्रा० लि०) आर० चोदावरम	5.94
55.	ए० पी०/13349 मै० स्टालिन टायर्स लि०	1.52
	जोड़	426.25

1	2	3
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
1.	ब्रह्मपुत्र जूट मैन्युफैक्चरिंग कं० लिमिटेड ए० एस०/1306	6.18
2.	पी० डब्ल्यू० डी० मैकेनिकल वर्कशाप ए० एस०/170	2.69
3.	पी० डब्ल्यू० डी० मैकेनिकल वर्कशाप ए० एस०/171	7.23
4.	आसाम सिली मानितो ए०एस०/1216	2.70
5.	मणिपुर स्टेट कारपोरेशन कन्जूमर फेडरेशन एस०/1014	5.33
6.	फाटिक शेरा टो-ई लिपुरा ए०एस०/531	6.30
7.	मोहनपुर टी० ई० लिपुरा ए० एस०/566	1.79
8.	सारता टी० ई० लिपुरा ए०एस०/563	1.13
9.	हालीचेरा टी० ई० लिपुरा ए०एस०/535	3.29
10.	प्लाईवोर्ड इंडिया मुकम ए०एस०/983	1.72
11.	परशुराम सोमेंट लि० पो० ओ०-तेजू अरुणाचल प्रदेश एस०/1566	1.97
12.	मणिपुर हैडलूम एण्ड हैडीक्राफ्ट्स डेर, कोरपोरेशन पुनाबैरिक इम्फाल ए०एस०/1026	2.06
जोड़		42.39

बिहार		
1	मै० नथू मल जूट मैन्यु फै० कारपोरेशन कटिहार यूनिट ऑफ आर०बी०एच०एम०-बी०आर०/3	74.54
2	मै० कटिहार जूट मिल्स, कटिहार, बी०आर०/11	50.02
3	मै० गया टैक्सटाईल, गया, बी०आर०/986	3.18
4	मै० बिहार कांटन मिल्स, फुवारिस आरिफ, पटना, बी०आर०/15	2.23
5	मै० डोमचाच माईका फैक्ट्री बी०आर०/445	9.58
6	मै० ईस्टर्न मैग्नीज और मिनरलस लि०, बी०आर०/446	3.01
7	मै० तिसरी माईकल फैक्ट्री बी०आर०/443	2.89
8	मै० बानाखाप माईका माईनिंग कं० नवादा, बी०आर०/408	1.98
9	मै० बिहार शुगर वर्क्स, पंचरुखी बी०आर०/194	11.40
10	मै० रिलायंस फायरब्रिक्स और पोटर्रीज कम्पनी लि०, धनबाद, बी०आर०/232	29.01
11	मै० कटरस सेरामीक और रिफ० (प्रा०) लि०, धनबाद, बी०आर०/2244	3.76
12	मै० नगराठ फायरब्रिक्स (प्रा०) लि०, धनबाद, बी०आर०/988	1.59
13	मै० जेनिथ सेरमिक कं० लि०, धनबाद, बी०आर०/3317	1.99
14	मै० जी०एस० रिफराकटोरिज, धनबाद, बी०आर०/2983	2.77
15	मै० खण्डनवाल ग्लास वर्क्स, बी०आर०/227	1.36
16	मै० टाटानगर फाउण्डरी कं०, जमशेदपुर, बी०आर०/7	1.97
17	मै० आरथार बटलर कं०, मुजफ्फरपुर, बी०आर०/14	1.57
18	मै० प्रदीप लैम्प वर्क्स पटना, बी०आर०/30	6.85
19	मै० जयश्री उद्योग, पटना, बी०आर०/1506	1.95
20	मै० कुमारधूबी इंजी० वर्क्स, धनबाद, बी०आर०/6	26.87
21	मै० धनबाद सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, धनबाद, बी०आर०/1725	1.92
22	मै० कूटचवार लाईम स्टोन्स माईन्स, बी०आर०/319	8.01
23	मै० कृष्णा पिवचर, भोजपुर, बी०आर०/4810	1.14

1	2	3
24	मै० एम०आर० एण्ड कं०, रांची, बी०आर०/4872	1.15
25	मै० जैन ट्रांसपोर्ट, भागलपुर, बी०आर०/2220	1.09
26	मै० लोंगिया बीरी कं०, बिहारशरीफ, बी०आर०/8846	22.27
27	मै० हरी रिफराक्टोरिज और सेरामिक वर्क्स, धनबाद, बी०आर०/430	4.66
28	मै० मनी भाई चकर भाई पटेल और कम्पनी, चक्राधारपुर, बी०आर०/5120	4.87
29	मै० श्याम बीड़ी वर्क्स (प्रा०) लि०, फकीर, बी०आर०/2987	64.23
30	मै० संथल परगना सेवा मण्डल, पकुर, साहाब गंज, बी०आर०/2286	5.41
31	मै० मानचेस्टर इन्टरप्राइजिज, जमशेदपुर, बी०आर०/2775	4.90
32	मै० फिरोजुद्दीन बीड़ी मरचेन्ट, बिहारशरीफ, बी०आर०/3241	30.98
33	मै० हिन्दू टूल्स एण्ड ड्राईज (प्रा०) लि०, जमशेदपुर	1.37
34	मै० जी०सी० साका, चक्राधारपुर, सिंगभूम, बी०आर०/1241	16.25
35	मै० माडर्न कंस्ट्रक्शनस कं० साहेबगंज, बी०आर०/2886	2.23
36	मै० दीपक बीड़ी वर्क्स, पकुर साहेबगंज, बी०आर०/5401	1.72
जोड़		410.72

दिल्ली

1	डी०एल०/833, मै० नॉर्थरन इण्डिया, ट्रां० कं०	1.58
2	डी०एल०/1006, मै० कैपिटल कारपोरेशन	2.63
3	डी०एल०/1131, मिनिस्टरी ऑफ फाईनेंस, डिपार्टमेंट, कैंटीन	1.01
4	डी०एल०/1143, मै० पी०एण्ड टी० डिपा० कैंटीन	1.22
5	डी०एल०/1214, मै० हिन्दुस्तान समाचार सोसाइटी	26.22
6	डी०एल०/1417, मै० बट वरोस० इंजी०	1.84
7	डी०एल०/1817, मै० विश्वा विजय "प्रा०" लि०	1.52
8	डी०एल०/2162, मै० पंजाब नैशनल बैंक कैंटीन	1.12
9	डी०एल०/2520, मै० समाचार भारती	20.30
10	डी०एल०/2584, मै० गारनिस ट्रेडर्स	5.59
11	डी०एल०/3152, मै० टूल एण्ड इक्विपमेंट	2.63
12	डी०एल०/3625, मै० भारत ओवर सीज, प्रा० लि०	1.42
13	डी०एल०/3846, मै० अशोक ऑटो	1.44
14	डी०एल०/4078, मै० सी०डब्ल्यू० एण्ड पी०सी० डिपा० कैंटीन	1.61
15	डी०एल०/4281, मै० श्री निवास मिलाह	1.62
16	डी०एल०/4367, मै० पंजाबी बाग क्लब	1.10
17	डी०एल०/4524, मै० नव निरमान को०आ० लेबर एण्ड कंस्ट्रक्शन	1.70
18	डी०एल०/4665, मै० डेडी मोडस प्रा०लि०	1.33
19	डी०एल०/4701, मै० श्याम गारमेंट्स	1.37
20	डी०एल०/4788, मै० माताचैम मैल्स कारपोरेशन	1.59
21	डी०एल०/4835, मै० एयर हैड कुआ० डिपा० कैंटीन	1.39
22	डी०एल०/5479, मै० अमरपाली स्ट्रक्चर	3.59

1	2	3
23	डी०एल०/5550, मै० आसथेटिक एक्सपोर्ट	3.58
24	डी०एल०/5658, मै० सेवा पेपर लिमिटेड	1.50
25	डी०एल०/5935, मै० माडर्न स्कूल	23.50
26	डी०एल०/6023, मै० माडर्न स्कूल	1.92
27	डी०एल०/6186, मै० टलीनी स्नेज मारकेज	1.34
28	डी०एल०/6227, मै० इण्डियन लॉ इंस्टीट्यूट	5.76
29	डी०एल०/6364, मै० रविन्दर माउटेसरी स्कूल	1.37
30	डी०एल०/6527, मै० सारा डिपोजिट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०	11.89
31	डी०एल०/6553, मै० बी०एन० रस्तोगी मेमोरियल स्कूल	1.06
32	डी०एल०/6794, मै० लोजिक सिस्टम	7.05
33	डी०एल०/7001, मै० कम्पीटीशन रिविव प्रा० लि०	1.03
34	डी०एल०/7150, मै० स्कीन इंस्टीट्यूशन स्कूल आफ ड्रामा	1.59
35	डी०एल०/7859, मै० उन्नम सिंह दुग्गल	6.02
36	डी०एल०/8962, मै० संजय बाल विद्यालय	7.92
37	डी०एल०/9039, मै० महाराजा सूरजमल	3.08
38	डी०एल०/9180, मै० डिपार्टमेंट कैंटीन (यू०जी०सी०)	1.24
जोड़		163.67

गुजरात

1	जी०जे०/273, दि० आरयोदया स्पीनिंग एण्ड बीविंग कं०, अहमदाबाद	33.00
2	जी०जे०/314, मै० नवजीवन मिल्स लि०, कलोल	14.33
3	जी०जे०/360, न्यू गुजरात सन्थेटिक्स लि० 2, अहमदाबाद	2.05
4	जी०जे०/160, जनरल मैकनीकल वर्कसोप, कर्मसाद	1.37
5	जी०जे०/4416, इनदिविप इंजी० लि०, अहमदाबाद	17.82
6	जी०जे०/7982, करमानी फूड (प्रा०), बरवल	2.12
7	जी०जे०/6117, यूनिथन बीयरिंग मैन्यू० कं० लि०, पोरबन्दर	5.10
8	जी०जे०/9733, सदर सहकारी पेपर मिल्स लि०, गैन्डाधारा	1.93
9	जी०जे०/277, भारत सूर्योदया मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	4.86
10	जी०जे०/272 आरयोदया इंजी० एण्ड मैन्यू० कं० लि०	3.63
11	जी०जे०/5879, लक्ष्मीचन्द भागाजी, सूरत	1.68
12	जी०जे०/10029ए०, कन्कारिया पेपर मिल्स, कलोल	12.80
13	जी०जे०/3370, सैन्ट्रल पुल्प मिल्स, सोंगध	41.10
14	जी०जे०/342, भालकिया मिल्स लि०, अहमदाबाद	5.52
15	जी०जे०/390, मानिक चौक एण्ड अहमदाबाद कम्पनी लि०, अहमदाबाद	9.08
16	जी०जे०/366, न्यू जहांगीर वकील मिल्स, भावनगर	11.16
17	जी०जे०/319, प्रियलक्ष्मी मिल्स, बडौदा	7.61
18	जी०जे०/861, गुजरात रबड़ वर्क्स, बडौदा	1.03
19	जी०जे०/5201, यूनिवर्सल डार्ई स्ट्रप्स इंडस्ट्रीज, बडौदा	1.90
20	जी०जे०/ राजप्रकाश स्पीनिंग मिल्स लि०, कम्बे	20.35

1	2	3
21	जी०जे०/9282, जगदीश टेक्सटाईल एवं 12 इकाईयां, सूरत	3.90
22	जी०जे०/6186, अमर आर्टो पार्ट्स (प्रा०) लि०, अहमदाबाद	1.29
23	जी०जे०/5754, गजान इंजी० एण्ड मोल्डिंग वर्क्स, राजकोट	1.07
24	जी०जे०/5753, के०ए० डिजल्स लि०, राजकोट	3.17
25	जी०जे०/9231, नीरव टेक्सटाइल्स प्रा० (लि०), वाणी	1.10
26	जी०जे०/9987, अतुल रबर इन्डस्ट्रीज, अमर गांव	3.42
27	जी०जे०/4440, टेन्सिले स्टील लि०, बडौदा	12.52
28	जी०जे०/13176, बडौदा हाई स्कूल, बडौदा	2.84
29	जी०जे०/10029, करिया कैमिकल्स, हलोल	1.42
30	जी०जे०/5295, सुकन कैमिकल्स, अहमदाबाद	1.30
31	जी०जे०/4125, जगदीश प्रोसेस, अहमदाबाद	2.11
32	जी०जे०/10242, शक्ति टेक्सटाइल्स, अहमदाबाद	1.40
33	जी०जे०/12712, विश्वविद्यालय हाई स्कूल, अहमदाबाद	1.74
34	जी०जे०/13278, आर०टी० बालमन्दिर इण्डस्ट्रीज एण्ड अदर्स	1.18
35	जी०जे०/13578, एस०एम० उपाध्याय आदर्श विद्यालय, भेहसाना	1.00
36	जी०जे०/15113, एडवास आर्ट्स सिल्क प्रा० लि०, सूरत	1.20
जोड़		239.10

हरियाणा

1	मै० पार्ल साइकिल लि०, पी०एन०/1096	2.03
2	मै० सिरक्को परेसिंग (प्रा०) लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/206-ए०	7.61
3		
4	मै० सोवर्न नीट वर्क्स, फरीदाबाद, पी०बी०/1867	5.11
5	मै० उषा स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, फरीदाबाद, पी०एन०/1992	11.72
6	मै० ग्लोब स्टील्स (प्रा०) लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/2160	1.15
7	मै० आर्टो पिल्स, प्रा० लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/206	22.08
8	मै० प्रेस्को लाइट्स टूल्स (आई) प्रा० लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/2229	8.52
9	मै० झालानी टूल्स (आई) प्रा० लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/1052	157.48
10	मै० भारत कारपेट्स, फरीदाबाद, पी०एन०/2591	18.23
11	मै० बी०एन०टी० मिल्स, फरीदाबाद, पी०एन०/2959	1.79
12	मै० ब्रेक लाइनिंग, फरीदाबाद, पी०एन०/2966	3.18
13	मै० कैमिकल्स बैसलस फरीदाबाद, पी०एन०/2977	1.41
14	मै० क्लच आर्टो, फरीदाबाद, पी०एन०/3649	1.11
15	मै० सिरपो आर्टो फरीदाबाद, पी०एन०/3737	8.15
16	मै० आनन्द सिन्थेटिक्स फरीदाबाद, पी०एन०/4092	8.40
17	मै० बीनस पेपर मिल्स, फरीदाबाद, पी०एन०/4699	2.44
18	मै० एस०जे० निटिंग एण्ड फिनिशिंग वर्क्स, फरीदाबाद, पी०एन०/4907	1.74
19	मै० केवल वर्क्स, फरीदाबाद, पी०एन०/4754	1.53
20	मै० श्री गणेश सिन्थेटिक्स, फरीदाबाद, पी०एन०/5576	2.34

1	2	3
21	मै० रेक्टल तिहोर (प्रा०) लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/7279	1.00
22	मै० वी०आई०एल० इलेक्ट्रॉनिक्स, फरीदाबाद, पी०एन०/8934	1.65
23	मै० पोह फोरजिंग्स फरीदाबाद, पी०एन०/5585	2.99
24	मै० रक्सल (आई) प्रा० लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/9662	1.82
25	मै० नानक डेरी प्लांट्स, एच०आर०-10409	1.6
26	मै० वालिस एण्ड संस एच०आर०/10704	1.69
27	मै० ऑटो ग्लाइड एच० आर०/9592	1.06
28	मै० आरगेनो कैमिकल्स सोनीपत, पी०एन०/1296	1.07
29	मै० कपूर रबड़ इण्डस्ट्रीज, सोनीपत, पी०एन०/2960	2.60
30	मै० ओम वीविंग फैक्ट्री, बल्लगढ़, पी०एन०/3699	1.56
31	मै० ढालानी टूल्स, कुण्डली, पी०एन०/3681	29.33
32	मै० ओरगेनो रबड़ इ०, सोनीपत, पी०एन०/5073	1.64
33	मै० इलस्टो कैमिकल्स प्रा० लि०, सोनीपत, पी०एन०/4742	1.66
34	मै० त्रिपाठी वूलन मिल्स, पानीपत, पी०एन०/5155	4.80
35	मै० इगो मेटल वर्क्स, गुडगांव, पी०एन०/2092	1.52
36	मै० प्रोजेक्ट आफिसर, कैटल सीड प्रोडक्ट, करनाल, पी०एन०/5257	1.72
37	मै० कनिष्क टायरस एण्ड टयूब लि०, सोनीपत, एच०आर०/10023	1.73
38	मै० राम फाईबर लि०, बामला, भिवानी, पी०एन०/9833	1.70
39	मै० श्री सरस्वती स्पीनिंग मिल्स, भिवानी, पी०एन०/3199	2.27
40	मै० हरियाणा टैक्सटाइल, भिवानी, पी०एन०/3926	1.02
41	मै० शिक्षा भारती स्कूल, रोहतक, एच०आर०/10768	1.32
42	मै० एस०डी० जगदीश गर्ल्स हाई स्कूल, भिवानी	4.05
43	मै० एल्सन कॉटन मिल्स, बल्लगढ़, पी०एन०/2800	1.97
44	मै० वरेजा इंजी०, इण्ड०, गुडगांव, पी०एन०/3088	1.45
45	मै० स्टैनको इन्टरप्राइजिज, फरीदाबाद, पी०एन०/3825	2.88
46	मै० हाडा स्टील प्रोडक्ट्स, फरीदाबाद, पी०एन०/4093	3.02
47	मै० नार्दन इण्डियन आयरन एण्ड क० फरीदाबाद, पी०एन०/2880	2.93
48	मै० झलानी टूल्स लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/1052	8.54
49	मै० झलानी टूल्स लि० कीण्डली, पी०एन०/3681	1.37
50	मै० आनन्द सिन्थेटिक्स फरीदाबाद, पी०एन०/4092	5.15
51	मै० बंगाल नैशनल टैक्सटाइल्स फरीदाबाद, पी०एन०/2959	3.97
52	मै० बीरमाको फैब्रीकेशन, फरीदाबाद, पी०एन०/3656	1.10
53	मै० सिरक्को प्रेसिंग, फरीदाबाद, पी०एन०/206-ए०	1.56
54	मै० पोली फैब्रि इंड० फरीदाबाद, पी०एन०/3778	1.32
55	मै० श्री सरस्वती स्पीनिंग मिल्स, भिवानी, पी०एन०/3199	1.72
56	मै० ढांडा इंजी० I, एण्ड III फरीदाबाद, पी०एन०/9971	1.12
57	मै० पारस इलेक्ट्रॉनिक्स फरीदाबाद, पी०एन०/2842	1.15
58	मै० ट्रेक्टेल ट्रीफर (आई) प्रा० (लि०), फरीदाबाद, पी०एन०/7279	1.56
59	मै० जी०टी० एम० सिन्थेटिक्स, सिरसा, पी०एन०/2792	1.68
60	मै० एवन स्केल, सोनीपत, पी०एन०/1372	1.19

1	2	3
61	मै० सहगल पुरी (प्रा०) लि०, पी०एन०/1311	2.33
62	मै० परफैक्ट पेक लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/4781	1.51
63	मै० थरमोस्टील इण्टरप्राइजिज, फरीदाबाद, पी०एन०/5540	1.02
64	मै० सिरोकको ग्रॉटो (प्रा०) लि०, फरीदाबाद, पी०एन०/3737	11.17
जोड़		395.71

कर्नाटक

1	28, मैसूर मशीनरी मैन्यू० लि०, बंगलौर	3.73
2	25, मैट्रो मालीएबलस, बंगलौर	6.15
3	4048, मैसूर टूल्स, बंगलौर	2.60
4	2335, एस०एस०एस०, बंगलौर	1.21
5	4948, मैन्टेन्स प्रा० लि०	1.10
6	2400, मद्रास सुपरस एक्स-सर्विसमैन रि-हबियटेशन एसोसिएशन	9.78
7	243, समजुकथा कर्नाटका पेपर	2.96
8	2646, अरविन्दा परीमला वक्स	3.35
9	3904, दीपक इंसुलेटिड केबल्स कारपोरेशन	6.54
10	9358, कम्बाइण्ड इण्ड०	1.01
11	10270, मैथइस (प्रा०) लि०	1.11
12	10096, चंमुडी मोपेड्स	2.30
13	6707, फालकन टायरर्स, मैसूर	3.84
14	921, कीमथ्रो लि०	3.84
15	11082, दा टाइम सोप, बंगलौर	1.65
16	2242, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, बंगलौर	2.00
17	7564, मूलबेरी ग्राफ्टिंग, मैसूर	1.48
18	7551, क्रमोअर्स प्रा० लि०	1.79
19	7566, सेरीकलचरल फार्म, कोलेगल	1.46
20	9571, केटीआर सक्कूरी पलेन, मैसूर	1.31
21	10391, विष्णु टैक्सटाइल्स	1.02
22	1084, गोपालकृष्णन	1.70
23	6349, जी०एस० राजू बीड़ी	3.02
24	5696, शिवमोनी स्टील	1.08
25	4042, मैसूर चिप	1.08
26	6426, राजू बीड़ी	6.59
27	11041, गोकुल दास सर्ट्स	1.16
28	6348, वेंकटेश बीड़ी	1.38
29	6258, मालबर कृष्णा बीड़ी	1.40
30	3852, अनजनेया कॉटन	2.07
31	1370, थंगांभूदा शुगर	8.82
32	4938, कर्नाटका स्टेट को-अपरेटिव बैंक	1.89

1	2	3 (रु० लाखों में)
33.	11629, ब्राइट बोटलस, बंगलौर	1.34
34.	4482, बीकन लि०, बंगलौर	3.02
35.	4317, श्री वल्लीप्रप्पा टैक्सटाइल्स, बंगलौर	2.12
36.	10375, फैंव मेटल वर्क्स	1.70
37.	52, शंकर टैक्सटाइल्स, दावनगर	5.66
38.	173, महादेवा टैक्सटाइल्स	7.03
39.	922, वी०आइ०एस०एल०, भाद्रावती	2.79
40.	2308, अकाय इंड०	2.14
41.	2316, एलमेका वर्क्स	3.32
42.	6235, राजाई ब्रादर्स	1.34
43.	54, गनेशर टैक्सटाइल	27.55
44.	154-ए, ए०सी०सो० बाब कोक लि०, शाहबाद	13.86
45.	6417, फियाज बाड़ी	1.00
46.	6386, लारवर बीड़ी	1.03
47.	11748, अम्बैडकर मैडिकल कालेज	7.90
48.	3842, बेलारी स्पिनिंग मिल्स	16.07
49.	6431, सिन्दूर बीड़ी	3.89
50.	3400, चिगाटेरी मिल्स, दावनागरे	7.21
51.	6530, आर० नरसिंहदास हबीब	3.95
52.	6324, आर० नरसिंगसा हबीब	2.27
53.	6325, आर०एल० वागी एण्ड सन्स	1.01
54.	5155, को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	2.04
55.	6290, हाजी रासूल भाई जंगली भाई बंगलीकर, जमखांडी	9.34
56.	1122, बाडी स्टोन मारकेटिंग कं० बाडी	4.60
57.	1987, सिदेसवारा टैक्सटाइल्स, दावनागरे	30.91
58.	6256, पिस्टल बीड़ी	2.93
59.	6067, मुनीराबाद कैमिकल्स, मुनीराबाद	2.46
60.	6752, साउथ कनारा होम इण्ड०, मंगलौर	1.00
61.	4397, ओरेन्ज कुर्ग ओथर्स को-आ० सोसाइटी	1.94
62.	6750, साउथ कनारा होम इण्ड०, मंगलौर	12.28
63.	6748, साउथ कनारा होम इण्ड० मंगलौर	1.46
64.	6227, भारत बीड़ी	11.37
65.	2297, आजाद इण्ड०	1.56
66.	5878, कैम्पका लि०	1.99
67.	6241, बातापुरेश बीड़ी	1.66
68.	7022, गुरुकरुपा बीड़ी	1.08
69.	7172, दीपक बीड़ी	2.02
70.	7172, दीपक इन्टरप्राइजिज	1.51
71.	6278, पी०बी०एस० बीड़ी	13.06
72.	6413, साधु बीड़ी	5.62
73.	9673, एन०ए०पी०टी०, मंगलार	6.55

1	2	3
		(रु० लाखों में)
74.	6572, सैन्ट्रल होस्टेल कालचरल फारम	1.68
75.	6573, सैन्ट्रल होस्टेल कालचरल फारम	4.09
76.	12182, सिडीकेट आर०एस०एस० संघ	1.18
77.	3788, नन्दीकुट्टी इस्टेट, कोरपो०	2.32
78.	10335, फैंब मेटल वर्क्स	1.72
79.	8180, मनजोग	1.32
80.	9588, एन्थनी नर्सरी स्कूल	2.46
81.	11645, वैली स्कूल	6.81
जोड़		343.58

केरल

1.	के०आर०/4553, गवर्नमेंट ड्राई स्टोक फार्म, केरल	5.31
2.	के०आर०/679 एवं बी, मीकास लि०, केरल	1.70
3.	के०आर०/1886, लार्ड कृष्णा बैंक लि०, केरल	21.82
4.	के०आर०/5262, ए०एस०मो० कुट्टी एण्ड कं०, कालीकट	2.45
5.	के०आर०/5263, ए०एस०मो० कुट्टी एण्ड कं०, अपोल कालीकट	1.62
6.	के०आर०/5265, ए०एस०मो० कुट्टी एण्ड कं०, (अपोल) कालीकट	1.52
7.	के०आर०/4272, मो० कुट्टी एण्ड कं०, कालीकट	1.52
8.	के०आर०/4292, ए०एन०एम०आर० 100 फोटो, कालीकट	1.08
9.	के०आर०/2144, साधु वीडो डिपो, कालीकट	18.35
10.	के०आर०/1023, ग्रेट मालावार. वीडो, कालीकट	1.09
11.	के०आर०/654, केरलकामिक्स केन्द्र, केरल	2.39
12.	के०आर०/2652, सतुरंगापारा कार्डोमम इस्टेट	1.39
13.	के०आर०/2671, राजकट कार्डोमम इस्टेट, इडुक्की	1.47
14.	के०आर०/571, केरल केरडिक्स, केन्द्र, केरल	3.73
15.	के०आर०/56, स्टैंडर्ड पोर्ट्रीस वर्क्स, केरल	1.02
16.	के०आर०/232, केरल केरिमिक्स, कालीकट	6.73
17.	के०आर०/1571, केरल केरिमिक्स व इंस्टरस, कालीकट	1.66
18.	के०आर०/228, स्टैंडर्ड टाइल्स इण्डस्ट्री, कालीकट	1.66
19.	के०आर०/583, कोडेकल टाइल्स फैक्ट्री, कालीकट	2.12
20.	के०आर०/भारत टाइल्स वर्क्स, कालीकट	1.32
21.	के०आर०/12082, फासफोरस एण्ड कैमीकल्स, केरल	1.43
22.	के०आर०/4591 केरल स्टेट रिटरजैन्ट्स, कालीकट	2.40
23.	के०आर०/2445 दी केरल कन्स्ट्रक्शन कं०	2.34
24.	के०आर०/7810, निर्मल हाई स्कूल, केरल	1.08
25.	के०आर०/14, कोचीन मेलेवल्स लि०, केरल	2.48
26.	के०आर०/182, ब्रूयन्टन एण्ड कम०, केरल	4.50
27.	के०आर०/1112, केरल साईकिल रिम फैक्ट्री, केरल	1.55

1	2	3
		(रु० लाखों में)
28. के०आर०/1952, टी०ओ०जी० मैन्यू० कम्पनी, केरल		2.61
29. के०आर०/4089, टी०के० कैमिकल्स, केरल		6.18
30. के०आर०/10962, कोठाटुकलम को०आप० हास्पिटल, केरल		1.83
31. के०आर०/10200, से० एन्डरीऊप होस्पिटल, केरल		2.13
32. के०आर०/1090, मालाबार होटल, केरल		2.97
33. के०आर०/2, पुनालूर पेपर मिल्स, केरल		15.73
34. के०आर०/1309, साऊथ इण्डिया सा मिल्स, कालीकट		1.16
35. के०आर०/1328, यू०के० सन्कुनी सा मिल्स, कालीकट		1.08
36. के०आर०/278, जे०पर०एण्ड पब्लिशिंग कोलम, केरल		2.27
37. के०आर०/4837, वी० पी० एण्ड पब्लिकेशन, केरल		2.50
38. के०आर०/5973 एम०सो०एम० प्रेस, काट्टम, केरल		1.00
39. के०आर०/78, एस०आर०वी० प्रेस, किवलन, केरल		2.16
40. के०आर०/276, श्री कृष्णा एण्ड दी एक्सप्रेस, केरल		4.65
41. के०आर०/3404, कन्नानोर मोटर टी०पी०टी० ई०सी०एस०, कालीकट		1.33
42. के०आर०/621, मालाबार मोटर ओ०पी०टी०, को०आप० सो०, कालीकट		5.72
43. के०आर०/565, त्रिवेन्द्रम रबर वर्क्स, केरल		4.54
44. के०आर०/570, केरल सोपस एण्ड ग्रायल्स, कालीकट		13.82
45. के०आर०/रानीमुंडी इस्टेट, केरल		1.74
46. के०आर०/389, पोन्मुडी टी० इस्टेट, केरल		8.65
47. के०आर०/66, बोनामी इस्टेट, इडुक्को, केरल		2.34
48. के०आर०/265, कोटामलाई इस्टेट, केरल		3.34
49. के०आर०/446, वेगमन इस्टेट, केरल		2.91
50. के०आर०/407, चरस्कलम इस्टेट, केरल		4.19
51. के०आर०/528, अर्थला टी इस्टेट, कालीकट		4.43
52. के०आर०/235, चैम्बर इस्टेट, कालीकट		9.86
53. के०आर०/338, के०जे० प्लानटेशन, कालीकट		1.80
54. के०आर०/2409, करुणा प्लानटेशन, कालीकट		2.70
55. के०आर०/235 ए, इलेस्टोन इस्टेट, कालीकट		4.63
56. के०आर०/8, अलगप्पा टैक्सटाइल्स, त्रिचुर		9.17
57. के०आर०/176, मालाबार स्पिनिंग मिल्स एण्ड वीविंग, कालीकट		8.24
58. के०आर०/185, कामन वैलथ वीविंग फैक्टरी, कालीकट		1.75
59. के०आर०/3043, कन्नानौर मुस्लिम वर्क्स, कालीकट		1.01
60. के०आर०/205, कन्नानौर स्पिनिंग व वीविंग मिल्स, कालीकट		1.87
61. के०आर०/7, पार्वती मिल्स, कोलम, केरल		1.46
62. के०आर०/10164, सी० एन० एच० डब्ल्यू० इड० कोआप सो० लि० नं० 2		2.70
63. के०आर०/4262, सैताराम टैक्सटाइल्स, त्रिचुर, केरल		60.83
64. के०आर०/किथई काटन मिल्स, केरल		3.03
65. के०आर०/3716, कन्नानौर स्पिनिंग व वीविंग मिल्स, कालीकट		2.75
66. के०आर०/2638 थिरुवपेथी मिल्स, कालीकट		20.21
67. के०आर०/10004 मालापुरम कोआप स्पिनिंग मिल्स, कालीकट		3.84

1	2	3
		(ह० लाखों में)
68. के० आर०/54, थामस स्टीफन एण्ड कम्पनी, केरल,		1.10
69. के० आर०/107, श्री विलसन टाइल फैक्ट्री, केरल		1.04
70. के० आर०/627, त्रिवेनकोर प्लाइवुड इन्ड., केरल		23.84
71. के० आर०/1627, सैन्ट्रल पिक्चर्स, केरल		4.02
72. के० आर०/1458, परथास टैक्सटाइल्स, केरल		2.84
73. के० आर०/1701, टी० सी० पी० डब्ल्यू० एस० लि०, केरल		8.98
74. के० आर०/2331, च्वाईस केनिंग कम्पनी, केरल		4.58
75. के० आर०/10740, के०के० थामस एण्ड कम्पनी, आबकारी, केरल		1.70
76. के० आर०/10186, पुलीमेटिल सिल्क हाऊस, केरल		1.14
77. के० आर०/223, कलापत इण्डस्ट्री, केरल		1.73
78. के० आर०/10327, जे० एस० आई० प्रा० लि०, केरल		1.36
79. के० आर०/10771, अरैक शाप नं० 1, केरल		1.16
80. के० आर०/5208, थोडुपजुहा होल सेल सोसाईटी, केरल		1.01
81. के० आर०/10761, एस० के० एण्ड कम्पनी, अरैक कम्पनी, केरल		2.70
82. के० आर०/712, मरिक्कर इंजीनियर्स, कालीकट		1.25
83. के० आर०/2653, ए० के० बी० एस०, कालीकट		1.38
84. के० आर०/671, स्टैंडर्ड, फरनीचर क०, कालीकट		3.25
85. के० आर०/1335, मार्बल वुडक्राफ्ट्स, कालीकट		1.00
जोड़		395.78

मध्य प्रदेश

1. मै० गटखेड़ा संगत महाध्यालय	1.09
2. मै० द्वारकाप्रसाद एच० एस० स्कूल, चोरई, चिदवारा	2.48
3. मै० डी० पी० मिश्रा एच० एस० स्कूल, कुण्डा चिन्दवारा	1.53
4. मै० एस० पी० जैन गुरुकुल एच० एस० स्कूल, सागर	3.52
5. मै० प्रिंसीपल द्वारा प्रसाद	1.04
6. मै० सैन्ट एलासिस कालेज, जबलपुर	6.04
7. मै० प्रिंसीपल शिशु मन्दिर, दमोह	1.06
8. मै० नवीन विद्या भवन, जबलपुर	3.40
9. मै० जैन मल्टीपरपस एच० एस० स्कूल, सागर	4.00
10. मै० जनता एच० एस० स्कूल, सागर	5.47
11. मै० महिला विशालय, सागर	3.29
12. मै० आजाद एच० एस० स्कूल, सागर	2.05
13. मै० प्रिंसीपल इमुनल एच० एस० स्कूल, सागर	2.51
14. मै० सरस्वती शिशु मन्दिर, सागर	1.17
15. मै० दी फर्स्ट टोबैको कं० प्रा० लि० विडी मैनयु० खिटोटल बाजार, सेबोरा, जबलपुर	1.04
16. मै० श्रीराम एच० एस० स्कूल रामप्याली, बालाघाट	2.81
17. मै० जनता एच० एस० स्कूल, सतना	3.31

1	2	3
		(रु० लाखों में)
18. मै० बिरला एच० एस० स्कूल, सतना		2.31
19. मै० मिशन प्राइमरी स्कूल, सदर बाजार, बेतुल		1.12
20. मै० राधाकृष्णन नारयणदास बिडी कं०, जवाहर गंज, जबलपुर		3.00
21. मै० मार्डन बीडी कं०, कटनी		6.42
22. मै० होटल चंदेला, खजुराहो, छतरपुर		5.38
23. मै० सख्तवती शिशु मकन्दर, बालाघाट		2.08
24. मै० कलकता बिडी कं०, नया बाजार, दमोह		5.20
25. मै० सैंट जोसफ कान्वेंट एच० एस० स्कूल, सागर		5.06
	जोड़	76.39

महाराष्ट्र

1. एम० एच०/1417, मै० जयता वर्क्स लि०	3.12
2. एम० एच०/768, मै० जया फैब्रिक्स टैक्सटाइल्स मिल्स	10.14
3. एम० एच०/705, मै० स्ट्रक्चरल इन्जी० वर्क्स नं० एस०	2.82
4. एम० एच०/4278, मै० शमशेर स्टरलिंग	2.86
5. एम० एच०/4935, मै० देवीदयाल टयून्स लि०	2.35
6. एम० एच०/596, मै० नेशनल काटन मिल्स	2.35
7. एम० एच०/9219, मै० देसमैट (आई० 7) प्रा० लि०	4.25
8. एम० एच०/384, मै० हिन्दुस्तान वायर निटिंग कं०	4.13
9. एम० एच०/5804, मै० हेसमेट इंडिया प्रा० लि०	5.36
10. एम० एच०/5627, मै० बी० चौधरी एण्ड कं०	1.13
11. एम० एच०/2163, मै० मलिक मोटर्स प्रा० लि०	4.05
12. एम० एच०/6522, मै० बीकोन फार्मास्युटिकल्स	1.39
13. एम० एच०/93, मै० बर्दबुरी, मिल्स लि०	246.67
14. एम० एच०/18518, मै० शुद्धा इलेक्ट्रानिक्स	1.17
15. एम० एच०/6538, मै० श्री अम्बिका ग्लास वर्क्स	2.93
16. एम० एच०/8888, मै० मलिक इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	4.27
17. एम० एच०/6349, मै० कार्सवेलनका जीमैन इन्जीनि० लि०	1.61
18. एम० एच०/388, मै० श्री शक्ति मिल्स	4.92
19. एम० एच०/576, मै० भण्डारी एण्ड पोरवाल इन्जीनि० (ओगेल ग्लास वर्क्स)	31.85
20. एम० एच०/2542, मै० लिटल पुष्पोत्तम एण्ड सन्स	1.59
21. एम० एच०/2574, मै० पीयरलाइन पार्ट्स प्रा० लि०	1.05
22. एम० एच०/22365, मै० विनय काटन, प्रा० प्रा० लि०	1.68
23. एम० एच०/5373, मै० पेपर मिल्स	1.80
24. एम० एच०/8495, मै० अमरावती ग्रेग्रस को० ग्राम० सर्पिंग मिल्स	16.82
25. एम० एच०/814, मै० पायोनियर रबर मिल्स प्रा० लि०	3.60
26. एम० एच०/6777, मै० स्ट्रेच फाइबरस (आई)	2.63
27. एम० एच०/8066, मै० एस० के० डाइंग एण्ड पेंटिंग वर्क्स	9.29
28. एम० एच०/12218, मै० कनोरिया हैकाक सेण्डर्स लि०	1.40

1	2	3
		(रु० लाखों में)
29. एम० एच०/17429, मै० अम्बर विवरिंग मैनुफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०		1.30
30. एम० एच०/18033, मै० विदर्भा आर्गेनैक केमिकल		1.21
31. एम० एच०/3805, मै० विदर्भा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री		1.07
32. एम० एच०/21470, मै० नागपुर मैग्नेट वायर लि०		1.49
33. एम० एच०/8652, मै० कैपको प्रा० लि०		2.33
34. एम० एच०/380, मै० कण्डीवाली मेटल वर्क्स		1.11
35. एम० एच०/144, मै० न्यू इंडिया रेयान ड्रिल्स लि०	—	34.46
36. एम० एच०/1272, मै० फ़्यूल इंजेक्शन लि०		10.12
37. एम० एच०/16184, मै० शाप इंटरनेशनल		1.35
38. एम० एच०/60, मै० यूनीवर्सल वर्क्स		3.95
39. एम० एच०/6887 मै० ग्लोब आटो इलै० लि०		9.66
40. एम० एच०/15249, मै० एवी आयरन एण्ड स्टील वर्क्स		3.38
41. एम० एच०/2635, मै० गारमेट क्लीनिंग वर्क्स		2.54
42. एम० एच०/5713, मै० स्ट्रेंचलान प्रा० लि०		6.17
43. एम० एच०/9136, मै० सालवी सुपर स्ट्रक्चर		1.28
44. एम० एच०/5171, मै० अहमद वूलन मिल्स		1.11
45. एम० एच०/13417, मै० गौरव कैमिकल्स प्रा० लि०		1.24
46. एम० एच०/18151, मै० एमके डाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स		3.20
47. एम० एच०/18070 मै० एरमीलान डाइंग प्रा० लि०		3.20
48. एम० एच०/9710, मै० गोसालिया शिपिंग प्रा० लि०		2.10
49. एम० एच०/7188, मै० एकमे प्लास्टिक इंडस्ट्री		2.09
50. एम० एच०/635, मै० वूलन एण्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०		6.43
51. एम० एच०/4647, मै० सिम्पलैक्स वूलन मिल्स		11.26
52. एम० एच०/9299 मै० कान्ती इंजीनियरिंग वर्क्स		2.17
53. एम० एच०/15446, मै० बोम्बे मेल/वल कामिटिंग एण्ड एलाइड इंडस्ट्री		2.92
54. एम० एच०/6175, मै० सेंट्रल इनसैक्टीसाइड		1.37
55. एम० एच०/11399 मै० किष्को मिल्स प्रा० लि०		12.87
56. एम० एच०/476, मै० कान्ती इंजीनियरिंग		1.22
57. एम० एच०/8696, मै० भारतीय इंजीनियरिंग कं०		1.84
58. एम० एच०/2183, मै० एलोरा सिल्क मिल्स		12.11
59. एम० एच०/13792, मै० सेठ टेक्सटाइल		3.52
60. एम० एच०/5242, मै० यूनी मर्चेन्स प्रा० लि०		2.69
61. एम० एच०/8473 मै० शाह मैलेबल		9.09
62. एम० एच०/3997 मै० लावानी ब्रास		1.25
63. एम० एच०/18, मै० डायना क्राफ्टमशीन कं० लि०		8.80
64. एम० एच०/12853 मै०, जेविल कारपोरेशन		123
65. एम० एच०/1930, मै० जनरल पिगमैट कैमि०		3.02
66. एम० एच०/8999, मै० लुधियाना वूलन		9.09
67. एम० एच०/17885, मै० पलवार रोलिंग मिल्स प्रा० लि०		21.07
68. एम० एच०/1864, मै० सेंट्रल आयरन वर्क्स		1.82

1	2	3
69.	एम० एच०/568, मै० एम० बैस्ट काटन रोप	1.05
70.	एम० एच०/14246, मै० स्ट्रैच फाइबर इंडिया लि०	7.89
71.	एम० एच०/3513, मै० सावलम राऊप्रसाद मिल्स	1.52
72.	एम० एच०/3516, मै० आर० वी० बंसीलाल अवीरचन्द सिपनिंग वीवींग मि०	2.62
73.	एम० एच०/3511, मै० विदर्भा डिल्स पैरार लि०	2.57
74.	एम० एच०/331, मै० धुले टैक्सटाइल, मिल्स	7.80
75.	एम० एच०/118 से 122 एण्ड एम० एफ० 640 मै० इंडिया युनाटिड मिल्स	219.13
76.	एम० एच०/106, मै० भारत टैक्सटाइल मिल्स	19.65
77.	एम० एच०/401, मै० दिग्विजय टैक्सटाइल मिल्स	13.55
78.	एम० एच०/168, मै० सक्सारिया काटन मिल्स	18.12
79.	एम० एच०/8865 मै० न्यू केसर-ईअहिन्वी लिक्सश्रु	20.62
80.	एम० एच०/4003, मै० नन्देद टैक्सटाइल मिल्स	8.43
81.	एम० एच०/27, मै० हिन्द साइकिल लि०	99.19
82.	एम० एच०/415, मै० श्री सीताराम मिल्स लि०	114.16
83.	एम० एच०/124, मै० जाम मैनुफैक्चरींग कं० लि०	21.74
84.	एम० एच०/3526, मै० शिवराज फाइन आर्ट्स वर्क्स	20.97
85.	एम० एच०/18827, मै० मिराज ग्लास प्रा० लि०	1.22
86.	एम० एच०/1792, मै० फैंसी कारपोरेशन लि०	4.06
87.	एम० एच०/20133, मै० कलम्ब विरास खण्ड सा०	1.57
88.	एम० एच०/7953, मै० न्यू तवसिन बैकरी	1.41
89.	एम० एच०/20707, मै० गनेश फैरोकास्टिंग कं०	3.23
90.	एम० एच०/14289, मै० जलगान काटन प्रोअरस को० आ० स्पनिंग मिल्स	4.13
91.	एम० एच०/115, मै० सेयजी मिल्स लि०	1.90
92.	एम० एच०/1348, मै० ओरियान इन्जीनिअरिंग (आई) लि०	5.21
93.	एम० एच०/2242, मै० सावलर पेंट्स लि०	6.57
94.	एम० एच०/165, मै० साधना टैक्सटाइल	29.37
95.	एम० एच०/19443, मै० गेडीर टूल्स प्रा० लि०	3.75
96.	एम० एच०/16549, मै० गेडीर टूल्स प्रा० लि०	17.76
97.	एम० एच०/350, मै० माधवनगर काटन मिल्स लि०	17.79
98.	एम० एच०/20722, मै० इमराल्ड वूलन	2.57
99.	एम० एच०/9753, मै० टिम्बलो प्रा० लि०	2.58
100.	एम० एच०/9754, मै० टिम्बलो प्रा० लि०	2.44
101.	एम० एच०/9755, मै० टिम्बलो प्रा० लि०	4.62
102.	एम० एच०/22090, मै० त्रिमूर्ति मैलेवल प्रा० लि०	3.94
103.	एम० एच०/2438, मै० इन्डस्ट्रियल रिसर्च इस्टीट्यूट	9.20
104.	एम० एच०/16971, मै० एम० डी० सो० एम० लि०	7.53
105.	एम० एच०/19501, मै० हरम्स इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन	1.00
106.	एम० एच०/9258, मै० सियोन गैरेज लि०	9.46
107.	एम० एच०/22909, मै० ग्राट सिल्क को० आ० लि०	2.38
108.	एम० एच०/16588, मै० स्वास्तिक डिटेक्टीव एजेन्सी	1.74

1	2	3
109.	एम० एच०/21284, मै० सिध खेद राजा तल० साह० खरीदी विक्री संघ	1.27
110.	एम० एच०/6209ए, म० वाकसन फार्मा क्युलिटकल्स	3.69
111.	एम० एच०/17032, मै० इस्माइल बापती बीडी फॅक्टरी	1.53
112.	एम० एच०/2740, मै० होटल बोम्बे इंटरनेशनल	3.79
113.	एम० एच०/11491, मै० टाटा नगर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन	4.84
114.	एम० एच०/15615, मै० आटोमोबाइल आनरस	2.38
115.	एम० एच०/6711, मै० पाउडर मेटल एंव अलाउस लि०	10.04
116.	एम० एच०/22765, मै० खेमगांव सैन्ट्रल को० आ० कंस्यूमरस	1.15
117.	एम० एच०/17338, मै० प्यारचन्द केसरीमल पोरवाल प्रा० लि०	1.33
118.	एम० एच०/16837, मै० पटेल टोबेको बीडी वर्क्स	1.29
119.	एम० एच०/16836, मै० मनोहर भाई अम्बालाल बीडी फॅक्ट्री	1.73
120.	एम० एच०/16796, मै० सी० जे० पटेल टोबेको प्रा० लि०	3.97
121.	एम० एच०/16792, मै० तुलसीभाई गोवर्धन भाई पटेल एंड कं०	3.17
122.	एम० एच०/17367, मै० खलील अहमद वार्दरस	6.41
123.	एम० एच०/16830, मै० जी एम० एच० अली मोहम्मद	1.77
124.	एम० एच०/22746, मै० अकोला डिस्ट. मिल्क प्रोडक्ट को० आ० सोसाइटी	2.32
125.	एम० एच०/501, मै० सुपर टैक्सटाइल	1.60
126.	एम० एच०/12320, मै० एमूलसोल इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स	1.03
127.	एम० एच०/8059, मै० संगम इलेक्ट्रीक एण्ड मेकेनिकल इन्ड० प्रा० लि०	1.01
128.	एम० एच०/17193, मै० कूक ब्रांड सीनर बीडी (प्रा० लि०)	1.73
129.	एम० एच०/17194, मै० कूक ब्रांड सीनर बीडी (प्रा० लि०)	3.05
130.	एम० एच०/222025, मै० जे० एस० टैक्सटाइल प्रा० लि०	1.18
131.	एम० एच०/6672, मै० विद्युत केबल	1.40
132.	एम० एच०/17407, मै० हाजी लतीफ गानी काछी बीडी फॅक्ट्री	7.96
133.	एम० एच०/5323, मै० पी० एस० जाधव एण्ड कं०	2.02
134.	एम० एच०/12325, मै० पोलिस्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०	2.12
135.	एम० एच०/8089, मै० टैक्नोमेक्स	2.50
136.	एम० एच०/8793, मै० होस्ट ओमेक लि०	2.22
137.	एम० एच०/20171, मै० कैयनडे इन्ज० वर्क्स प्रा० लि०	1.01
138.	एम० एच०/16914, मै० कर्मातली मर्वाअली बीडी फॅक्ट्री	4.62
139.	एम० एच०/11436, मै० तिजरकानिया मेटल एण्ड स्टील इन्ड०	2.42
140.	एम० एच०/160, मै० द० रघुवंशी मिल्स	14.17
141.	एम० एच०/20748, मै० आर्यान मोटरस	1.51
142.	एम० एच०/16819, मै० कम्पटी बीडी उत्पादक	3.95
143.	एम० एच०/19876, मै० खरे एण्ड तारकून्दे इन्जीनियर्स	3.29
144.	एम० एच०/352, मै० कोलीनस एण्ड कम्पनी	4.03
145.	एम० एच०/15706, मै० पेट्रोकेम स्टील फैब्रिकस	2.67
146.	एम० एच०/3892, मै० अजीत ग्लास प्रा० लि०	2.78
147.	एम० एच०/16175, मै० जी० जी० टी० के० पी० प्रा० लि०	10.45
148.	एम० एच०/23327, मै० महाराष्ट्र फिशरीस डिवेलपमेंट का०	1.59

1	2	3
149.	एम० एच०/21345, मै० इतोवा इन्ज० प्रा० लि०	1.25
150.	एम० एच०/22689, मै० एस० आई० वी० केमो कोर्स प्रा० लि०	1.70
151.	एम० एच०/2195, मै० डी० आर० एम० स्टील इंडिया प्रा० लि०	17.21
152.	एम० एच०/22815, मै० ट्रांस इंडिया फार्मा० लि०	2.15
153.	एम० एच०/21617, मै० पापूलर बिल्डरस	1.23
154.	एम०एच०/23064, मै० मालेगांव तलूका खरीदी विक्री प्रक्रिया संस्था लि०	3.09
155.	एम०एच०/15518, मै० जीजामाता साहू सखार कारखाना	10.39
156.	एम०एच०/17406, मै० हाजी लतीफ फनी काशी बीडी फैक्टरी	14.47
157.	एम०एच०/5261, मै० खन्ना रेथोन इण्ड०	2.26
158.	एम०एच०/17046, मै० केन्डी इंजी० वर्क्स	1.61
159.	एम०एच०/23688, मै० बी०एस०आर० सर्कट	6.52
160.	एम०एच०/761, सियोन गैरेज प्रा० लि०	2.60
161.	एम०एच०/1362, मै० फैशन प्रीटिंग लि०	1.53
162.	एम०एच०/13706, मै० नूर हॉस्पिटल ट्रस्ट	1.87
163.	एम०एच०/9796, मै० राजाराम बांडेकर माइन्स	10.27
164.	एम०एच०/11514, मै० महाराष्ट्र कॉ०ओ० इंजीनियरिंग सोसाइटी लि०	1.54
165.	एम०एच०/4937, मै० दानी बूलटैक्स कारपोरेशन	9.60
166.	एम०एच०/2450, मै० विजय टैक्स एण्ड वैसल्स	5.50
167.	एम०एच०/626, मै० एच०ई०एस० लिमिटेड	4.38
168.	एम०एच०/11251, मै० लाल रिओ मियरिंग	1.45
169.	एम०एच०/19240, मै० जे०सी० कैमिकल्स प्रा० लि०	1.03
170.	एम०एच०/24759, मै० वसीम तलूका साहू सेतकारी	3.41
171.	एम०एच०/175, मै० श्री राम मिल्स	56.76
172.	एम०एच०/11690, मै० प्राकलूप प्रा० लि०	3.04
173.	एम०एच०/7088, मै० कैमिंगस टूल्स	4.70
174.	गोवा/9952, मै० अनन्त वी० सरमालकर	1.44
175.	एम०एच०/19443, मै० जलानी टल्स (ई) लि०	1.39
176.	एम०एच०/23554, मै० नागर इलेक्ट्रीकल्स प्रा० लि०	1.19
177.	एम०एच०/3560, मै० नव समाज लि०	1.35
178.	एम०एच०/18093, मै० नासिक डिस्ट० का०आ० मिल्स	2.82
179.	एम०एच०/18039, मै० पारामाउंट	1.30
180.	एम०एच०/24438, मै० त्रिमवक इस्पात प्रा० लि०	1.00
181.	एम०एच०/2595, मै० मरचन्ट एण्ड कं०	1.50
182.	एम०एच०/2076, मै० आजाद टीन	1.63
183.	एम०एच०/1870, मै० श्री गणेश एस०एस० एक्स लि०	12.96
184.	एम०एच०/20537, मै० सितथेटिक फोमूलेशन प्रा० लि०	1.49
185.	एम०एच०/19293, मै० ट्रैक्टरस लि०	9.80
186.	एम०एच०/347, मै० शोलापुर स्प्रिंग एण्ड मिल्स	40.16
187.	एम०एच०/3277, मै० कुलकर्णी फाउंड्रीस	2.48
188.	एम०एच०/5950, मै० बी०जी० स्प्रेंग एण्ड कं०	3.34

1	2	3
189	एम०एच०/11724, मै० अनिखीला इन्डस्ट्रीस	1.34
190	एम०एच०/346 मै० नसिंग गिरजी मिल्स	1.90
191	एम०एच०/345, मै० लोमान्य मिल्स	1.67
192	एम०एच०/30044 मै० तकनीक लांटस मशीन कं०	2.75
193	एम०एच०/323, मै० डैकन पेपर मिल्स पूर्णे	1.79
194	एम०एच०/13661 मै० शह्यादरी ओटोमोटीव्स	3.27
195	एम०एच०/17250 मै० बम्बई वि०णु वीडी, शोलापुर	3.55
196	एम०एच०/21063, मै० इन्दिरा कम्युनिटी किचन सोसायटी	1.07
197	एम०एच०/16801 मै० एस०बी० तिवारी वीडी इन्डस्ट्रीस, शोलापुर	15.10
198	एम०एच०/17214 मै० पटेल विल्डरस	1.55
199	एम०एच०/9422, मै० वनाज इंजीनियरिंग	1.83
200	एम०एच०/20259, मै० मथाडी कामगार	10.67
201	एम०एच०/30302, मै० कैलगा इरीटेशन कांसलटेन्ट	2.13
202	एम०एच०/13457, मै० सुपोनेकर मशीन इण्ड० लि०	1.14
203	एम०एच०/30366, मै० पूना उद्योग	1.31
कुल		1745.27

उड़ीसा

1	मै० उड़ीसा एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स, ओ०आर०/1101	4.82
2	मै० बी० पटनायक माइल्स, ओ०आर०/100	2.11
3	मै० केदारमल एण्ड सन्स, राउरकेला, ओ०आर०/765	1.73
4	मै० श्री दुर्गा ग्लास (प्रा०) लि०, ओ०आर०/64	18.26
5	मै० उड़ीसा इण्डस्ट्रीस लि०, ओ०आर०/20	7.26
6	मै० उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ओ०आर०/87	7.80
7	मै० उड़ीसा फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि०, ओ०आर०/1155	3.05
8	मै० राउरकेला कांस्ट्रक्शन, ओ०आर०/848	1.65
9	मै० प्रैसलस (प्रा०) लि०, मधुपत्तन कटक, ओ०आर०/855	1.82
10	मै० बीसरा स्टोन लाइम कं० लि० ओ०आर०/51	61.85
11	मै० उड़ीसा फारेस्ट कारपोरेशन साँ मिल, नूपादा, ओ०आर०/1394	1.04
12	मै० हीराकुण्ड इन्डस्ट्रीयल वर्क्स, ओ०आर०/347	1.05
13	मै० इंडियन रिफ़िनटरी वर्क्स, उदित नगर राउरकेला, ओ०आर०/1168	1.52
14	मै० बालासोर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को० आप० बैंक, ओ०आर०/470	1.29
15	मै० जोशीपुर चाइना क्लेम/इण्ड रेरंगपुर, मयूरभजन, ओ०आर०/505	1.93
16	मै० उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कं० लि० बरबील, लेफ० किन्नार, ओ०आर०/30	2.80
17	मै० जयश्री केमिकल्स (प्रा०) लि० गंजम, ओ०आर०/788	3.91
18	मै० एजे क्यूटिव इंजिनियर, अंगुल इरीगेशन डिवाजन, घेतकनाल, ओ०आर०/1814	3.51
19	मै० द एजेक्यूटिव इंजिनियर, बूरला (आर एण्ड बी०) डिवाजन, ओ०आर०/2330	1.51
20	मै० लिबल डेवेलपमेंट कालेओ० कारपोरेशन, कियोनकर ब्रांच, ओ०आर०/1086-एन	1.18
21	मै० गोवरमेंट सिमेंट पाइप फैक्ट्री, कटक, ओ०आर०/472	2.15

22	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, बोलानगिर पब्लिक हेल्थ डिवीजन, बोलानगिर, ओ०आर०/2324	1.20
23	मै० उडीसा आगरा इंडस्ट्रीस कारपोरेशन, भुवनेश्वर, ओ०आर०/700	4.73
24	मै० ई०एच०टी० कास्ट्रकशन डिवीजन वारीपाडा मयूरभनज, ओ०आर०/1127	2.85
25	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, क्लो इरीगेशन डिवीजन पोहट उडाला मयूरभनज, ओ०आर०/1985	1.85
26	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, कोरापूट पब्लिक डिवीजन कोरापूट, ओ०आर०/2043	2.91
27	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, बालासोर (आर० एण्ड बी०) डिवीजन, बालासोर, ओ०आर०/1909	1.78
28	मै० फूलबानी माइनर इरीगेशन डिवीजन पोस्ट फूलबानी, ओ०आर०/1889	1.02
29	मै० भेरमपुर पॉवरलूम वीवरस का० ओ० सोसाइटी भेरमपुर, ओ०आर०/654	2.02
30	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, कटक पब्लिक हेल्थ डिवीजन नं० 11, ओ०आर०/1846	3.48
31	एजेक्यूटिव इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ डिवीजन, सम्बलपुर, ओ०आर०/2039	9.18
32	मै० त्रिबल डेवेलपमेंट का० आ० कारपोरेशन, सुन्दरगढ़, ओ०आर०/1086-आर०	1.30
33	मै० त्रिबल डेवेलपमेंट का० आ० कारपोरेशन पोस्ट लहुनीपारा, सुन्दरगढ़, ओ०आर०/1086-क्यू	1.00
34	एजेक्यूटिव इंजिनियर, भेरमपुर इरीगेशन डिवीजन, ओ०आर०/1825	1.49
35	एजेक्यूटिव इंजिनियर, भेरमपुर, पी०एच० डिवीजन भेरमपुर, ओ०आर०/1828	2.11
36	एजेक्यूटिव इंजिनियर, माइनर इरीगेशन डिवीजन, बोलनगिर, ओ०आर०/2368	2.18
37	एजेक्यूटिव इंजिनियर, प्राचो डिवीजन, वारमंडा, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1789	2.81
38	एजेक्यूटिव इंजिनियर, गोपालपुर, पोर्ट प्रोजेक्ट डिवीजन, भेरमपुर, गनजाम, ओ०आर०/1945	1.91
39	एजेक्यूटिव इंजीनियर, इ०एच०टी० (मेटेनेस) डिवीजन राउरकेला, सुन्दरगढ़, ओ०आर०/1112	1.95
40	एजेक्यूटिव इंजीनियर, इ०एच०टी० कास्ट्रकशन डिवीजन जेपोर, कोरापूट, ओ०आर०/580	2.06
41	मै० सरमेडा भाद्रासाही मांगनेस माइनस, ओ०आर०/1105	1.13
42	मै० खुरदा इलैक्ट्रोकेल डिवीजन, एट/पोस्ट खुरदा, डिस्ट्रिक्ट-पूरी, ओ०आर०/579	2.71
43	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, धनकेनल पब्लिक हेल्थ डिवीजन तलखेर, धनकेनल, ओ०आर०/2019	2.55
44	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, धनकेनल माइनर इरीगेशन धनकेनल, ओ०आर०/1782	4.91
45	मै० एजेक्यूटिव इंजीनियर, इ०एच०टी० मैनटेनेस डिवीजन सेरीगुडा, रायागढ़, कोलापूट, ओ०आर०/94	1.09
46	मै० उडीसा मोनरल डिवेलपमेंट कं० लि०, एट/पोस्ट बरबील कियोनझार डिस्ट्रिक्ट, ओ०आर०/33	1.93
47	एजेक्यूटिव, कैम्प एण्ड विल्डिंग, रेतगली, इरीगेशन प्रोजेक्ट, डी०के०एल०, ओ०आर०/1991	4.52
48	एजेक्यूटिव इंजीनियर, मैकेनिकल पी०एच०आई० नं० 11, मोतीझारन, सम्बलपुर, ओ०आर०/2041	3.49
49	मै० टाटानगर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, भुवनेश्वर, ओ०आर०/836	6.50
50	मै० त्रिबल डिवेलपमेंट का० आ० कारपोरेशन सुन्दाबेड़ा ब्रांच कोरापूट, ओ०आर०/1086-जे०	4.16
51	इण्डस्ट्रीयल इनफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कार०, ओ०आर०/2874	2.80
52	मै० वाइल्ड लाइफ कांसर्वेशन डिवीजन, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1070	3.55
53	मै० उडीसा स्टेट हैडलूम डि० कार०, ओ०आर०/1561	2.26
54	मै० मत्तूरभाई, दरधावाजार, कटक, ओ०आर०/18	2.38
55	एजेक्यूटिव इंजीनियर, पूरी पब्लिक हेल्थ डिवीजन, ओ०आर०/2050	1.75
56	कैडर कमेटी, अंगुल सैन्ट्रल का०आ० बैंक, ओ०आर०/2912	10.51
57	मै० उडीसा स्टेट हाऊसिंग बोर्ड, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1606	3.04
58	मै० रिजनल कोकोनट रिसर्च, स्टेशन साखीगोपाल पेरी, ओ०आर०/1693	1.33
59	मै० कालिंगा पेंटस एंड कैमीकल इण्डस्ट्रीस लि०, राउरकेला, सुन्दरगढ़, ओ०आर०/1504	1.11
60	राइस गोडाउन ऑफ बरजामदा, ओ० एम० डी० कं० लि०, ओ०आर०/34	1.71
61	मै० उटकल विवरस का० आ० स्पिनग मिल्स लि०, पो०आ० खुरदा, पूरी, ओ०आर०/2063	7.40

1	2	3
62	मै० उड़ीसा इंजिनियरस एण्ड इरेक्टर टमेंडो, पूरी ओ०आर०/995	6.88
63	एजेक्यूटिव इंजिनियर, स्टोरस एण्ड मैकेनिकल डिवाजन समल बेरेज टाउनशिप, डी०के०एल०, ओ०आर०/2036	3.61
64	मै० इंटर एक्सपोर्ट, नसिगांपूर हाउस स्टेशन, रोड़, एट/पोस्ट/डिस्ट्रिक्ट/पूरी, ओ०आर०/2665	1.13
65	एजेक्यूटिव इंजिनियर, रोड़स एण्ड बिल्डिंग डिवाजन फलबानी, ओ०आर०/1849	1.24
66	एजेक्यूटिव इंजिनियर, नं० 1, उड़ीसा स्टेट हाउसिंग बोर्ड, प्लॉट नं० ए/4, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1743	1.44
67	मै० प्रोजेक्ट कांस्ट्रक्शन ऑरगेनाइजेशन, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1428	1.09
68	मै० उड़ीसा टूरिसम डिवेलपमेंट कारपोरेशन, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1660	1.39
69	एजेक्यूटिव इंजिनियर, मै० इंदिरावती डैम डिवाजन, एट/दियोपल्लाई, पो०आ० खाडीगुडा, कोरापूट, ओ०आर०/2954	1.52
70	मै० हरिहर का०आ० लेबर कांटेक्ट सोसाइटी लि०, एट/पोस्ट-जातनी, डि० पूरी, ओ०आर०/2739	5.38
71	एजेक्यूटिव इंजिनियर, नं० 1, उड़ीसा स्टेट हाउसिंग बोर्ड, भूमनगर, भुवनेश्वर, ओ०आर०/1744	1.14
72	मै० उड़ीसा मैनेजिस एण्ड मिनरल (प्रा०) कोयरा, सुन्दरगढ़, ओ०आर०/49	1.58
73	मै० भंजानगर रिलनले का०आ० मार्केटिंग सोसाइटी लि०, ओ०आर०/483	1.63
74	मै० प्रदीप पोर्ट क्लियरिंग, फारब्रिग एण्ड हैडलिंग वर्कर्स पूल, एट/बडापाडीया, पारादीप, डि० कटक, ओ०आर०/3555	35.13
कुल		314.06

पंजाब

1	मै० अम्बाला बस एण्ड० ट्रांसपोर्ट क० (प्रा०) लि० रोपड़	5.44
2	मै० दौलत इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लुधियाना	2.87
3	मै० बार्जिएन शूज लि०, संरस	1.16
4	मै० पंजाब यूनाइटेड रेल मार्ग, होशियारपुर	4.89
5	मै० बी० जी० कारपोरेशन, पटियाला	1.80
6	मै० पब्लिक रोडवेज, होशियारपुर	1.32
7	मै० हिमाचल शोडी मिल्स पंतासाहिब (एच०पी०)	1.29
8	मै० हंसराज महाजन एण्ड सन्स लि०, जालन्धर	2.22
9	मै० न्यू मॉडल इण्ड० (प्रा०) लि०, अमृतसर पी०एन०/58	1.47
10	मै० न्यू मॉडल इण्डस्ट्रीस प्रा०लि०	1.89
11	मै० कोहिनूर पेन्टस (प्रा०) लि०, अमृतसर	1.80
12	मै० न्यू इर्जटन वूलेन मिल्स धारीवाल	15.58
13	मै० विकेन इलैक्ट्रोनिक्स वर्क्स, जालन्धर	1.03
14	मै० जेन टयूनिंग डिवाजन नं० 1 शाहपुर कण्डी, पी०एन०/15132	6.11
15	मै० जगतजी फास्टनरस, कपुरथला	1.43
16	मै० सिख न्यूस पेपर लि०, जालन्धर, पी०एन०/1244	7.63
17	मै० जेन कोंक्रीट प्रोड० डिवा०, शाहपुर कण्डी, पी०एन०/15112	2.94
18	फील्ड मैकेनिकल डिवाजन, शाहपुर कण्डी, पी०एन०/15112	4.35
19	मै० जेन डीलैक्टडिवा० नं० 11 शाहपुर कण्डी, पी०एन०/15120	3.48

1	2	3
20	मै० आटो पिस्टन, सी० पी०एन०/1748	8.68
21	मै० प्रताप पेपर मिल्स, बटाला पी०एन०/15089	2.06
22	मै० जेन रिजिंग डिबी०, शाहपुर कण्डी, पी०एन०/	4.97
23	जेन एक्सीवेशन डिबी०, शाहपुर कण्डी, पी०एन०/15113	15.40
24	जेन टाऊनशिप डिबी० नं० 111	1.17
25	मै० रंघारिया कालेज, फगवाड़ा, पी०एन०/7540	12.96
26	मै० सेंट फ्रांसिस स्कूल, अमृतसर, पी०एन०/9897	8.86
27	मै० हरकिशन पब्लिक स्कूल, पट्टी, ए०एस०आर०	1.19
28	मै० लयालपुर खालसा कॉलेज, जल०, पी०एन०/15234	20.30
29	मै० एवेनगर स्पोर्ट्स, जल०	2.96
30	मै० फ्रांसिस स्कूल, तरनतारन, ए०एस०आर०	1.75
31	मै० आर० के० वी० हर्वेल (प्रा०) लि०, परवानू	3.37
32	मै० एच०पी० स्टेट का० आ० मार्केटिंग कॉन्स्यूमर, शिमला	3.91
33	मै० प्रोन्टो स्टोरिंग, परवानू	2.90
34	मै० शिवालिक कार्टिंग, बरोटीवाला	1.17
कुल		160.35

राजस्थान

1	मै० मान स्ट्रकचर जयपुर, आर०जे०/1390	3.34
2	मै० गनेश इण्डस्ट्रीस उद्योग, जयपुर, आर०जे०/2881	2.35
3	मै० एस०पी० कारपेट जयपुर, आर०जे०/2006	1.30
4	मै० जयपुर ग्लास एण्ड पॉटरील वर्क्स लि०, जयपुर	4.36
5	मै० विनोद प्रोसेसिंग वर्क्स, बीकानेर	1.25
6	मै० सर्राफ सीनथेटिक राजस्थान, अलवर, आर०जे०/3328	1.78
7	मै० भगवती प्रसाद शेख सराय श्रीगंगा नगर आर०जे०/1935	1.02
8	मै० जयपुर स्पीनिंग्स एण्ड विविंग मिल्स, जयपुर (अन्डर-लिकवीडेशन)	15.17
9	मै० मान इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर	13.58
10	मै० पाँवर इक्वीपमेंट कं०, जयपुर आर० जे०/1477	2.24
11	मै० ईश्वर इण्डस्ट्रीस, अलवर, आर०जे०/2207	1.18
12	मै० सतसुब्बन पेपर मिल्स, अलवर, आर०जे०/4389	1.42
13	मै० यूनाइटेड मोटरस, जयपुर, आर०जे०/239	1.92
14	मै० सर्राफ पेपर मिल्स, अलवर, आर० जे०/4363	4.22
15	मै० ईस्ट सुकेत लेबर कांटेक्टर सोसाइटी लि०, कोटा, आर०जे०/468	3.87
16	मै० उदयपुर सिमेंट वर्क्स, उदयपुर, आर०जे०/1548	14.04
17	मै० वेस्ट सुकेत काँ० आँ० लेबर कांटेक्टर सोसाइटी लि०, कोटा, आर०जे०/469	8.50
18	मै० भनवरलाल बीडी मैनुफैक्चरिंग, बंडी, आर० जे०/2355	1.33
19	मै० एडवांस पेपर मिल्स, उदयपुर, आर० जे०/3003	2.71
20	मै० इन्हाक, एस०/ओ० मो० इन्नाहीम, कोटा आर० जे०/2162	1.56
21	मै० अतिकुर रहमान एस०/ओ० अब्दुल गफार, सूकेत, कोटा आर० जे०/2862	1.01

1	2	3
22.	मै० वावू भाई रसीद भाई कासली, आर० जे०/2183	1.69
23.	मै० धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर आर० जे०/198	1.06
24.	मै० कमला असबेस्टोस सिमेंट ई० एम० एण्ड जी० ई० इंडस्ट्री वावर आर० जे०/2137	1.19
25.	मै० मेवार टेक्सटाइल मिल्स, भिलवाड़ा टेक्सटाइल आर० जे०/16	19.48
26.	मै० कृष्ण मिल्स लि०, बीवर, आर० जे०/42	3.38
27.	मै० के० के० सिमेंट वर्क्स पाली, आर० जे०/2494	1.05
28.	मै० श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लि० कोटा आर० जे०/337	17.39
29.	मै० मंगलम सिमेंट लि० कोटा, कोटा आर० जे०/3514	15.09
30.	मै० सिधा साइन्टेक्स, उदयपुर टेक्सटाइल, आर० जे०/3701	3.56
31.	मै० परफेक्ट थ्रिड मिल लि०, उदयपुर, आर० जे०/3962	3.75
32.	मै० जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर आर० जे०/262	1.30
33.	मै० जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर आर० जे०/25	34.23
34.	मै० जयपुर उद्योग लि० सवाई माधोपुर आर० जे०/53	15.88
35.	मै० गोयल ब्रादर्स, भरतपुर आर० जे०/1505	2.14
36.	मै० पन्नालाल प्रेम राज, सवाई माधोपुर आर० जे०/2184	2.97
37.	मै० श्रीराम रायोनस कोटा, आर० जे०/1128	1.22
38.	मै० सरफेस फाइनर्सिंग इक्विपमेंट क० जोधपुर आर० जे०/3816	1.03
कुल		214.56

तमिलनाडू

1.	मै० भारती मिल्स, पोंडी	10.06
2.	मै० एंगलो फ्रेंच टेक्सटाइल, पोंडी	6.26
3.	मै० पायलट पेन क०, इंडिया लि०, मद्रास	5.43
4.	मै० माइक्रो टूल्स लि०, थिन्नैरेवर	1.12
5.	मै० कृष्ण राव बाडी वर्क्स (प्रा०) लि० मद्रास-58	5.05
6.	मै० कैमैक इंजिनियर्स (प्रा०) लि० मद्रास-58	4.85
7.	मै० तमिलनाडू टेक्सट बुक सोसाइटी, मद्रास-6	2.42
8.	मै० बकिया टेनरीस, मद्रास-28	1.09
9.	मै० गरुडा चिट एण्ड ट्रेडिंग क० मद्रास-36	3.47
10.	मै० सुदर्शन फाइनेंस कारपोरेशन, मद्रास-18	15.66
11.	मै० सुदर्शन चिट्स (इ०) लि० मद्रास-14	16.77
12.	मै० आई० सी० एफ० कैंटीन, मद्रास-38	5.54
13.	मै० स्टैंडर्ड मोटर्स (प्रा०) लि०, बंदालूर	37.60
14.	मै० हिन्दुस्तान सेक्योरिटी एण्ड सर्विस, मद्रास	1.48
15.	मै० रोयाला कारपोरेशन, मद्रास-32	4.93
16.	मै० न्यु ग्रेट शू० क० मद्रास-32	1.65
17.	मै० गंगेसिस प्रीटिंग इंक फैक्ट्री	2.47
18.	मै० लठम इंडिया लि०, मद्रास-6	10.00
19.	मै० चक्रवर्ती इंटरनेशनल मैट्रीकुलेशन एकेदमी, मद्रास-16	3.02
20.	मै० माडर्न केफे, मद्रास-84	1.79
21.	मै० अल्लमिगू मिनाक्षामान कालेज ऑफ इंजीनियरिंग चारर	1.53

22.	मै० बीनासरी कोरोमंडल पब्लिकेशन लि०, मद्रास-29	1.53
23.	मै० सरस्वती विद्यालय हाई स्कूल, मद्रास-26	1.43
24.	मै० साऊदरन पावरस सिस्टम, मद्रास-96	1.05
25.	मै० जयारानी हाई स्कूल, पोंडी	1.09
26.	मै० वाईसमेन इंगलिश हाई स्कूल, पोंडी-4	1.10
27.	मै० इमेक्यूलेट हार्ट आफ मेरीस हाई स्कूल, पोंडी	1.43
28.	मै० होटल दास प्रकाश, मद्रास-84	1.14
29.	मै० इंडस्ट्रीयल फीडर्स मद्रास-58	2.38
30.	मै० केरल रोडवेज, मद्रास-79	1.86
31.	मै० सन बीडी ट्रेडर्स वी० के० कलिप्पा गाउन्डर एण्ड संस, जोलारपेट	9.36
32.	मै० के० एल०के० इलै० इन्ड० लि०, मद्रास-58	1.07
33.	मै० मद्रास पोर्ट स्टीमर वाचमैन एसोसिएशन, मद्रास-1	12.23
34.	मै० सी० एस० आई० एडवर्ड मैट्रीकुलेशन हायर स्कूल, मद्रास-84	6.02
35.	मै० सार्थन वाटर्स (प्रा०) लि० मद्रास-32	1.28
36.	मै० महालक्ष्मी टेक्सटाइल्स मिल्स लि०, मदुराई	91.21
37.	मै० रुकमणी मिल्स लि०, सलाईमान	4.09
38.	मै० आदि लक्ष्मी मिल्स, मदुराई	3.64
39.	मै० साउथ इंडिया माइन्स एण्ड मिनरल्स लि०, शंकर नगर	5.91
40.	मै० इंडस कमि० एण्ड मोनोकास, शंकर नगर	10.12
41.	मै० किंड बीडी कं० मलायालयम	3.62
42.	मै० एन०ओ०एस० बीडी ट्रस्ट, मलायालयम	8.44
43.	मै० भाग्यलक्ष्मी ट्रेडिंग कं०, तिरुनवेली	1.67
44.	मै० साउथ इंडिया टोबैको कं०	3.59
45.	मै० एम० के० कृष्णन एण्ड संस, तिरुनवेली	4.62
46.	मै० राजा एण्ड कं० तिरुनवेली	129.36
47.	मै० सेउडु बीडी कं०, तिरुनवेली	30.50
48.	मै० मद्रास युनियन बीडी कं०	2.33
49.	मै० सुलतान पिलई एण्ड संस, तिरुनवेली	5.65
50.	मै० जे० पी० टोबैको प्रोडक्ट्स, टेंकसी	1.00
51.	मै० जी० वेलुसामी अम्बासुन्दरम	3.34
52.	मै० सोमासुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स रामबद्ध	3.13
53.	मै० थंगम टेक्सटाइल्स, मदुराई	1.09
54.	मै० कृष्णामेनन टेक्सटाइल्स, मदुराई	1.77
55.	मै० मनी टेक्सटाइल्स, मदुराई	1.16
56.	मै० एम० पी० चेरमैन टेक्सटाइल्स, मदुराई	1.14
57.	मै० वेलूचमी टेक्सटाइल्स, मदुराई	4.88
58.	मै० भागवती विलास सिगार फैक्टरी	2.53
59.	मै० कन्याकुमारी इंडस्ट्रीयल विवरस का-आ० सोसाइटी, नगरकोयल	1.35
60.	मै० अंगपा स्पिनिंग मिल्स, मदुराई	2.04
61.	मै० विजयलक्ष्मी मिल्स लि० मदुराई	2.15

62.	मै० कुमारवल बीडी फैक्टरी, मुकूदल	1.72
63.	मै० द अरुणा पेपर कारपोरेशन, शिवाकाशी	1.97
64.	मै० देवेन्द्र ट्रेडिंग कं०, त्रिगुणालवेदी	13.71
65.	मै० कालेश्वर मिल्स लि०, कोयम्बटूर	13.30
66.	मै० सोमासुंदरम मिल्स लि०, कोयम्बटूर	25.76
67.	मै० कोयम्बटूर स्पिनिंग मिल्स लि०, सी० बी० ई०	8.95
68.	मै० कोयम्बटूर मूल्गा मिल्स लि० सी० बी० ई० —	1.84
69.	मै० पंकजम मिल्स लि० कोयम्बटूर	7.51
70.	मै० शारदा मिल्स लि०, कोयम्बटूर	2.88
71.	मै० राधाकृष्णन मिल्स लि०, कोयम्बटूर	27.38
72.	मै० द भवानी मिल्स लि०, कोयम्बटूर	15.38
73.	मै० न्यू सिटी इंजीनियरिंग वर्क्स, कोयम्बटूर	5.22
74.	मै० रामाकृष्णना इंडस्ट्रीस (प्रा०) लि०, सी० बी० ई०	1.47
75.	मै० वसन्तथा मिल्स लि०, कोयम्बटूर	19.38
76.	मै० मधु स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि०	29.15
77.	मै० जयलक्ष्मी मिल्स, कोयम्बटूर	7.89
78.	मै० पालीयर मिल्स, लि० तिरुचेनगोडू	2.52
79.	मै० तिरुपूर काटन मिल्स लि०, तिरुपूर	19.42
80.	मै० एस आर० सी० मिल्स लि०, तिरुचर,	10.00
81.	मै० श्री हरि मिल्स लि०, कोयम्बटूर	2.02
82.	मै० मैटूर टेक्सटाइल लि०, मैटूर	75.32
83.	मै० जोथी मिल्स लि०, कोयम्बटूर	2.71
84.	मै० धर्मपूरी डि० इंड० पावरलूम विवर का० आ० सोसाइटी	1.32
85.	मै० एवरैस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, कोयम्बटूर	3.00
86.	मै० कृष्णा राव वाडी वर्क्स होसर	1.21
87.	मै० धर्मपूरम पावरलूम काम्पलेक्स, इरोड	1.38
88.	मै० सी० एम० एस० मैट्रीकुलेशन हाई स्कूल, कोयम्बटूर	3.64
89.	मै० खडेरखान एण्ड संस, पुकूडाई बीडी, सलेम	1.50
90.	मै० मालावार बीडी, फैक्ट्री	1.27
91.	मै० सीफोरथ इस्टेट, सीफोरथ डिवीजन	1.43
92.	मै० आई० सी० दिवार मायुदीन एण्ड संस, सलेम	1.44
93.	मै० टन टम देवला टी डिवीजन	1.07
94.	मै० कुमारगिरी टेक्सटाइल्स, धर्मपूरी	1.46
95.	मै० लिडलीस्टेल इस्टेट ओसिंगटन डिवीजन	1.29
96.	मै० मयरआल इंजीनियरिंग इंड० कोयम्बटूर	6.03
97.	मै० इरिस इंजी० इंडस०, कोयम्बटूर	4.41
98.	मै० गन्तमिबगाई मिल्स लि०, कोयम्बटूर	1.39
99.	मै० ककशमी शमुंगा स्पिनिंग मिल्स, पुडोकोटई	8.26
100.	मै० होतीन बीडी फैक्ट्री, त्रिची	18.23
101.	मै० इन्जिन बीडी एण्ड कं०	4.27

102. मै० टी० एस० स्वामी एंड कं०, त्रिची-8	7.28
103. मै० ए० के० बीडी एंड कं० त्रिची-8	2.68
104. मै० बी० एस० सुन्दरावल मुदेलियर एंड संस, त्रिची	13.97
105. मै० अब्दुल गफार, 903 स्टीम बीडी त्रिची-8	14.48
106. मै० ए० आर० अकूथूस, चिपी बीडी त्रिची-8	31.88
107. मै० लालमीयां सिमेट भारत लि०, डालिमियापुरम	6.00
108. मै० पैरानूर पावरलूम विवरस का०-आ० सोसाइटी, पैरानूर	1.97
109. मै० निजान पेपरस एंड बोर्ड मिल्स, पृदुकोट्टाई	2.35
110. मै० फूड क्राफ्ट इंडस्ट्रीयूट त्रिची-15	2.02
111. मै० शेशाशाई इंड० वेदालूर	12.41
112. मै० एम० एस० एन० सुन्दरम पिलाई	17.65
113. मै० रडियो बीडी कं०, त्रिची-8	3.35

कुल

उत्तर प्रदेश

1. यूपी/8 मै० मुद्गर मिल्स, कानपुर	1.56
2. यूपी/9, मै० न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	153.76
3. यूपी/12, मै० स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	120.75
4. यूपी/15, मै० लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स, कानपुर	23.25
5. यूपी/18, मै० अर्थटन मिल्स, कानपुर	84.08
6. यूपी/1145 मै० हबी इंडस्ट्रीज, कानपुर	2.88
7. यूपी/1601, मै० एल० आर० इंजीनियरिंग, कानपुर	3.52
8. यूपी/5398, मै० एजेंसी सुफला फार्मसी, इटावा	5.62
9. यूपी/322, मै० कावनपुर कैमिकल्स, कानपुर	1.47
10. यूपी/3561, मै० कानपुर जूट, उद्योग, कानपुर	4.32
11. यूपी/13855, मै० विग एण्ड संस, कानपुर	1.57
12. यूपी/13632, मै० सैयद अहमद अली, फरखाबाद	2.46
13. यूपी/13601, मै० जगदीश बीडी कं०, फरखाबाद	1.32
14. यूपी/67, मै० इंडियन रोलिंग मिल्स स्टील एंटरप्राइजिज, कानपुर	3.24
15. यूपी/3428, मै० राम किशन दया राम, फरखाबाद	69.16
16. यूपी/4, मै० विजल काटन मिल्स, हाथरस	11.44
17. यूपी/1690, मै० पोस्टल सील कारपोरेशन, अलोगढ़	10.18
18. यूपी/13539, मै० सहारा इंडिया, लखनऊ	38.12
19. यूपी/3639, मै० सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कं०, आगरा	1.68
20. यूपी/7018, मै० मैगनिस्टिक साइन्स, पिथौरागढ़	1.54
21. यूपी/3031, मै० आर० आर० स्टील एण्ड एलायस लि०, बरेली	1.12
22. यूपी/179, मै० एच० आर० शूगर फैक्ट्री, बरेली	38.61
23. यूपी/1699, मै० मुरादाबाद सिन्टैक्स, मुरादाबाद	6.45

1	2	3
24.	यूपी/132, मै० टाइगर लाक्स, अलीगढ़	8.45
25.	यूपी/920, मै० टाइगर हार्डवेयर एण्ड टूल्स, अलीगढ़	25.76
26.	यूपी/2435, मै० टाइगर प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, अलीगढ़	2.48
27.	यूपी/4284 मै० यूनीवर्सिटी प्रैस, नैनीताल	3.51
28.	यूपी/5313, मै० क्विचियन हास्पिटल, एटा	1.55
29.	यूपी/7694, मै० एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, मुरादाबाद	1.83
30.	यूपी/4555, मै० केयको इंडस्ट्रीज, आगरा	2.46
31.	यूपी/7016, मै० हिमालय मैगनासाईट, पिथौरागढ़	12.55
32.	यूपी/837, मै० आर० आर० इंजीनियरिंग कं०, बरेली	1.48
33.	यूपी/1799, मै० एगरीकल्चरल इंडस्ट्रीज, बरेली	1.43
34.	यूपी/5617, मै० काजू इंडस्ट्रीज, नं० 11, आगरा	4.33
35.	यूपी/1851, मं० यूपी एस० आर० टी० सी०, नैनीताल	1.48
36.	यूपी/205, मै० आई० हास्पिटल, बहरीच	1.63
37.	यूपी/205, मै० यू० पी० ए०एस० एस० सी० लि०, गोरखपुर	33.12
38.	यूपी/22 मै० यू० पी० एस० एस० एस० सी० लि०, बाराबंकी	10.38
39.	यूपी/176, मै० लक्ष्मी शूगर एण्ड आयल मिल्स, सीतापुर	72.30
40.	यूपी/224, मै० यूपी एस० एस० सी० लि०, बाराबंकी	20.85
41.	यूपी/188 मै० यूपी एस० एस० सी० लिले०, बस्ती	6.99
42.	यूपी/526 मै० यू० पी० एस० एस० सी० लि०, देवरिया	13.05
43.	यूपी/170, मै० यू० पी० एस० एस० सी० लि०, बहरीच	19.98
44.	यूपी/172, मै० नवाबगंज शूगर मिल्स कं०, गोंडा	61.39
45.	यूपी/218, मै० यू० पी० एस० एस० सी० लि०, देवरिया	17.32
46.	यूपी/206, मै० यू० पी० एस० एस० सी० लि०, गोरखपुर	32.80
47.	यूपी/413, मै० यू० पी० आई० एन० स्टूडेंट्स लि०, लखनऊ	89.02
48.	यूपी/6202, मै० यूपी चलचित्र निगम लि०	52.56
49.	यूपी/390, मै० को० आप० इंस पेन्ट्स, अल्मोड़ा	1.84
50.	यूपी/102, मै० मेरठ स्ट्रा बोर्ड मिल्स, मेरठ	1.92
51.	यूपी/195, मै० यूपी एस० एस० सी० लि०, मेरठ	26.16
52.	यूपी/307, मै० यू० पी० एस० आर० टी० सी० लि०, बुलंदशहर	30.79
53.	यूपी/3092, मै० एलोडियल कैमिकल मैनुफैक्चरिंग कं०, मेरठ	1.58
54.	यूपी/162, मै० लाई कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर	6.47
55.	यूपी/4469, मै० हिन्द साईकिलस, गाजियाबाद	1.11
56.	यूपी/5371, मै० सेमसन फाउन्टेन्स (प्रा० लि०), गाजियाबाद	1.56
57.	यूपी/129, मै० गुरुनानक डीजल इंजीनियरिंग, गाजियाबाद	1.29
58.	यूपी/5501, मै० जैनिथ इलेक्ट्रिकल्स, गाजियाबाद	4.02
59.	यूपी/4176, मै० श्री गुरुनानक इंजिनियरिंग, गाजियाबाद	2.80
60.	यूपी/2347, मै० लक्ष्मी कथा इंडस्ट्रीज, बिजनौर	4.41
61.	यूपी/1108, मै० नेशनल स्टील एण्ड जनरल मिल्स, गाजियाबाद	3.55
62.	यूपी/11330, मै० ओसवाल एन्टरप्राइसिज (प्रा०) लि० गाजियाबाद	1.03
63.	यूपी/8460, मै० जे० ई० सी० कम्बैक्ट्स, गाजियाबाद	1.04

1	2	3
64.	यूपी/3730, मै० मदन इंडस्ट्री, 'मेरठ	9.03
65.	यूपी/226, यू० मै० पी० एस० एस० सी० मेरठ	7.02
66.	यूपी/11675, मै० मोदी रवर इंडस्ट्रीज, मेरठ	1.06
67.	यूपी/11930, मै० सिस्टम कंट्रोल एण्ड ट्रांसपोर्ट, मेरठ	1.10
68.	यूपी/6330, मै० स्परिंग इंडिया लि०, गाजियाबाद	1.82
69.	यूपी/11260, मै० पेंटागन स्क्वज लि०, गाजियाबाद	2.63
70.	यूपी/2204, मै० ब्रामीस सूरी (प्रा०) लि०, गाजियाबाद	2.77
71.	यूपी/4650, मै० नार्थन प्लास्टिक लि०, गाजियाबाद	1.57
72.	यूपी/893, मै० सरदार इंडस्ट्रीज, गाजियाबाद	2.26
73.	यूपी/13017, मै० मैजैस्टिक अपीलस, गाजियाबाद	2.02
74.	यूपी/108, मै० मेटल गुड्स मैनयुफै० वाराणसी	2.81
75.	यूपी/6103, मै० यूपी रिफ्रैक्ट्रीज (प्रा०) लि०, वाराणसी	3.83
76.	यूपी/7085, मै० परयूम्स फार्माक्यूलेटिकलस (प्रा०) लि०, वाराणसी	1.09
77.	यूपी/207, मै० रतन शूगर मिल्स, जौनपुर	26.08
78.	यूपी/1156, मै० नैनी ग्लास वर्क्स, इलाहाबाद	1.32
79.	यूपी/40 मै० ई० सैप्टन एण्ड कं० प्रा० लि०, मिर्जापुर	4.44
80.	यूपी/11821 मै० वदोही वूलन मिल्स, वाराणसी	20.54
81.	यूपी/20 मै० आर० के० टेक्सटाइलस मिल्स, मिर्जापुर	1.23
82.	यूपी/37, मै० अशोका वूलन मिल्स, इलाहाबाद	1.70
83.	यूपी/11872, मै० पी० वी० के० डिस्त्रलरी, गाजीपुर	2.00
84.	यूपी/1160 मै० इलाहाबाद ग्लास वर्क्स, इलाहाबाद	1.48
85.	यूपी/469, मै० के० रे० एण्ड कं०, वाराणसी	1.42
जोड़		1268.02

पश्चिमी बंगाल

1.	एसोसिएटिड एसवी इंडस्ट्री कल० 50, डब्ल्यू० बी०/276	10.39
2.	आरती काटन मिल्स, डब्ल्यू०बी०/124	2.39
3.	बी० एस० इंजीनियरिंग कारपो० कल० डब्ल्यूबी/9492	5.13
4.	ब्राइट वायरस प्रा० लि०, मध्यमाग्राम, डब्ल्यूबी/14322	3.22
5.	बंगाल फाइन एण्ड स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल नं० 1, हुगली डब्ल्यूबी/350	10.21
6.	बंगाल टेक्सटाइल मिल्स, कासिमबाजार, डब्ल्यूबी/3372	1.75
7.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, हुगली/डब्ल्यूबी/112	29.26
8.	बंगाली काटन मिल्स, 24 परगना, डब्ल्यूबी/104	1.87
9.	भारत जूट मिल्स, हावड़ा, डब्ल्यूबी/94	102.20
10.	बासुमती कारपोरेशन, कल०, डब्ल्यूबी/1272	27.59
11.	भारत ओवरसिंग्स (प्रा०) लि०, डब्ल्यूबी/6228	7.40
12.	कैन्टोन कारपेटरी वर्क्स, कल० डब्ल्यू० बी०/619	24.11
13.	सिएको (आई०) लि० कल०, डब्ल्यू० बी०/454	5.00

1	2	3
14.	केरो एण्ड कं० आसनसोल, डब्लूबी/1644	1.55
15.	केरटर पूलर एण्ड कं० कल० 36, डब्लूबी/1809	6.07
16.	जेदा टी० इस्टे० दार्जिलिंग, डब्लूबी/1016	20.24
17.	दुर्गापुर फैक्टरी एण्ड इंजीनियरिंग संजीव इंजीनियरिंग कौ० आप०	1.50
18.	लेप रिमा टी इस्टेट, जलापाईगुरी डब्लूबी/823	12.00
19.	ईस्ट इंडिया इंडस्० 24 परगना, डब्लूबी/373	5.68
20.	कलकत्ता जूट मैनयुफैक्चरिंग कं०, डब्लूबी/20	38.66
21.	गंगा प्रिंटिंग एण्ड इंक फैक्ट्री, हावड़ा, डब्लूबी/16576	6.69
22.	हावड़ा इंजी० कनसरन पलगोधुरी लेन, हावड़ा, डब्लूबी/591	1.00
23.	इंटरनेशनल रबर, कल०, डब्लूबी/693	4.21
24.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री, कल०, डब्लूबी/108	2.63
25.	केमोर बागशेव मैनु० कं० (प्रा०) लि०, डब्लूबी/1650	6.27
26.	केरल घाटी टी० आर०, डब्ल्यू० बी०/955	5.25
27.	लुकसन टी स्टेट, जलपाईगुडी, डब्ल्यू० बी०/879	6.00
28.	मनिन्द्रा मिल्स लिमिटेड, मुरशिदाबाद, डब्ल्यू० बी०/32	1.39
29.	माजरद्वारी टी स्टेट, जलपाईगुडी, डब्ल्यू० बी०/1481	5.21
30.	मूनडाकोटी टी स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/1057	4.54
31.	नैशनल आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, हावड़ा, डब्ल्यू० बी०/163	26.07
32.	पीपल्स मोटर इंजीनियरिंग हावड़ा, डब्ल्यू० बी०/233	2.23
33.	पीपल्स मोटर इंजीनियरिंग फैक्टरी नं० 2, डब्ल्यू० बी०/620	4.22
34.	पोडदार सनिटरी वर्क्स, कलकत्ता, डब्ल्यू० बी०/598	8.05
35.	प्रसिशन इन्डिया (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता, डब्ल्यू० बी०/4510	4.65
36.	पशोक टी स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/1354	5.11
37.	पूबंग टी स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/1357	7.16
38.	पी० सैट एण्ड कं०, डब्ल्यू० बी०/1910	2.85
39.	पडनम टी स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/1353	8.06
40.	रामपुरिया काटन मिल्स, हुगली, डब्ल्यू० बी०/113	19.75
41.	रंगमोक टी स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/1365	19.64
42.	स्प्रिग सेल्स, 24 पी० जी० एस० डब्ल्यू० बी०/12662	3.54
43.	सौदेपुर काटन मिल्स, डब्ल्यू० बी०/613	2.87
44.	श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स, टीटागढ़, फलता, डब्लू० बी०/101	13.10
45.	सुलेखा वर्क्स, कलकत्ता, डब्ल्यू० बी०/1292	15.76
46.	युनिवर्सल लैम्प वर्क्स, डब्ल्यू० बी०/	2.41
47.	युनियन इंजिनियरिंग वर्क्स हावड़ा, डब्ल्यू० बी०/10158	2.30
48.	वाह तुकोवर टी स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/1284	3.00
49.	गयाजन्स टी० स्टेट, दार्जिलिंग, डब्ल्यू० बी०/992	4.46
50.	हिन्दोक इंजिनियरिंग कं० डब्लू० बी०/13215	6.52
51.	इस्टर्न पेपर मिल्स, डब्लू० बी०/1630	65.00
52.	नैशनल पाईपस एण्ड टयूब्स, डब्लू० बी०/363	13.70
53.	मथूराक्षी काटन मिल्स, डब्लू० बी०/13704	7.11

54.	कैमिकल फब्रिकेशन (प्रा०) लिमिटेड, डब्लू० बी०/	2.00
55.	स्टैंड पेपर इन्डस्ट्रियज, लिमिटेड, हुगली, डब्लू० बी०/12317	12.00
56.	वी स्माल टूलस मैनुफैक्चरिंग कं०, इन्डिया लि०, डब्लू० बी०/593	16.05
57.	एम० एम० प्रसाद (प्रा०) लि०, डब्लू० बी०/3277	1.92
58.	दास कन्सलटमेंट्स, 21 ए शेक्सपीयर सरानी डब्लू बी०/11197	11.08
59.	इंडिया हाई मैटल्स लि०, डब्लू बी०/10034	29.61
60.	सलीम हिल टी इस्टेट, डब्लू बी०/1265	4.46
61.	नार्थ टुकवर टी इस्टेट, डब्लू० बी०/894	2.10
62.	तुगसुग टी इस्टेट डब्लू० बी०/386	3.05
63.	अतल टी इस्टेट, डब्लू० बी०/926	6.43
64.	मंझा टी इस्टेट, डब्लू० बी०/1569	5.01
65.	नक्सलबारी टी इस्टेट, डब्लू० बी०/928	11.41
66.	संचिन्द्र चन्द्रा टी इस्टेट, डब्लू० बी०/10/43	6.91
67.	सतिगारा टी इस्टेट, डब्लू० बी०/931	2.35
68.	अजकल पब्लिकेशन (प्रा०) लि०, डब्लू बी०/1897	3.84
69.	साइनेटिफिक इंडिया ग्लास कं० लि०, डब्लू० बी०/8020	13.02
70.	हिजल को० आप० सोसाइटी लि०, डब्लू बी०/1092	1.43
71.	ईस्ट एशिया स्किन कारपो० डब्ल्यू बी०/14558	1.22
72.	श्री इंजीनियरिंग लि० प्रोड० हुगली० डब्लू/8223	36.29
73.	हिन्द गैलेवेनिजिंग एण्ड इंजी० लि०, हावड़ा डब्लू बी/7301	10.96
74.	ईस्ट कास्ट पेपर प्राइवेट्स (प्रा०) लि०, डब्लू बी/16611	1.47
75.	श्री बजरंग इलैक्ट्रिकल स्टील कं० (प्रा०) लि०, हावड़ा डब्लू बी०/177	11.20
76.	जिले टी इस्टेट, डब्लू बी/681, टी लान्डेशन	1.06
77.	शिकारपुर डी० ई० डब्लू बी०/970 जेपीजी, टी० प्लान्टेशन	5.00
78.	एसोसिएटेड पोरसेलेशन प्रा० लि० डब्लू० बी/9233	5.89
79.	बागरी स्टील इंडस्ट्री, डब्ल्यू/9594	2.49
80.	हिन्दुस्तान स्टील एण्ड कं०	6.18
81.	इंडिया रैड कास सोसा० डब्लू बी०/16322	6.74
82.	रेनीवाल वर्न लि०, डब्लू बी०/10129, हावड़ा	6.89
83.	रालाराम अग्रवाल, डब्लू बी०/9517, हावड़ा	3.36
84.	इत्यादि प्रकाशनी, डब्लू बी/16033	12.64
85.	बंगाल इनेमज वर्क्स, डब्लू बी/311	15.65
86.	एम्पायर चूर मिल कं० लि०, यल्लूबी/26	204.00
87.	इंडोजापान स्टील लि०, डब्लू बी/12201	38.32
88.	नस्कर जूट मिल्स कं०, डब्लू बी/90	32.00
89.	नेशनल रबर वर्क्स, डब्लू बी/641	2.73
90.	मण्डारपुर टी इस्टेट, डब्लू बी/1402, जे०पी०जी० प्लानटेशन	1.71
91.	रैंड बैंक इस्टेट, डब्लू बी/910, टी० प्लानटेशन	3.70
92.	रंगमीत ही इस्टेट, डब्लू बी/1364, टी प्लानटेशन	4.07
93.	रंगून टी इस्टेट, डब्लू बी/24162	1.02

1	2	3
94	अम्बिका टी इ स्टेट, डब्लूबी/1392	2.39
95	धरनीपुर टी इ स्टेट, डब्लूबी/13625	1.35
96	श्रम सेवा सदन, डब्लूबी/15522	2.23
97	हिन्दुस्तान स्टील एण्ड वायर प्रोडक्ट्स, डब्लूबी/9311	5.65
98	आर०के० इण्डस्ट्रीज, डब्लूबी/2677	11.46
99	हिन्दुस्तान कार्बिड एण्ड इंजीनियरिंग, डब्लूबी/11384	.77
100	एस० आई० (इंजी०) क० लि०, डब्लूबी/596	2.02
101	डी०एन० मैटल्स, डब्लूबी/25670	2.91
102	थोसा इण्डिया (प्रा०) लि०, डब्लूबी/92, हावड़ा	2.59
103	शालीमार ग्रुप (प्रा०) लि०, डब्लूबी/1719, हावड़ा	1.35
104	मै० लुबी पार्क मैटल हार्स्पिटल, डब्लूबी/13399	3.15
105	मै० पी०एन०राय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हार्स्पिटल, डब्लूबी/16294	6.53
106	मै० साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया (आसनसोल फैक्ट्री), डब्लूबी/599	200.00
107	मै० अपोलो जिपर कोल प्रा० लि०, डब्लूबी/1971	17.92
108	मै० वेग वर्ड (इण्डिया) लि०, डब्लूबी/11643	15.51
109	मै० साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया, लि०, यूनिट नं० 11, कल्याणी, डब्लूबी/2717	12.02
110	मै० स्टेट फिशरीस डिवी० कारपोरेशन लि०, डब्लूबी/12781	5.46
111	मै० साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया, लि०, यूनिट नं० 1, कल्याणी, डब्लूबी/3579	20.44
112	डी इण्डिया मशीनरी क० लि०, डब्लूबी/215, दास नगर, हावड़ा	6.00
113	मै० भारत प्रोसेसिंग एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि०, डब्लूबी/8046	32.60
114	मै० हिंसुल लि०, डब्लूबी/16040	9.64
115	कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स, लि०, डब्लूबी/7791	7.25
116	प्रताप चन्द मेमो० होम्यो० हार्स्पिटल एण्ड कालेज	3.03
117	मयूरखी काटन मिल्स, डब्लूबी/13704	7.11
118	एलब्रेको मैटल वर्क्स डब्लूबी/4556	11.00
119	अगरिन्द फैब्रीकेशन, कलकत्ता, डब्लूबी/1241	3.16
120	बेतरम स्काट टीटागढ़, डब्लूबी/10727	19.18
121	त्रिटेनिया ब्रिडिंग आयरन क० कलकत्ता, डब्लूबी/5890	1.78
122	बंगदयास काटन मिल्स, 24 परगना, डब्लूबी/102	21.32
123	बंगाल वैल्विंग वर्क्स लि० हुगली, डब्लूबी/145	3.37
124	बलूर ग्लास वर्क्स, हावड़ा, डब्लूबी/7640	2.66
125	ब्रह्मचारी रिसर्च इंस्टीट्यूट (प्रा०) लि०, डब्लूबी/1179	3.60
126	भारत कैमिकल्स (के०एम० कैमिकल्स), डब्लूबी/5000	2.48
127	कलकत्ता इलेक्ट्रिक लैम्प केल०, डब्लूबी/4579	2.05
128	कारपोरेशन इंजी० (आई०) लि०, कलकत्ता, डब्लूबी/232	1.05
129	केन्स (आई०) प्रा० लि०, डब्लूबी/	5.08
130	चान्दमनी टी इ स्टेट, सिलीगुरी, डब्लूबी/1025	11.04
131	कलकत्ता ग्लास क० एण्ड सिलिकेट कलकत्ता० डब्लूबी/5683	3.45
132	भाकेश्वरी काटन मिल्स, आसनसोल, डब्लूबी/499	8.98
133	डोमिनियन रबर वर्क्स, हावड़ा, डब्लूबी/3556	3.48

1	2	3
134	इलैक्ट्री० इण्ड० कारपोरेशन, कलकत्ता, डब्लूबी/2095	5.83
135	ईस्टर्न टाइप फाउण्डरी, कलकत्ता, डब्लूबी/485	2.60
136	हाबड़ा स्टील एण्ड वायर प्रोड०, डब्लूबी/911	5.67
137	इण्डिया रबर गुड्स मैन्यु०, हाबड़ा, डब्लूबी/2091	2.43
138	हाबड़ा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स (प्रा०) लि०, हाबड़ा, डब्लूबी/435	6.20
139	इण्डिया मैलेबल केन्टीन, कलकत्ता-36, डब्लूबी/383	4.88
140	इण्डिया रबर गुड्स मैन्यु० लि०, हाबड़ा, डब्लूबी/419	4.45
141	इण्डिया साइकिल मैन्यु० कं० लि०, कलकत्ता, डब्लूबी/13695	1.50
142	कल्पना इंजी० (प्रा०) लि०, कलकत्ता, डब्लूबी/13695	1.50
143	इण्डस्ट्र० इक्विपमेंट प्रा० लि०, कलकत्ता, डब्लूबी/2107	2.24
144	केदार रबर लि०, कलकत्ता, डब्लूबी/1609	3.06
145	काले विस्कुट कं०, कलकत्ता, डब्लूबी/1711	2.84
146	मोटर ग्लास वर्क्स, कलकत्ता, डब्लूबी/7970	2.05
147	नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोड०, डब्लूबी/190	4.63
148	आकेटी टी इस्टेट, बार	2.33
149	ओरियंटल रिसर्च कैमिकल्स, कलकत्ता, डब्लूबी/1163	2.35
150	प्रति पेपर बोर्ड मिल्स, हुगली, डब्लूबी/12489	5.28
151	रेमा इंजी०, हाबड़ा, डब्लूबी/3468	1.90
152	आर०बी०एस० रबर, हाबड़ा, डब्लूबी/802	1.24
153	शा एण्ड कं० कलकत्ता, डब्लूबी/3580	1.53
154	सूर एण्ड कं०, कलकत्ता, डब्लूबी/488	5.77
155	शालीमार रोप वर्क्स, हाबड़ा, डब्लूबी/153	7.76
156	सोदोपोर पोटररी, 24 परगना, डब्लूबी/5247	4.37
157	सतयुग पब्लिकेशन (प्रा०) लि०, कलकत्ता, डब्लूबी/14560	3.15
158	स्पैन्सर एरोटिड वाटर, डब्लूबी/7704	2.72
159	ठाकुर दास सूरेखा आयरन फैक्ट्री, डब्लूबी/171	4.48
160	ठाकुर दास सूरेखा आयरन फैक्ट्री नं० 2, डब्लूबी/1952	1.29
161	टेपस एण्ड पाइप लि०, डब्लूबी/9238	3.93
162	टैक्सवेल प्रा० लि०, डब्लूबी/9837	1.91
163	विमल पवार इंजी० (प्रा०) लि०, डब्लूबी/	2.36
164	ट्रैपिकल रबर, कलकत्ता	1.31
165	वायर मशीनरी, मैन्यु० 24 परगना, डब्लूबी/11247	5.40
166	यूनियन प्रोविनिस्स कामर० कारपोरेशन, कलकत्ता, डब्लूबी/7623	1.98
167	मोटर मशीनरी मैन्यु० डब्लूबी/285	7.28
168	नेशनल रेजर ब्लेड्स	1.97
169	ए स्टाक एण्ड कं०, डब्लूबी/1944	1.76
170	हिन्दुस्तान पिलिकटन ग्लास वर्क्स, डब्लूबी/1636	1.86
171	मै० बनर्जी, चक्रवर्ती एण्ड कं० (प्रा०) लि०, डब्लूबी/523	5.47
172	प्रेम चन्द जूट मिल्स लि०, डब्लूबी/91	47.27
173	मै० टैबलमिट इण्डिया लि०, डब्लूबी/7767	10.62
जोड़		143.97

परिशिष्ट-क-4

31-3-90 को 1 लाख से अधिक रुपए की चुक करने वाली छूट-प्राप्त स्थापनाएं

क्रम सं०	स्थापना का नाम	न्यासी बोर्ड को न-अन्तरित राशि
आन्ध्र प्रदेश		
1	एच०एम०टी०, लिमिटेड	21.23
2	एल्यूमिनियम उद्योग लिमिटेड	17.05
3	बजरंग जूट मिल्स, गुन्टर	1.75
जोड़		40.03
बिहार		
1	रोहतास उद्योग	70.00
2	सोने वाली पोर्ट सीमेंट	44.00
3	बिहार फायरब्रिक्स, धनबाद	44.13
4	अशोका सीमेंट लिमिटेड	8.60
5	पाशर्वा प्रोपर्टिज लिमिटेड	12.82
6	के० रोलिंग मिल्स	2.12
7	बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	783.60
8	इलेक्ट्रिक इन्व्यूपमेंट फैक्ट्री	1.56
9	भारत रिफ़ैक्ट्रीज, रांची	2.53
10	के० एफ० एस० धनबाद	4.39
11	बिहार स्टेट सूगर कारपोरेशन	12.73
जोड़		986.48
दिल्ली		
1	युनाइटेड इण्डिया मैरियोडिकलस	2.01
जोड़		2.01
गुजरात		
1	गायकवाड़ मिल्स लिमिटेड	48.56
2	बैनिया सिल्क मिल्स लिमिटेड	3.58
3	श्री शुभ लक्ष्मी मिल्स क०	2.94
4	गुजरात मिनरल, डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	1.17
5	दि विजया मिल्स क० लिमिटेड	5.14
6	गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	10.25
7	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	44.61
8	श्री अम्बिका मिल्स	2.24
जोड़		118.49
हरियाणा		
1	इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकलस लिमिटेड	43.65
जोड़		43.65

1	2	3
	कर्नाटक	
1 श्री कृष्णा राजेन्द्रा मिल्स, मैसूर		1.74
	जोड़	1.74
	केरल	
1 एल्युमिनियम इण्डस्ट्रीज लि०, कुन्दरा		19.09
2 एल्युमिनियम - इण्डस्ट्रीज लि०, मन्नार		10.63
	जोड़	29.72
	महाराष्ट्र	
1 किलोस्कर घाटगे पाटिल आटो लि०		1.26
2 जैसमीन मिल्स लि०		5.40
3 श्रीनिवास काटन मिल्स, बम्बई		16.10
4 अलोक एशोडाउन एण्ड कं० लि०		4.37
5 खानदेश स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स		17.59
6 बैस्ट्रन इण्डियन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स		20.73
7 मोडल मिल्स लि०		10.47
8 फिनले मिल्स लि०		24.58
9 गोल्ड मोहर मिल्स लि०		21.99
10 एलफिस्टन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स		2.45
11 स्वैन मिल्स लि०, कुरला		7.96
12 स्वैन मिल्स लि०, सीबरी		16.61
13 रेमन एण्ड डैम लि०		16.39
14 लक्ष्मी विष्णु काटन मिल्स लि०		11.60
	जोड़	177.50
	मध्य प्रदेश	
1 राजकुमार मिल्स लि०		8.33
2 हुकम चन्द मिल्स लि०		59.62
3 श्री साजन मिल्स लि०		12.15
	जोड़	80.10
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
1 आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन		872.24
	जोड़	872.24
	तामिल नाडू	
1 बैस्ट एण्ड क्राम्पटन इंजी०		9.09
2 डैकब्रिज ड्यूटिक एण्ड लि०		1.58
	जोड़	10.67
	उत्तर प्रदेश	
1 नीयौली शुगर फैक्ट्री		12.69
2 अलाहाबाद पैट्रिका प्रा० लि०		43.82
	जोड़	56.51

1	2	3
	प० बंगाल	
1	बेनी लि०	22.78
2	शालीमार रोप वर्क्स लि०	5.03
3	डंबर मिल्स लि०	60.25
4	बसन्ती काटन मिल्स लि०	3.23
5	रोबर्ट हुडसन इण्डिया लि०	1.76
6	स्टील एण्ड एलोइड प्रोडक्शन लि०	2.25
7	हिमालय स्पिनिंग कं० लि०	1.47
8	ईस्ट बंगाल इंजीनियरिंग वर्क्स	2.25
9	ओरियंटल मेटल इंडस्ट्रीज लि०	7.23
10	ईगल मिथिग्राफिंग कं० लि०	1.64
11	बर्न एण्ड कं० लि०	198.68
12	इण्डियन स्टैंडर्ड एण्ड वैगन लि०	96.48
13	जुगान्ता लि०	43.26
14	अमृत बाजार पत्रिका लि०	101.65
15	भारत ब्रेक्स एण्ड बाल्वस लि०	37.50
16	वैसिंग हाउस सक्सबाय फार्मर	269.00
17	अमेरिकन रेफरीजरेटर	11.22
18	शालीमार गुप्त	1.02
19	इण्डिया पेपर पल्प कं० लि०	77.34
20	फ्रैंक ब्रदर्स एण्ड कं०	1.03
21	श्री दुर्गा काटन मिल्स लि०	18.62
22	गंगा रोप एण्ड कं०	1.03
23	एंजल ब्रदर्स	13.50
24	श्री अम्बिका जूट मिल्स लि०	238.52
25	मैगना मिल्स लि०	49.50
26	पोर्ट विलियम कं० लि०	40.11
27	अंगत कं० लि०	630.11
28	विक्टोरिया जूट मिल्स कं०	311.74
29	न्यूडिया मिल्स लि०	393.95
30	वेस्टर्न मैन्यु० कं० लि०	173.02
31	बाराणगर जूट मिल्स लि०	410.00
32	कनकनराह कं० लि०	511.22
33	हाबड़ा मिल्स लि०	395.70
34	डेल्टा जूट इण्डस्ट्रीज लि०	592.50
35	श्री गोरी शंकर जूट मिल्स लि०	123.29
36	नेहाटी जूट मिल्स	185.54
37	अगरपारा कं० लि०	259.04
38	शामनगर जूट मिल्स लि०	475.25
39	गोरीपोर कं० लि०	384.14

1	2	3
40	केलविन जूट कं० लि०	350.00
41	टीटागढ़ जूट कं० लि०	542.65
42	गंगा मैनयुफै० कं० लि०	19.43
43	वेवरली जूट	44.79
44	वर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि०	8.50
45	बज-बज जूट कं०	206.99
46	न्यू सैट्रल जूट मिल्स लि०	729.00
47	डलहोजी जूट मिल्स लि०	96.79
48	नार्थ ब्रोक जूट मिल्स लि०	126.02
49	कमराहटी जूट मिल्स लि०	21.28
50	बैलिट जूट मिल्स	31.90
51	केलिडोनियल जूट मिल्स लिमिटेड	4.36
52	प्रभारतक जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड	43.80
53	रामनगर केन एण्ड शुगर कम्पनी लिमिटेड	60.05
54	बंगाल केमिकल्स एण्ड फारमाक्यूटी कल्स	5.60
55	इण्डिया केपिसिटरस लिमिटेड	15.73
56	नेशनल पाइप्स एण्ड टयूब्स लिमिटेड	2.15
57	कंटेनरस एण्ड क्लोजरस लिमिटेड	3.78
58	टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया यूनिट इन्चक लि०	5.37
59	यूनिट नेशनल रबड़ लि०	24.02
60	ब्रैथवेटस एण्ड कम्पनी लि०	199.99
61	जीसेप एण्ड कं० लि०	6.0
62	बंगाल साल्ट एण्ड कं० लि०	6.00
63	सूर एनेमल एण्ड स्टैपिंग कं० लि०	4.25
64	मोहिनी मिल्स लि०	85.73
65	इण्डियन हेल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लैबोरेटरी	3.22
66	एल्युमिनियम मैनयु० कं० लि०	19.15
67	साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया (लि०)	8.00
68	कल्याणी शिपिंग मिल्स लि०	76.38
69	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०	680.74
70	रिहैब्लिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०	77.53
71	स्काट एण्ड सक्सबाय लि०	16.00
72	भारत ओपथलाइन ग्लास लि०	32.06
73	साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	50.00
74	बावरीह काटन मिल्स लि०	113.00
75	साइमन करवस (आई०) लि०	6.59
76	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स	8.00
जोड़		10724.60
कुल जोड़		13143.74



हमारा कर्मचारी भविष्य निधि परिवार - उ० क्षेत्र का० उत्तमता का एक कार्यालय

हमारी परिसम्पत्तियों में वृद्धि ।



क्षेत्रीय कार्यालय, पटना